खण्ड-328, अंक-7
बुधवार, 20 आश्विन, शक संवत् 1899
(12 अक्टूबर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७६१–७७२
प्रश्नोत्तर	७७३–८२१
पी० ए० सी० के कर्मचारियों के पुनर्वासन की योजना के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	८२१–८२२
बाराबंकी जनपद में बढ़ते हुए अपराध तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	८२२
लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	८२२–८२३
खरसों के तेल में मिलावट तथा बाजार में अभाव के विषय को सदन के सज्ञान में लाना	८२३
हमीरपुर की बेतवा कैनाल की शाखाओं से किसानों की भूमि जलमग्न होने तथा उसके मुहाने पर उचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	८२३–८२४
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा अपने हस्ताक्षर से न दिये जाने तथा आज नियोजन मंत्री द्वारा बुलायी गयी विधायकों की मीटिंग अचानक स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	८२४–८२७
श्री जयप्रकाश नारायण के चित्र को तोड़े जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण (जारी)	८२७–८२८
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा अपने हस्तक्षर से न दिये जाने तथा आज नियोजन मंत्री द्वारा बुलायी गयी विधायकों की मीटिंग अचानक स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	८२८
श्री जयप्रकाश नारायण के चित्र को तोड़े जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण (जारी)	८२९–८३०
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७५ तथा शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	८३०
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७७ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	८३०–८३१
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७७ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	८३१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७५ को विलम्ब से सदन के पटल पर रखने पर आपत्ति	८३१

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री जय प्रकाश नारायण के चित्र को तोड़े जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण	८३१–८३३
श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८३३–८३५
श्री कृष्णमोहन लाल सक्सेना, प्रवर वर्ग सहायक, गृह (पुलिस) बीजा अनुभाग-२ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८३६–८३७
सदन में विवाद के समय सदस्यों को भाषण के लिए बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	८३७–८३९
इलाहाबाद में हुई नैनी ट्रेन दुर्घटना में मृत तथा घायलों की सहायता के लिए अध्यक्ष सुरक्षा कोष की स्थापना करने की मांग ..	८३९–८४०
हरदोई जिला जेल में दिनांक ३० सितम्बर, ७७ को होम्यो छात्रों पर लाठी चार्ज के संबंध में वक्तव्य	८४०–८४३
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	८४३–८४४
१९७७–७८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या १२–मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३–अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२–सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७–सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८–पर्यटन, अनुदान संख्या ८७–सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)	८४५–८८७
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	८८७
१९७७–७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या १२–मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३–अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२–सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७–सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८–पर्यटन, अनुदान संख्या ८७–सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८८–८९६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	८९६–८९७
मेसर्स हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम कारपोरेशन लि०, रेणुकोट, मिर्जापुर के मालिकों द्वारा मजदूरों की बैठकी किये जाने के बारे में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	८९७–९०४
कानपुर से उन्नाव की तरफ रेलवे लाइन के पास हो रहे गंगा नदी के कटान के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	९०४–९०८
नत्थियां	९०९–९१४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसीदास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३२६

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार, अहमद चौधरी, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायन श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० फ्राइस श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती बेगम एजाज रसूल
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ, सिंह श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या , श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, 'निर्भय' श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देबकी नंदन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बब्बे भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री

भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बुजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डे, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम आधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुल रे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री

रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय' श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम घर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म चन्द तिवारी, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ अक्तूबर, १९७७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के राजकीय कन्या विद्यालयों की अध्यापिकाओं की हड़ताल

**१—श्री बेचूराम (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ नगर के राजकीय कन्या विद्यालयों में छात्राओं को हड़ताल पर गये अध्यापकों द्वारा दिनांक २७-९-७७ से विद्यालय कैम्पस के अन्दर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

लखनऊ नगर में स्थित राजकीय कन्या विद्यालयों में हड़ताल करने वाली अध्यापिकाओं द्वारा २७-९-७७ से छात्राओं को विद्यालय कैम्पस में प्रवेश करने से नहीं रोका जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

उदित नारायण इण्टर कालेज, पडरौना, देवरिया के अध्यापकों द्वारा क्रमिक अनशन एवं उनका वेतन

*१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उदित नारायण इन्टर कालेज, पडरौना (देवरिया) के १६ तदर्थ नियुक्त अध्यापकों को पिछले २८ महीनों से वेतन नहीं मिला है और वे दाने-दाने को मोहताज होकर पिछले दस दिनों से अनशन कर रहे हैं तथा अनशनकारियों में अनेक मरणासन्न हैं ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

२८ माह नहीं किन्तु १२ माह से २५ माह तक ऐसे १६ अध्यापकों का वेतन देय है जिनके मामले विभाग द्वारा अनुमोदित न होने के कारण विवादग्रस्त हैं । यह अननुमोदित अध्यापक २४-८-७७ से क्रमिक अनशन पर हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार इन क्रमिक अनशनकारियों में किसी की स्थिति मरणासन्न नहीं है । उक्त प्रकरण सम्प्रति विभाग के विचाराधीन है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि ये १६ तदर्थ अध्यापक जो हैं, इनकी विधिवत् नियुक्ति हुई है, क्योंकि, नियुक्ति कठिनाई निवारण अध्यादेश, १९७३ के अनुसार स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और उनसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है ? अगर अनुमोदन नहीं देते हैं, तो रिफ्यूजल भेजना चाहिए । रिट पेटीशन नं० ६३४०, १९७२ के अनुसार हाईकोर्ट ने श्री राम प्रताप

नारायण सिंह को कानूनी और वैध १९५५ से लेकर आज तक मैनेजर माना है। इस वास्ते १६ तदर्थ नियुक्त अध्यापक जो हैं वे कानूनी ढंग से नियुक्त हो गये। और मैनेजर द्वारा जो नियुक्तियां हुई हैं, वे जायज हैं। क्या अननुमोदन की सूचना दी गयी, अगर नहीं दी गयी, तो ये १६ अध्यापक वैध हो गये ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, अनुमोदन नहीं किया गया, इसका मतलब यह हो गया कि अननुमोदन है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

उसकी सूचना दी गयी कि नहीं दी गयी, इसके बारे में सूचना मांगा है, यह माननीय सदस्य का कहना है।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, हमको बोलने दीजिए। हमसे संबंधित है। उदित नारायण इन्टर कालेज, पडरौना में तीन वर्ष से पढ़ाई में व्यवधान है। आज भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के होते हुए भी कचहरी में लड़के अनशन कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत गम्भीर है। हमारा प्रश्न यह है कि अगर २४-८-७७ से धरना देना शुरू हो गया, डी० आई० ओ० एस० के दफ्तर के सामने, एस० डी० एम० के दफ्तर के सामने धरना शुरू हो गया, जब १६ अध्यापक रख लिये गये, तो इनको वेतन देने के बारे में शासन क्यों नहीं निर्णय ले रहा है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, सबसे पहले अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अनुमोदन लिया जाता है। इसके पश्चात् विधिवत् चयन करके अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी यह आख्या दी है कि चूंकि रिक्तियों की स्वीकृति नहीं ली गयी और बिना अनुमति के प्रबन्धक ने इन १६ अध्यापकों को तदर्थ रूप से स्वयं रख लिया है, इसलिए विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन १६ अध्यापकों को पहले इस विद्यालय के द्वारा कोई धन दिया गया ? यदि दिया गया, तो क्या इसके जिम्मेदार इंसपेक्टर आफ स्कूल्स होंगे ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इनको पहले कोई धन दिया गया है, धन से मेरा तात्पर्य वेतन से है।

श्री कालीचरण--

मान्यवर, इन अध्यापकों को वेतन दिया ही नहीं गया है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

माननीय, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मंत्री जी ने अभी बताया कि अनशनकर्ता अध्यापक मरणासन्न अवस्था में नहीं हैं । तो क्या जब वह मरणासन्न अवस्था में पहुंच जायेंगे, तब उनकी मांगों को पूरा किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

इससे, यह प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जिस वक्त नियुक्तियां हुई, तो मनेजर के द्वारा इसकी सूचना इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को दी जाती है कि हमने नियुक्तियां कर ली हैं और इंसपेक्टर आफ स्कूल्स राजी हो जाते हैं । तो क्या अध्यापकों के बारे में सूचना दी गयी और इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने इसकी ताईद कर दी ? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई पता लगाया ?

श्री कालीचरण---

मान्यवर, मैंने यह बताया कि उनकी नियुक्तियों के पूर्व विद्यालय में स्थान रिक्त नहीं थे । जो स्थान रिक्त होते हैं, उसकी स्वीकृति लेनी होती है । तो उस विद्यालय की रिक्तयों की कोई स्वीकृति ही नहीं मिली, तो फिर नियुक्तियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी माननीय सदस्य, ऊदल ने जो प्रश्न किया उसको टाल गये । सवाल यह है कि जब किसी अध्यापक की एडहाक नियुक्ति करते हैं, तो जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि जब इन अध्यापकों की नियुक्ति की गई तो क्या इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी गयी, यदि हां, तो इनको रेगुलराइज करने में क्या दिक्कत है ?

श्री कालीचरण---

मान्यवर, मैंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि चूंकि स्थानों की रिक्तियों का अनुमोदन नहीं लिया गया । मैनेजर ने जिन १६ अध्यापकों को रख लिया उनका अनुमोदन हमने नहीं दिया । विभाग ने रिक्तियों का अनुमोदन नहीं दिया, तो वेतन देने के लिये बाध्य नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठिये, यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या २८ महीनों तक इन १६ अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया और जो अन्य १६ अध्यापक रख लिये गये, वह किसके आदेश से रखे गये हैं और उनको वेतन दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं । वह उत्तर दे चुके हैं ।

श्री रामनरेश पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे जानकारी है । पडरौना इंटर कालेज में १६ तदर्थ नियुक्तियां कर ली गयी हैं, माननीय मंत्री जी को मालूम है । इनको वेतन दिया जा रहा है और पुराने १६ अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

जिनको वेतन दिया जा रहा है क्या वह मैनेजमेंट ने नियुक्त किये हैं ?

श्री कालीचरण—

मान्यवर, जिन १६ अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा है उनकी नियुक्ति विभाग के अनुमोदन से हुई थी । जो अननुमोदित अध्यापक थ, जिनकी रिक्तियों का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक से नहीं लिया गया और प्रबन्धक ने इन्हें रख लिया है, उनको वेतन सरकार नहीं दे रही है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के पीटिशन नं० ६३४० के अनुसार जो ऐतिहासिक निर्णय दिया उसके अनुसार कुंवर राम प्रताप नारायण सिंह को ही उच्च न्यायालय ने सन् १९५५ से लेकर लगातार उस कालेज के प्रबन्धक और मंत्री रहे है, माना है, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना करके जिला विद्यालय निरीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश, श्री हरिश्चन्द्र त्रिपाठी, श्री मलासी, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री ओम नारायण सिंह तथा वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री एस० सी० श्रीवास्तव ने पौने तीन लाख का नाजायज भुगतान करा दिया है, क्या मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे प्रश्न नहीं उठता है । आप इसकी पृथक नोटिस दें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रबन्धक को स्वीकार किया था, उस प्रबन्धक के द्वारा यह १६ तदर्थ नियुक्त अध्यापक थे और जिनका भुगतान हुआ है, वह उस प्रबन्धक द्वारा नियुक्त नहीं थे, फिर भी उनका भुगतान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर मंत्री जी दे चुके हैं कि जिनकी नियुक्ति का अनुमोदन इंस्पेक्टर ने किया, उनका वेतन देने के लिये बाध्य है और जिनका नहीं किया उनका वेतन देने के लिये बाध्य नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

जिनका अनुमोदन हुआ क्या वह वैध प्रबन्धक द्वारा नियुक्त नहीं थे ? उच्च न्यायालय ने जिसको प्रबन्धक माना उसके द्वारा क्या यह अध्यापक नियुक्त नहीं थे ?

श्री कालीचरण

जी हां, उसके पहले प्रबन्धकीय विवाद था और जिसको हाईकोर्ट ने माना। उसके पहले जिस प्रबन्धक को विभाग ने माना उनके द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापक हैं।

उत्तर प्रदेश उद्यमकर्त्ता संघ के सदस्यों को कार्य दिये जाने की सिंचाई विभाग से मांग

*२—श्री उमाकान्त बाजपेई (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश उद्यमकर्ता संघ के सदस्यों को शारदा सहायक परियोजना में कम्पेक्शन आदि कार्य नहीं दिया जा रहा है जब कि इन सदस्यों पर ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनरी क्रय करने के लिये स्वीकृत किए गए सरकारी ऋणों का भारी भार शेष है और अधिकांश सदस्यों की कुर्कियां भी हो चुकी हैं ? क्या इस विषय में एक ज्ञापन अध्यक्ष, जनता पार्टी की संस्तुति के साथ दिनांक २९ अगस्त, १९७७ को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उद्यमकर्ता संघ के सदस्यों के भारी ट्रैक्टरों को सिंचाई विभाग को शारदा सहायक तथा बांयी तटीय घाघरा नहर इत्यादि परियोजनाओं में कम्पेक्शन कार्य आदि दिए जाने और उस कार्य के लिए यू० पी० एग्रो की दरों पर भुगतान किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

उत्तर प्रदेश उद्यमकर्ता संघ के सदस्यों को जिनमें बेरोजगार इन्जीनियर एवं कृषि स्नातक हैं, वरीयता के आधार पर विभागीय दरों पर वे कार्य दिये जा सकते हैं जिनकी मात्रा की माप हो सके। कम्पेक्शन कार्य इस श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसकी माप नहीं हो सकती है। उद्यमकर्ता संघ के सदस्यों के ऋणों के बारे में कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है। दिनांक २९-८-१९७७ को अध्यक्ष, जनता पार्टी का पत्र शासन को प्राप्त हुआ जिस पर विचार किया गया।

श्री उमाकान्त बाजपेई—

मान्यवर, जिनको ऋण दिया गया है उनको इस विभाग से कोई कार्य नहीं मिल रहा है, इसलिये उनको ऋण अदा करना पड़ रहा है। तो इसके विषय में मंत्री जी ने क्या विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि ऋण की उनको कोई सूचना नहीं है। चूंकि यह उनके विभाग से संबंधित नहीं है। इनका काम तो अपने विभाग से संबंधित है। इसलिये आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री उमाकान्त बाजपेई—

मान्यवर, उनको ऋण इसी आधार पर दिया गया है, लेकिन उनको काम नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो दे दिया। इससे यह प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, जो बेरोजगार इंजीनियर्स बैठे थे, उनको शासन ने लोनिंग करके ट्रैक्टर खरीदवाये। शारदा कैनाल में ऐग्रो के ट्रैक्टर ३५ रुपया प्रति घंटा काम करते रहे हैं और गौरीकान्त मिश्र, चीफ इंजीनियर के आदेश पर १५ दिन काम दिया गया, जिस पर विवाद हुआ और किस्त अदा नहीं हुई ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

घंटे के हिसाब से पेमेन्ट होता है। सन् ७५ तक व्यक्तिगत लोगों को यह काम दिया जाता रहा। सन् ७६ में यह शिकायत आयी कि लाग-बुक फर्जी भरी जाती है और विभाग से साजिश कर फर्जी पेमेंट लिया जाता है। विभाग ने निर्णय लिया कि जिनका माप न हो सके ऐसे कार्य को विभागीय ट्रैक्टरों के जरिये करवाया और एक बैठक कृषि विभाग के साथ १३-२-७६ को हुई और एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत उन्होंने कहा कि हम ३० रुपया प्रति घंटा पर देने के लिए तैयार है। २१-२-७६ के पत्र द्वारा कृषि निदेशक ने यह सूचित किया। ऐग्रो या कृषि विभाग के ट्रैक्टरों द्वारा ही यह काम करवाते हैं। जिनकी माप हो सकती है, उसमें उद्यमकर्ताओं और व्यक्तिगत लोगों को भी मौका देते हैं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि ७६ के पहले संघ के जो इंजीनियर्स थे, उनके ट्रैक्टरों ने जो काम किया उसका भुगतान १५ रुपये के हिसाब से दिया गया और एग्रो के ट्रैक्टर या दूसरों को ३० रु० प्रति घंटे के हिसाब से दिया गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जांच अवश्य करेंगे।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही है कि जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर जी ने एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उद्योग कर्ताओं को काम देने के लिए कहा गया था और क्या आपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिये ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जो नीति पहले निर्धारित की जा चुकी है, वह यह है कि जिन कामों को माप हो सकता है, उनमें उद्यमकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो पत्र आया है, जिस पर आप विचार कर रहे हैं, उसके तथ्य क्या हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

आदरणीय अध्यक्ष जनता पार्टी ने कहा है कि जिन उद्यमकर्ताओं के प्रार्थनापत्र आए हैं, उनको कार्य देने के सम्बन्ध में सरकार विचार करें और नियमित कार्यवाही करें।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जो ज्ञापन आया है उसके अनुसार माननीय मंत्री जी ने कितना अमल किया है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जहां पर कृषि विभाग या ऐग्रो के ट्रैक्टर्स उपलब्ध नहीं होंगे, वहां उद्यमकर्ताओं और व्यक्तिगत ट्रैक्टरों से काम लेंगे और इसमें उनको प्राथमिकता देंगे ।

(अगला प्रश्न किये जाने तथा कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये । मैं अनुमति नहीं देता । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोग प्रश्नों के समय में इस तरह का व्यवधान मत डालिये । माननीय सुखपाल पाण्डेय जी तो चाहते हैं कि उनको हर प्रश्न में अनुमति दी जाय, लेकिन यह नहीं हो सकता । अब आप लोग शांत रहें । जब मैं दूसरा प्रश्न बुला लूं, तब फिर पहले प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

एक सदस्य—

मान्यवर, माननीय सुखपाल पाण्डेय ही तो उधर की कान्सेंट हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझको आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । लेकिन, मान्यवर, आप एक ही तरफ देखते हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

फैजाबाद मण्डल के सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि फैजाबाद मंडल के वर्तमान सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं के विरुद्ध उक्त मण्डल के संस्कृत पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों ने लिखित शिकायत १९७६-७७ में की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

इस संबंध में विभागीय जांच की जा रही है ।

*२—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक निरीक्षक ने वर्ष १९७६-७७ में फैजाबाद मण्डल की एक भी पाठशाला का निरीक्षण नहीं किया और संस्कृत विद्यालयों के अनुदान सम्बन्धी कागजात अपने ही पास रोक लिये जिससे मन्डल के सम्पूर्ण विद्यालयों को क्षति उठानी पड़ी ?

श्री काली चरन—

जी हां।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वे अनियमितताएं क्या हैं, उनकी शिकायत शासन को कब प्राप्त हुयी और जांच किस तारीख को शुरू हुयी ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, उसमें अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग शिकायतें की हैं। मुख्य शिकायत हैं—

(१) अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी अनुमोदन न देना।

(२) मुख्यालय से बाहर रहना।

(३) विद्यालय का निरीक्षण न करना।

(४) अयोध्या के संस्कृत पाठशाला में अनुचित दबाव डालकर अपने भाई और अपने कार्यालय के लिपिक के भाई की नियुक्ति करना।

(५) प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्यों के साथ अभद्र व्यवहार करना और विद्यालयों को नष्ट करने की धमकी देना।

(६) विद्यालय के अभिलेखों को उठा लाना और उन्हें वापस न करना।

(७) गुन्डों और डाकुओं का सम्पर्क करके मनमानी करना।

(८) विद्यालयों के अनुदान निलम्बित करने की धमकी देना।

मान्यवर, ये शिकायतें हैं जो विभागीय अधिकारी को विभिन्न तिथियों में दी गयी हैं। इसके संबंध मे निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें जांच कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये शिकायतें किस-किस तारीख में मिली और जांच कब से शुरु की गई ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, ये अलग-अलग शिकायतें हैं और इसमें सूचना की आवश्यकता है। लेकिन इन शिकायतो के मिलने पर जांच हो रही है। १९७६-७७ के बारे में उनके विरुद्ध चरित्र पंजिका में टिप्पणी भी अंकित कर दी गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि जो मैंने पहले प्रश्न किया, जो शिकायतें हुयी, उनकी जांच हो चुकी है और चरित्र-पंजिका में टिप्पणी भी अंकित कर दी गयी है। ऐसी हालत में उस इंसपेक्टर को तत्काल वहां से हटाकर इस मामले में जांच कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण—

मान्यवर, इस पर जांच कराई जा रही है और मैं नहीं समझता कि यह संतोषजनक नहीं होगी। इसलिए जांच की आख्या के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी कौन है और इतनी गम्भीर शिकायतें, जो अभी माननीय मंत्री जी ने पढ़कर सुनाई, तो उस अधिकारी को वहां से हटाने और उसको निलम्बित करने में शासन के सामने क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक ट्रान्सफर का सवाल है, इसका उत्तर दे चुके हैं। जांच अधिकारी कौन है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री काली चरण—

मान्यवर, जांच अधिकारी उप निदेशक, संस्कृत पाठशालयें हैं।

(शिक्षा मंत्री के पत्रावली के देखने में कुछ देर लगने के कारण)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

स्वास्थ्य लाभ कीजिए...(हंसी)।

श्री काली चरण—

उप निदेशक, संस्कृत पाठशालायें इसकी जांच कर रहे हैं। नाम मैं बता दूंगा थोड़ी देर में।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो तमाम अभिलेख संस्कृत पाठशालाओं के अनुदान सम्बन्धी उन्होंने रोक लिए क्या शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इन्हीं सब आरोपों के कारण उनके खिलाफ जांच चल रही है। माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि जांच अधिकारी का नाम भूधर द्विवेदी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतना गंभीर चार्ज है, तमाम संस्कृत पाठशालाओं के अभिलेख, अनुदान सम्बन्धी कागजात अपने ही पास रोक लिए, तो इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। प्राइमाफेसी केस बनता है। उन्हे तुरन्त निलम्बित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा, जी हां : सारे अनुदान सम्बन्धी कागजात रोक लिए और किसी पाठशाला का निरीक्षण नहीं किया, आपने उत्तर में कहा है, जी हां। उनका कहना है कि फिर आप क्यों नहीं कार्यवाही करा रहे हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, अब यह शिक्षा निदेशक का कार्य है। वह जांच में उनके खिलाफ आरोप साबित करगे । अगर निलम्बित होने में संतोष हो माननीय सदस्य को, तो इसके सम्बन्ध में भी आदेश दे दिए जायेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, चूंकि प्राइमा फेसी केस इस अधिकारी के विरुद्ध साबित हो चुका है और जैसा शिक्षा निदेशक ने मान भी लिया लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई इसके लिए शिक्षा निदेशक के विरुद्ध क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, कार्यवाही नहीं की गई इसका प्रश्न नहीं आता और भी आरोप जिले हैं सब की जांच की जा रही है । हमने बताया कि एक वर्ष उनकी चरित्र-पंजिका में उनके विरुद्ध प्रविष्टि भी की गयी । इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दशरथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन विद्यालयों में अनुदान के कागजात रोक लिए थे, उन विद्यालयों के अनुदान के सम्बन्ध में कोई अग्रिम कार्यवाही करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाओं ने अपना विशेष वाहक भेज करके और जिन अध्यापकों के वेतन आदि के सम्बन्ध में अनुदान था, वह बिना उनके कागजात भेजे ही उनको दे दिया है । क्योंकि ये कागजात पहले नहीं पहुंचे इसलिए उस पर कोई निर्णय नहीं किया जा सका । अब कागज आयेंगे, तो विचार कर लिया जायगा ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत अनुदान न दिए जाने के कारण कितनी संस्कृत पाठशालायें प्रभावित हुई है और अध्यापकों का, प्रधानाचार्यों की संख्या क्या है जिन्होंने शिकायतें की हैं ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, प्रधानाचार्य श्री तुलसी संस्कृत महाविद्यालय, दरियापुर, शीतलगंज ग्रान्ट गोण्डा, अध्यक्ष, श्री रघुवर संस्कृत पाठशाला, लखनऊ मंदिर अयोध्या, फैजाबाद, प्रबन्धक, जनता संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिनकपुर गोण्डा, प्रबन्धक सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, नवाबगंज, गोण्डा, अध्यक्ष, श्री कृष्ण रामानुज संस्कृत महाविद्यालय पूरे ब्रह्मचारी समरा, प्रतापगढ़, ये विभिन्न संस्थाएं हैं जिनके प्रबन्धक या प्रधानाचार्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी शिकायतें की हैं ।

श्री सुखपाल पान्डेय---

यह तो शिकायतें आई हैं उनमें यह भी शिकायत है कि वह संस्कृत पाठशालाओं से कुछ मासिक अनुदान अप ?' लिए भी कराना चाहते थे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप अनुमान से कह रहे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

इतनी पाठशालाओं के अनुदान जब वह रोके पड़े हुए थे, तो शासन की जानकारी में कब यह बात आई कि उनके निरीक्षक महोदय इतनी अनुदानों के कागजात अपने पास रखे हुए हैं ?

श्री काली चरण--

पिछले सत्र ७६-७७ में उनके विरुद्ध इन बातों के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी गयी है और शेष जितने आरोप उनके विरुद्ध लगाये गये हैं, उनकी जांच चल रही है ।

एटा जिले के श्री भगवत राष्ट्रीय विद्यालय, पटियाली के अप्रशिक्षित अध्यापक

*३--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में श्री भगवत राष्ट्रीय विद्यालय, पटियाली मे ऐसे भी अध्यापक सेवारत हैं जो अप्रशिक्षित हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक सेवा से पृथक् न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा हुई थी और उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

नेतराम जी, जब माननीय मंत्री कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो इसे स्थगित कर दिया जाय ।

श्री नेतराम सिंह--

इसी सत्र में १८ तारीख तक इसका उत्तर मिल जाना चाहिए, यह आश्वासन मंत्री महोदय सदन को दें ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री महोदय बतला दें कि इसका उत्तर कब तक संभव होगा ?

श्री काली चरण--

मैं विशेष वाहक भेजकर प्रयास करूंगा कि इसका उत्तर शीघ्र आ जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न स्थगित किया गया ।

विश्वविद्यालयों में नियुक्त कुल-सचिवों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*४--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर), (अनुपस्थित) श्री राजजगत राय (जिला आजमगढ़), श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर), श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़), श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा १७ (१) के द्वारा केन्द्रीय सेवा के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी नियमावली के अनुसार इन पदों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा होना था ? यदि हां, तो कई वर्ष बीतने पर भी चयन लोक सेवा आयोग को क्यों नहीं सौंपा गया ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश के तेरह में से आठ विश्वविद्यालयों में लोक सेवा आयोग द्वारा चयन न कराकर तदर्थ नियुक्ति वाले कुल सचिव हैं ?

श्री काली चरण--

जी हां । केन्द्रीयित सेवा नियमावली ३१ अक्तूबर, १९७५ को प्रकाशित की गई और उसके अनुसार चयन कराने हेतु पदों की अर्हताएं निर्धारित करने तथा केन्द्रीयित सेवा में कार्यरत अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची बनाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पायी है । आठ विश्वविद्यालयों में कुल सचिव तदर्थ रूप से नियुक्त ह।

श्री कल्पनाथ सिंह --

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सेवा नियमावली में वह भी प्राविधान था कि ये नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से नही हो पायेंगी, तो इस बीच में सरकारी अधिकारी डेपुटेशन पर भेजे जायेंगे अथवा यह नियुक्तियां सीधी भरती के द्वारा पूरी की जायगी ? यदि यह सही है, तो पिछली सरकार ने जो इन नियमों का उल्लंघन किया है, उसको देखते हुए इन सारी तदर्थ नियुक्तियों को रद्द किया जायगा ?

श्री काली चरण--

इस सम्बन्ध में शासन, लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श कर रहा है और अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् जो उचित होगा, वह किया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने लोक सेवा आयोग की बात नहीं कही क्या विचार विमर्श हो रहा है उनके तथा शासन के बीच में मान्यवर, केन्द्रीय सेवा नियमावली के अन्तर्गत जिनका हवाला दिया गया है, उसमें तदर्थ नियुक्तियां और होनी थी तो सरकारी अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजकर की जानी चाहिए थी और अगर ऐसा नहीं हो सकेगा, तो दूसरा प्राविधान था कि सीधी भर्ती से यह रिक्तियां भरी जायेंगी । इन दोनों प्राविधानों के रहते हुए पदोन्नति के माध्यम से इन रिक्तियों को भरे जाने का जो पिछली सरकार का निर्णय है, उसको रद्द करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, यह जो नियुक्ति के नियम बने थे उसमें ३१ अक्तूबर, १९७५ को प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीय सेवा नियमावली, १९७५ में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, इस नियमावली में प्राविधान था कि कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे और उप कुल सचिव के

पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । बाद में शासन ने संशोधन करपह किया कि कुल सचिव के ३३ पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा कुल सचिव और सहायक कुल सचिव के शेष पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे । कहीं अगर कोई अनियमितता हुई है तो माननीय सदस्य दे दें, उसकी जांच करा ली जाएगी और अनियमितता दूर की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि जो अनियमितता हुई है नियुक्ति में, उसको आप निरस्त करेंगे ?

श्री काली चरण--

जो अनियमितता हुई है उसको दूर किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) नेगी जी जिनका यह प्रश्न है, उनको पहले अवसर दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अर्हता निर्धारित करने और सूची बनाने का आदेश कब जारी किया गया और उसके लिए कोई समय बांधा गया था ? यदि समय बांधा गया था, तो इसे पूरा करने में अभी कितना और समय चाहिए ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, अर्हता निर्धारित करना यह सारी चीजें शासन और लोक सेवा आयोग दोनों की सहमति पर निर्भर करता है । लोक सेवा आयोग को कई बार लिखा जा चुका है । अंतिम अनुस्मारक जो भेजा गया वह ३१ अगस्त, १९७७ को भेजा है जिस पर अभी तक वहां से कोई उत्तर नहीं आया । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में, आज मैं जब स्पष्टीकरण अधिकारियों से कर रहा था उसमें हमने यह कहा है कि कोई सक्षम व्यक्ति वहां जाय और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से मिल कर इसमें शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करा लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरी निश्चित जानकारी है कि इस काम को पिछली सरकार द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि इन ८ जगहों पर शासन कुछ राजनीतिक नियुक्तियां करना चाहता था । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस बात की जांच करायेंगे और यदि मेरा कथन सही निकला, तो इन नियुक्तियों को रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, उत्तर मैंने पहले ही दे दिया था कि जो भी अनियमितताएं की गई हैं और उस अनियमितता से जो नियुक्तियां हुई हैं, उनको रद्द किया जायगा।

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न के तीसरे भाग में यह भी पूछा गया था कि कई वर्ष बीतने पर भी चयन, लोक सेवा आयोग को

क्यों नहीं सौंपा गया ? इसका उत्तर नहीं दिया गया क्या इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ३१ अक्तूबर, १९७५ को यह विश्वविद्यालयों के पद केन्द्रियित सेवा में रखें गये । इसके पहले स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालयों के अधीन अलग-अलग पद थे । इसके बाद से इनकी क्या अर्हता हो, इनकी नियुक्ति किस प्रकार हो, इनकी किस तरह से प्रोन्नति हो, इस सम्बन्ध में शासन और लोक सेवा आयोग से पत्राचार और विचार-विमर्श चल रहा है । मैंने यह भी निवेदन किया है कि अन्तिम अनुस्मारक ३१ अगस्त, १९७७ को भेजा गया है तथा हमने यह भी निवेदन किया है कि आज ही निर्णय दिया है मैंने कि शीघ्रातिशीघ्र यहां से कोई अधिकारी इलाहाबाद जाए और उनसे वार्ता करके जो भी सम्भव हो, अविलम्ब निर्णय ले ले ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

इस प्रश्न और उसके उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं तथा सुझावात्मक ढंग से जानना चाहता हूं सारे शिक्षा जगत में अनियमितताएं बहुत हैं- संस्कृत पाठशालाओं से लेकर माध्यमिक विद्यालयों तक सभी जगह हैं, तो क्या सरकार विचार करेगी कि एक उच्चस्तरीय समिति विधान मंडल के सदस्यों की इसकी जाच के लिए बना दी जाए, जो जांच करके रिपोर्ट विधान मंडल के पटल पर रखें ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उससे ऐसा लगता है कि उसमें अनियमितताएं हुई हैं और उसको दूर किया जायगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि जब अनियमितताएं दूर करने की बात होगी, तो उसमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पूरा आरक्षण भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें अनुसूचित जाति तो कहीं आई नहीं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

पहले इस सेवा में कितने लोग रखे गए थे, जो अब कुल सचिव या उपकुल सचिव पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री काली चरण—

इसको तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो ८ तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, उसमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो सरकारी सेवा से डेपूटेशन पर हैं और कितने सीधी भरती वाले हैं ?

श्री काली चरण--

इसकी सूचना की आवश्यकता है, श्रीमन् ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं, जिनका ओरिजनल एप्वाएंटमेंट ऐज ए क्लर्क यूनिवर्सिटी में हुआ था और उनको पदोन्नति देकर कुल-सचिव पद तक पहुंचा दिया गया है और क्या ऐसे लोग भी हैं, जो दो-दो पदोन्नति एक साथ लिए हुए हैं ?

श्री कालीचरण--

इसकी तो सूचना हमारे पास यहा नहीं है ।

राजकीय इन्टर कालेज, गाजीपुर के भवन के पुनर्निर्माण की मांग

*५-- श्री अवधेश नारायण सिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, गाजीपुर के भवन के एक बड़े भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग नें हाल ही में खतरनाक घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या भवन के उक्त भाग का छात्रों की पढ़ाई के लिए उपयोग न कर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के साथ विद्यालय में अत्यन्त जर्जर भवन के पुनः निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

श्री काली चरण--

राजकीय इन्टर कालेज, गाजीपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक घोषित हाल में कक्षायें न लगाई जाकर अन्यत्र लगाई जा रही हैं तथा विद्यालय के नये भवन निर्माणार्थ सार्वजनिक निर्माण विभाग से आगणन बनवाया जा रहा है ।

श्री अवधेश नराय न---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेज, गाजीपुर के उक्त भवन को किस वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खतरनाक घोषित किया था और कब से एस्टीमेट्स के कागज सार्वजनिक निर्माण विभाग में पड़े हुए हैं ?

श्री काली चरण--

१ मार्च, १९६५ को इस विद्यालय का प्रान्तीकरण हुआ । इसके बाद इसके भवन का निरीक्षण सार्वजनिक निर्माण निभाग ने किया और उसमें कुछ हिस्से को जर्जर घोषित कर दिया । स्थानाभाव की समस्या को देखते हुए उसका आगणन कराया गया, लेकिन शासन की वित्तीय कठिनाइयों और उसके अपने बनाए हुए पिछले नियमों के अनुसार यह भवन अब तक बनवाया नहीं जा सका ।

श्री अवधेश नरायन--

राजकीय इंटर कालेज, गाजीपुर का जो भवन है, जिसको १९६५ में सरकार ने लिखा, वह जरमन मिशन का विद्यालय था, १०० वर्ष पूर्व का वह भवन जर्जर हो चुका है और बरसात में ठीक से कक्षायें नहीं चलती, क्या माननीय शिक्षा मंत्री, उस जर्जर भवन को बनवाने के लिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए, इस

बात का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से एस्टीमेट जल्दी से मिल जाय और भवन के निर्माण कार्य पर जल्दी कार्य शुरू हो जाए ?

श्री काली चरण--

इस वित्तीय वर्ष का बजट जो पास हुआ है, उसमे इसके धन की कोई व्यवस्था नहीं हो प यी है । सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह आदेश दे दिया गया है कि वह पुनरीक्षित आगणन करके शासन को भेजें और यह प्रयास किया जायगा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस भवन की व्यवस्था करायी जाय।

नेहरू कालेज, फर्रुखाबाद में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध कथित जांच

*६--श्री हेमराज (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू कालेज, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में व्याप्त अनेकानेक वित्तीय घोटालों, अवैध नियुक्तियों एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक १८-५-७६ को तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर परगनाधिकारी द्वारा अचानक की गई जांच, दिनांक २०-५-७६ को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई जांच एवं उपर्युक्त घोटालों से सम्बन्धित फाइलें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बी० ए० तथा एम० ए० की कक्षाओं का परीक्षाफल

*७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर तथा उदितनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना के बी० ए० (दोनों भाग) तथा एम० ए० का परीक्षाफल आज तक घोषित नहीं किया गया है जिससे एक हजार विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है ? यदि हां, तो शासन इस विषय में कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री काली चरण--

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

*९--श्री रियसत हुसैन --

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

इलाहाबाद जिले की सोरांव–होलागढ़ सड़क का निर्माण

*१०– श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोरांव–होलागढ़ सड़क इलाहाबाद में सात साल से बन रही है, पटरी पर ईंट बिछी ह जिससे मार्ग अवरुद्ध है। यदि हां, तो कब तक बनेगी और आज तक क्यों नहीं बनी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)––

सोरांव–होलागढ़ मार्ग का काम पूरा हो चुका है। पटरी पर ईंट नहीं बिछी है और सड़क पर रुकावट भी नहो है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषक विद्यालय इन्टर कालेज, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

*११––श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रवक्ता अर्थशास्त्र, श्री शिव शंकर सिंह, कृषक विद्यालय इन्टर कालेज, मार्टीनगंज, आजमगढ़ ने १६ अप्रल, १९७६ व दिनांक ७ जुन, १९७७ विद्यालय के भ्रष्टाचार निवारण के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं तत्कालीन आयुक्त एवं वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कोई आवेदन–पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसमें कौन–कौन से अधिकारी व कर्मचारी जुलाई, १९७६ के प्रथम सप्ताह में आडिट पार्टी के साथ जांच में विद्यालय पर गये थे और क्या–क्या अनियमितताएं पाईं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण––

जी हां। श्री शिव शंकर सिंह, अध्यापक, सदस्य प्रबन्ध समिति, कृषक विद्यालय इंटर कालेज, मार्टीनगंज, आजमगढ़ ने पत्र दिया है। निदेशालय से निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी विद्यालय पर जांच के सम्बन्ध में जुलाई १९७६ में गये थे:

१––श्री राम प्रसाद सक्सेना तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी।

२––श्री मारकन्डेय, ज्यष्ठ लेखा निरीक्षक।

३––श्री नन्द किशोर द्विवेदी, लेखा निरीक्षक।

४––श्यामलाल चड्ढा, लेखा निरीक्षक।

जांच में संलग्न तालिका के अनुसार अनियमितताएं पाई गईं। विद्यालय में व्याप्त अनियमिताओं के फलस्वरूप साधिकार नियंत्रक नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०६ पर)।

श्री दयाराम भास्कर––

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन लोगों के द्वारा अनियमितताएं पायी गयीं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण––

श्रीमन्, यह विद्यालय जो है यह प्राइवेट विद्यालय है। उन्होंने जो भी अनियमितताओं की जांच में जो पायी गयी, उसके फलस्वरूप प्रबन्ध समिति को

[श्री कालीचरण---]

समाप्त करके विद्यालय को साधिकार नियन्त्रक के हाथ में देने की व्यवस्था की जा रही है और इसके बाद साधिकार नियन्त्रक के माध्यम से उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री दयाराम भास्कर--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने जानबूझ कर विद्यालय को भारी क्षति पहुंचायी, कई प्रकार के छात्रों के और विकास के रुपये और अन्य प्रकार के रुपए को जो हड़प गये, १६ महीने हो रहे हैं जांच हुए, उसके बाद भी अभी तक यह कहा जा रहा है उसके लिए नियन्त्रक बैठाया जा रहा है, तो अभी तक नियन्त्रक क्यों नहीं बैठाया गया ?

श्री काली चरण--

साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति विद्यालय को नोटिस दिया जा चुका है । इसको और जल्दी होना चाहिए था, इसमें विलम्ब हुआ है । मैं आश्वासन देता हूं कि यह साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जाएगी ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

क्या जांच अधिकारी ने भयंकर वित्तीय गड़बड़ियां का उल्लेख किया है क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चालू करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

जो भी अनियमितताएं पायी गयी हैं, विद्यालय में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति हो जायेगी, तो जो भी वैध कार्यवाही होगी, की जाएगी ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आरोपों से गबन का मामला सिद्ध है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है । उनके विरुद्ध जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री काली चरण--

साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति के बाद जो भी वैध कार्यवाही होगी, की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

आडिट रिपोर्ट में प्रधानाचार्य और उन व्यक्तियों के खिलाफ जो दोषी पाये गये हैं क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, एक विशेष आडिट विद्यालय का कराया गया उसकी रिपोर्ट के आधार पर साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की जा रही है । अब उसका विश्लेषण कर लिया जायेगा और जो नियमानुकूल वैध कार्यवाही होगी, की जायेगी ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हाथ है और उन्हीं के दबाव के कारण आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं उत्पन्न होता है ।

प्राइमरी-जूनियर हाई स्कूल, ग्राम फूलबाड़ी, आगरा के अनुदान से संबंधित अनियमितता की जांच

*१२--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फूलवाड़ी, विकास खंड, फिरोजाबाद, जिला आगरा स्थित प्राइमरी-जूनियर हाई स्कूल को वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में कुल ४२,००० रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया था और क्या यह सही है कि इस धनराशि को फिरोजाबाद स्थित फर्जी किसी स्कूल में प्राप्त कर लिया जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा दिनांक १२ जनवरी, १९७७ को कराई गई, जो सत्य पाई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

उक्त विद्यालय को वर्ष १९७४-७५ एवं १९७५-७६ में कुल १८,१२५ रुपया क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत किया गया था । यह अनुदान श्री हरि ओम शर्मा, प्रबंधक, जूनियर हाई स्कूल, फूलवाड़ी द्वारा प्राप्त किया गया है । जिलाधिकारी, आगरा के पत्र दिनांक १२-१-७७ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिये गए शैक्षिक आदेशानुसार शिक्षा अधीक्षक, नगरमहापालिका, आगरा द्वारा जांच कराई गई । उनकी आख्या में प्राशासनिक अनियमितता बतई गई ।

उक्त अनियमितता के फलस्वरूप श्री हरि ओम शर्मा, प्रबन्धक (परिषदीय सहायक अध्यापक) को सम्प्रति निलम्बित कर दिया गया है और उस विद्यालय निरीक्षक, आगरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा विभागीय अधिकारियों को दोषी निश्चित करने के निमित्त जांच की जा रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका के शिक्षा अधीक्षक की रिपोर्ट में क्या संस्तुतियां की गयी हैं ?

श्री काली चरण--

शिक्षा अधीक्षक, नगर पालिका ने जो आख्या भेजी है, उसमें बताया गया है कि चेतना सेवा संस्थान एक रजिस्टर्ड संस्था है । श्री हरि ओम शर्मा द्वारा संचालित निम्नलिखित विद्यालय बताये गये हैं :--

१--प्राइमरी स्कूल, फूलवाड़ी, फिरोजाबाद, आगरा ।

२--जूनियर हाई स्कूल, फूलबाड़ी, फिरोजाबाद, आगरा ।

३--कन्या प्राइमरी स्कूल, चन्दवारगेट, फिरोजाबाद, आगरा ।

४--कन्या जूनियर हाई स्कूल, चन्दवार गेट, फिरोजाबाद, आगरा ।

५--चेतना सेवा संस्थान प्राइमरी स्कूल, चन्दवारगेट, फिरोजाबाद, आगरा ।

जांच के दौरान इन विद्यालयों में निम्नलिखित सोसाइटी के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न पांच विद्यालयों की मान्यतायें प्राप्त करना :

२--प्रभूत को एक ही सम्पत्ति को भिन्न-भिन्न पांच विद्यालयों में दिखा कर मान्यता प्राप्त करना ।

३--सुरक्षित कोष में १,००० रु० को एक ही धनराशि को भिन्न-भिन्न पांच विद्यालयों में लिखाया जाना ।

४--विद्यालय की स्थिति प्रत्येक वर्ष अलग-अलग दिखा कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर लेना ।

५--विद्यालय के नाम तथा स्थान में परिवर्तन करके प्रत्येक वर्ष दिखाना ।

शिक्षा अधीक्षक, नगर पालिका, फिरोजाबाद, आगरा को आख्या प्राप्त करने के उपरान्त श्री हरि ओम शर्मा (बेसिक परिषदीय अध्यापक) प्रबन्धक को अध्यापक पद से दिनांक २१-६-७७ को निलम्बित कर दिया गया है और उप विद्यालय निरीक्षक, आगरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । इस कार्य में संलग्न जो भी विभागीय अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ जांच करने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी को जानकारी है कि उसमें प्रेम नारायण शर्मा ने भी हस्ताक्षर करके काफी धन प्राप्त किया है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

जो १८ लाख रुपये के लगभग अनुदान दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, तो क्या सरकार इतना ही रुपया अपने कोष से देने के लिए तैयार है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, वह संस्था के प्रबन्धक थे । उन्होंने जब राज्य सरकार से एक बार अनुदान प्राप्त कर लिया, तो दुबारा क्षतिपूर्ति के रूप में अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह विद्यालय हरिजनों का विद्यालय है । फूलबाड़ी स्थित इस विद्यालय को १६७१ में जाटव नवयुवकों ने खोला था । यहां की आबादी ४,००० है । वही लोग उसके प्रबन्धक थे । तब हरि ओम शर्मा ने ४२,००० रु० अनुदान के रूप में किस प्रकार ले लिया ? उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

एस० बी० इन्टर कालेज, मथुरा के अनुसूचित छात्रों का छात्रवृत्ति सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*१३--श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० बी० इन्टर कालेज, बिसावर, मथुरा ने १९७१-७२ से १९७४-७५ तक की अनुसूचित छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्ति की जाल: रसीद बनाकर स्वयं ले ली ? क्या इस आशय की शिकायत हलफनामें के साथ तीन अनुसूचित छात्रों ने कालेज के प्रशासक ए०० डी० एम०, सादाबाद को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

जी हां, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

आपातस्थिति में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का नसबन्दी से सम्बन्धित स्थानान्तरण

*१४--श्री दयाराम भास्कर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत कांग्रेसी शासन में आपात-स्थिति के दौरान २५ जून, १९७५ से ३१ दिसम्बर, १९७६ तक कुल कितने अध्यापक नसबन्दी न कराने तथा अन्य लोगों को नसबन्दी न कराने के कारण सेवा-मुक्त और स्थानान्तरित कर दिए गए हैं ? क्या सरकार इसका पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

इस आधार पर माध्यमिक स्तर तक तथा राजकीय डिग्री कालेजों के किसी भी अध्यापक को सेवा मुक्त नहीं किया गया । बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के ६,८२३ अध्यापकों के स्थानान्तरण इस अवधि में किये गये, जिनकी जनपदवार संख्या की तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९११ पर) ।

श्री दयाराम भास्कर--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के जिन ४८४ लोगों का स्थानान्तरण हुआ था, उनमें से कितनों को उनके पूर्व स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और कितने अभी बाकी हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, आजमगढ़ जनपद के ४८४ लोगों का स्थानान्तरण किया गया था, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापक और अध्यापिकायें शामिल थे । उन्हें या तो उन्हीं स्थानों पर या वांछित स्थानों पर पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री दशरथ सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि विभिन्न जिलों में एस० डी० अ ईज ने अपने हस्ताक्षरों से मोग्रत्तल करने के आदेश दिए हैं, खास कर गोंडा जिले में और फिर रुपया लेकर उन अध्यापकों को बहाल किया गया है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

*१५--श्री राम नरेश पाण्डेय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया] ।

लिफ्ट सिंचाई प्रखन्ड, कानपुर के कर्मचारियों के नये वेतनमान के अवशेष का भुगतान

*१६--श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ) तथा श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई प्रखन्ड, कानपुर के कर्मचारियों को अगस्त, १६७२ के बढ़े हुए वेतन--ानों के एरियर का अब तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उसका भुगतान जल्द से जल्द कर ने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

केवल तीन कर्मचारियों को छोड़ कर प्रश्नगत खंड के समस्त कर्मचारियों को बढ़े हुये वेतनमानों के एरियर का भुगतान कर दिया गया है ।

सेवा पुस्तकाओं की प्रविष्टियां अपूर्ण होने के कारण उक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में विलम्ब हुआ । अब इनका वेतन निर्धारित हो चुका है और एरियर के बिलों को प्री-आडिट करा कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

सुल्तानपुर जिले की प्राइमरी पाठशाला मिश्रौली के प्रधानाध्यापक, श्री राम अभिलाष वर्मा का स्थानान्तरण

*१७--श्री बृजलाल (जिला सुल्तानपुर), श्री हरिचन्द्र यादव (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री राम बरन वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला मिश्रौली, शिक्षा-क्षेत्र जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर के प्रधानाध्यापक (श्री राम अभिलाष वर्मा) का स्थानान्तरण १५ दिन के अन्दर दो बार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

परिवार नियोजन को प्रोत्साहन/हतोत्साहन की पूर्व नीति के निराकरण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर ने श्री राम अभिलाष वर्मा को मिश्रौली से पुरखोपुर तथा श्री राजनारायण मिश्र को उधरपुर से मिश्रौली दिनांक १५-७-७७ को स्थानान्तरित किया किन्तु बाद में यह ज्ञात होने पर कि श्री राज नारायण

नोट--नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मिश्र ६ मास पूर्व मिश्रौली में १२ वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् ने अपने आदेश दिनांक ४-८-७७ द्वारा श्री राम अभिलाष वर्मा का मिश्रौली से स्थानान्तरण निरस्त कर दिया। तत्पश्चात कुछ भ्रमवश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक १२-८-७७ के द्वारा पुनः श्री राम अभिलाष वर्मा का मिश्रौली से पुरखीपुर स्थानान्तरण कर दिया किन्तु पूर्ण स्थिति का परीक्षण करने के पश्चात सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् ने दिनांक ६-१०-७७ को तार द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर को आदेश दिया है कि श्री राम अभिलाष वर्मा को प्राइमरी पाठशाला मिश्रौली में ही रहने दिया जाय।

टी० डी० कालेज, जौनपुर की प्रयोगात्मक परीक्षा

*१८--श्री विद्याशंकर--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जिसकी परीक्षाएं मार्च, अप्रैल, ७७ में सम्पन्न हुयी उससे सम्बन्धित प्रयोगात्मक परीक्षाएं (५ मास बीत जाने पर) अभी तक नहीं हुई जिसके कारण परीक्षाफल नहीं घोषित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

टी० डी० कालेज, जौनपुर के बी० ए० भाग-१ व २ के संगीत विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा को छोड़ कर शेष प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा के तुरन्त बाद हो गयी थी। केवल ४ परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा अभी सम्पन्न नहीं हुई हैं जिसके कारण इनके परीक्षाफल घोषित नहीं किये गये।

जिलाधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में बेसिक शिक्षाअधिकारी के विरुद्ध स्वीकृत निन्दा का प्रस्ताव

*१९--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि क्या सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक २२ अगस्त, १९७७ को बलिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जन-प्रतिनिधियों की बैठक में जनपदीय बेसिक शिक्षा अधिकारी (श्री रघुनाथ सिंह) ने अशिष्ट एवं असंसदीय व्यवहार किया, जिससे बैठक ने उनके विरुद्ध निन्दा करते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

जी हां, जनपद की विभिन्न समस्यायों पर विचार विमर्श हेतु दिनांक २२-८-७७ को जिलाधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुयी थी जिसमें तत्तकालीन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, श्री रघुनाथ सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के स्थानान्तरण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सिंह के प्रति जांच होने की बात कही गयी इस पर श्री सिंह द्वारा ऊंचे स्वर में कहा गया कि अवश्य जांच की जाय। श्री सिंह की इस अभिव्यक्ति पर अध्यक्ष को एक निन्दा प्रस्ताव दिया गया। अध्यक्ष ने श्री सिंह को मौखिक रूप से सचेत किया तथा लिखित रूप में भी उन्हें भविष्य में विधायकों के प्रश्न का उत्तर शिष्टता एवं गम्भीरता से देने के लिये सचेत किया गया।

सरजू पम्प नहर योजना बहराइच के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२०--श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरजू पम्प नहर योजना जनपद बहराइच के अन्तर्गत कार्यरत किन्हीं अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई आरोप-पत्र माह जुलाई व अगस्त, १९७७ के भीतर सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो वे आरोप-पत्र क्या है और सरकार ने उनपर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलवीर सिंह--

सरजू पम्प नहर परियोजना, जनपद बहराइच में कार्यरत एक अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिनांक २४ जुलाई, १९७७ का अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य शिकायतें-अन्तिम भुगतान हेतु प्रत्येक ठेकेदार से १०० रु० मांगना, मस्टर रोल द्वारा ८,००० रु० का गबन २०० रु० रेमजिन्ग राड की फर्जी सप्लाई द्वारा ६,००० रु० का गबन, सीमेन्ट के स्टोर से हर बोरी से सीमेन्ट निकाल कर दूसरी बोरी तैयार करना है। शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, बहराइच के विरुद्ध कथित आरोप-पत्र

*२१--श्री गजाधर प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (नलकूप), बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई आरोप-पत्र माह जुलाई व अगस्त, १९७७ के भीतर सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं तथा सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर में हाई स्कूल एवं डिग्री कालेज खोले जाने तथा राजकीय बालिका उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, ताल बेहट के उच्चीकरण की मांग

*२२--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात पर विचार करते हुए कि जिला ललितपुर बहुत पिछड़ा हुआ है ; इसलिए बार, बिरछा जखौरा, मण्डवारा ब्लाक प्रमुख केन्द्रों और ग्राम बानपुर, जाखलौन और कल्याणपुर में हाई स्कूल खोलने पर तथा तहसीलों के प्रमुख केन्द्रों तालबेहट और महरानी में डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

*२३--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट, जिला ललितपुर के नागरिकों का प्रार्थना पत्र जिसमें उन्होंने राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तालबेहट में बालिकाओं की शिक्षा सुविधा हेतु इन्टर कक्षाएं खोलने की प्रार्थना की थी ? उक्त प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय विधायक ने दिनांक १३ जुलाई, १९७७ को दिया था, उसपर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण--

जी हां। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तालबेहट को इन्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गांधी इण्टर कालेज, देवरिया का आडिट

*२४--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के श्री गांधी इन्टर कालेज, हाटा के कोष का आडिट इन्सपेक्शन दो वर्षों के अन्दर हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी अनियमितताएं पायी गईं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण--

प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई गई। अतः विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

बलिया जिले में टोंस नदी के पियराघाट पुल पर यात्री कर की वसूली

*२५--श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला बलिया)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया उजियार घाट मार्ग के टोंस नदी पर बने पियराघाट पुल पर अभी भी यात्री कर लिया जा रहा है जब कि उस पुल की पूरी लागत विभाग द्वारा १९७६ तक वसूल हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपया बताएगी कि इस पुल पर अभी कितना रुपया वसूल होना बाकी है ? यदि लागत वसूल हो चुकी है, तो यह किस तिथि को वसूल हुई और अब अग्रेतर वसूली होने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां, पूरी लागत अभी वसूल नहीं हुई है। अगस्त, १९७७ तक रुपया ८,२०,११४·३४ वसूल होना बाकी है। अग्रेतर वसूली रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

कला एवं शिल्प महा विद्यालय का लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीनीकरण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतनमान

*२६--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला आजमगढ़), श्री डी० पी० बोरा तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि स्थानीय राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय का शासनादेश सं० २८२५१/चार-१(९८)-७१, दिनांक २५-४-७७ द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीनीकरण कर दिया गया

है ? क्या यह भी सत्य है कि महाविद्यालय के प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं लेक्चरर को स्थानीय मेडिकल कालेज के समकक्ष उच्च वेतनमान दिए गए हैं और उक्त शासनादेश के पैरा नं० ३ में दिए गए प्रविधान के बावजूद भी महाविद्यालय के शेष ८१ प्रतिशत शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को स्थानीय मेडिकल कालेज की भांति वेतन-मान नहीं दिये जा रहे हैं अपितु उन्हें राजकीय सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

स्थानीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय का लखनऊ विश्वविद्यालय में २७ फरवरी, १६७३ के शासनादेश द्वारा विलीनीकरण हुआ है ।

यह सत्य है कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों और लेक्चररों को उनके लखनऊ विश्वद्यालय की सेवा में सविलीन होने के दिन से क्रमशः स्थानीय मेडिकल कालेज के प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के समकक्ष वेतनमान दिये गये हैं ।

बाकी स्टाफ के विषय में सिद्धांतः निर्णय लिया गया है कि उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा में सविलीन होने पर स्थानीय मेडिकल कालेज के समकक्ष पदों के अनुरूप वेतनमान दिये जायेंगे जो किसी भी दशा में उससे कम नहीं होंगे जो उन्हें शासन के अन्तर्गत मिल रहे हैं । विभिन्न पदों के वेतनमान के निर्धारण के प्रश्न पर अभी शासन में विचार हो रहा है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किये जाने का आदेश

*२७--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि अप्रैल, १६७४ में लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में हुई आठ प्रवक्ताओं-सर्वश्री एम० डी० कपूर, एस० के० कपूर आदि की नियुक्तियां माननीय हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच के दिनांक ११ दिसम्बर, १६७४ के आदेश द्वारा अनियमितताओं के आधार पर रद्द कर दी गई थं ? क्या यह सही है कि अगले ही दिन उन अनियमितताओं को दूर किए बिना पुनः उन्हीं प्रवक्ताओं को नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त अनियमित नियुक्तियों को रद्द करा कर पुनः चयन कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण--

मार्च, १६७४ में विधि संकाय में तदर्थ प्रवक्ता के रूप में छः व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई थीं जिनमें से एक ने पद ग्रहण नहीं किया । यह नियुक्तियां माननीय हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर रद्द कर दी गई थी। उन्हें पुनः नई तदर्थ नियुक्तियां कुलपति द्वारा दी गई । कुलपति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत पुनः नई तदर्थ नियुक्तियां करने का अधिकार है ।

[दिनांक १२ अक्तूबर, १६७७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

पिंडरा ब्लाक, जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर में नलकूप निर्माण किये जाने सम्बन्धी-पत्र

*१--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर के सभी गांवों में सिंचाई की सुविधा हेतु राजकीय ट्यूबवेल

लगाने का संजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या उस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र-सिंचाई मन्त्री को १५ जुलाई, १९७७ को दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

पिंडड़ा ब्लाक में नंद नदी के उत्तर में ७ राजकीय नलकूप लगे हैं । शेष क्षेत्र के अधिकतर भाग में शारदा सहायक परियोजना की नहरें प्रस्तावित है । जो क्षेत्र इन नहरों के कमाण्ड में नहीं आवेंगे, उनमें नलकूप के लगाने पर विचार किया जावेगा ।

जी हां । पत्र में उल्लिखित ग्रामों के सर्वेक्षण करने के लिए आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिय गये हैं ।

वाराणसी जिले के कुंडी नाला पर कनियर ग्राम के पुल निर्माण की मांग

*२—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुंडी नाला, ब्लाक बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी में गांव कनियर के पास एक पुल सन् १९७४ से मंजूर हुआ है और सिंचाई विभाग (नहर), वाराणसी ने एक इस्टीमेट पचहत्तर हजार रुपए का बना कर सरकार को भेज रक्खा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने सिंचाई मन्त्री को १६ जुलाई, १९७७ को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

कुंडी नाला पर ब्लाक बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी में गांव कनियर के पास पुल बनाने का प्राक्कलन सन् १९७४ में स्वीकृत नहीं हुआ था । इस विषय पर दिनांक १६ जुलाई, १९७७ का प्रश्नकर्त्ता का पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है । इस कार्य के प्राक्कलन की लागत ६०,००० रु० थी । उक्त प्राक्कलन राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को प्रस्तुत हुआ, जिसे इस समिति ने अस्वीकृत कर दिया ।

देहरादून जिले के सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश के विरुद्ध कु० अरुन लता की बेइज्जती किए जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र तथा सहायक अभियन्ता की सेवा समाप्ति एवं पुनर्नियुक्ति

*३—श्री सुरपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि आपातकाल के दौरान ४ जून, १९७६ को एक गरीब विधवा श्रीमती सुशीला देवी, निवासी ऋषिकेश, जिला देहरादून ने तत्कालीन मुख्य मन्त्री तथा सिंचाई मन्त्री को शिकायती-पत्र भेजकर ऋषिकेश में तैनात सिंचाई विभाग के एक सहायक अभियन्ता (सिविल) के चरित्र के विरुद्ध अपनी युवा पुत्री कुमारी अरुनलता की, की गई बेइज्जती की शिकायत लिखी थ, जिसकी विभागीय जांच सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता, ऋषिकेश द्वारा की गई और आरोप-सत्य सिद्ध हो जाने के कारण इस सहायक अभियन्ता की सेवायें अगस्त, १९७१ में समाप्त कर दी गई थी ?

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमती सुशीला देवी का ४ जून, १९७६ का शिकायती-पत्र सरकार को मिला था । इससे पूर्व इन्हीं से एक शिकायती-पत्र दिनांक २० अप्रैल, १९७६ भी

प्राप्त हुआ था, जिस पर मुख्य अभियन्ता की आख्या प्राप्त की गई । जांच आख्या से यह निष्कर्ष निकला कि सहायक अभिन्ता का कार्य तथा चाल-चलन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । सहायक अभियन्ता को तदर्थ रूप से नियुक्त किया था, अतः इनकी सेवाओं की शासन को आवश्यकता न होने पर तत्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी गई थी । इनको सेवा समाप्त करने के आदेश २४ अगस्त, १९७६ को जारी किए गए थे ।

*४--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या यह सही है कि तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने सितम्बर, १९७६ में उस सहायक अभियन्ता को सिंचाई विभाग में दोबारा नियुक्त कर दिया हालांकि उस सहायक अभियन्ता की सेवायें एक बार पहले भी मई, १९७५ में सन् १९७३, १९७४ की वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टि में अंकित दुराचरण, अनुशासनहीनता, उत्तर-दायित्वहीनता, कर्त्तव्यहीनता के कारण समाप्त की जा चुकी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट में अंकित चरित्रहीनता की रोशनी में उस सहायक अभियन्ता की सेवायें अन्तिम रूप से तुरन्त समाप्त करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, शासन देश दिनांक २३ सितम्बर, १९७६ द्वारा सहायक अभियन्ता की सेवायें समाप्त करने का नोटिस वापस ले लिया गया । इसके पूर्व भी उनकी सेवायें मई, १९७५ में समाप्त की जा चुकी थीं । सितम्बर, १९७५ में इन्हें पुनः नियुक्त किया गया था ।

इस समय सहायक अभियन्ता की सेवायें समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण की मांग

*५--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह पता है कि प्रदेश में प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सितम्बर सन् १९७६ के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए प्रधानाचार्यों को अब तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां । इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों में मान्यताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन एवं नियुक्ति की व्यवस्था होने और इन पदों को अध्यापकों की पदोन्नति द्वारा करने की व्यवस्था न होने के कारण इन विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए प्रधानों की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम दास मौर्य, उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों-पत्रों की जांच

*६--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला उप-विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर (श्री मौर्य) के विरुद्ध वर्ष १९७७ में ३१ जुलाई तक कितनी शिकायतें, भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं शासकीय धन के दुरुपयोग सम्बन्धी मिली एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

चार शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। उन पर जांच कराई गई, किन्तु श्री राम दास मौर्य उप-विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

*७--श्री हरि केवल प्रसाद तथा श्री मोहन सिंह--

[२८ सितम्बर, १९७७ को तारांकित प्रश्न संख्या १७ द्वारा उत्तरित।]

*८--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया इलाहाबाद बोर्ड की हाई स्कूल का परीक्षाफल एवं व्यय में कमी

*९--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद बोर्ड १९७६-७७ की हाई स्कूल परीक्षा के कितने छात्रों का परीक्षाफल कम्प्यूटर से तैयार कराय है तथा उस पर कुल कितना व्यय हुआ है और इसके द्वारा तैयार परीक्षाफल में प्रति छात्र व्यय शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए परीक्षाफल के प्रति छात्र व्यय से कितना अधिक या कम है तथा दोनों परीक्षाफलों में गलतियों का अपेक्षाकृत प्रतिशत क्या है ?

श्री काली चरण--

१९७६-७७ की हाई स्कूल परीक्षा में २,२०,००० छात्रों का परीक्षाफल कम्प्यूटर से तैयार कराया गया। उस पर अब तक ७,७८,९०२·७१ रु० व्यय हो चुका है और इसी सम्बन्ध में अभी ४३,१९५·२५ रु० और व्यय होने का अनुमान है।

कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए परीक्षाफल में प्रति छात्र व्यय मानव निर्मित परीक्षाफल के प्रति छात्र व्यय से २४ पैसे कम है।

कम्प्यूटर निर्मित परीक्षाफल में गलतियों का प्रतिशत शून्य है तथा मानव निर्मित ४,८२,४२३ छात्रों के हाई स्कूल परीक्षाफल में परिशुद्धन स्तर पर ४,२६३ त्रुटियां मिलीं, जिनका प्रतिशत ·०९ है। तदुपरान्त इन छात्रों के परीक्षाफल की घोषणा के उपरान्त अन्तिम जांच स्तर पर ८७१ त्रुटियां और मिलीं, जिनका प्रतिशत ·०२ है।

देहरादून जिले की रिसपना नदी के पुल पर पुल टैक्स की वसूली

*१०--श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिसपना नदी, देहरादून पर निर्मित पुल पर दिनांक २० अगस्त, १९७७ तक कितना पुल टैक्स वसूल हो चुका है तथा कितना टैक्स वसूल होना बाकी है ? बकाया टैक्स के कब तक वसूल होने का अनुमान है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*११-१२--श्री मैनेजर सिंह तथा श्री कल्पनाथ सिंह--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ के लेखा संगठन के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

*१३--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ के लेखा संगठन के २२ कर्मचारियों को माह मार्च, १९७७ का एक महीने का वेतन नहीं दिया गया है जबकि क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ ने कर्मचारियों से काम लेने के बाद समय-समय पर शासन को अवगत कराया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ के लेखा संगठन के २२ कर्मचारियों, जिनकी अस्थायी नियुक्ति दिनांक २८ फरवरी, १९७७ तक के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध थी, की सेवायें उक्त तिथि को ही समाप्त कर दी गई थीं । प्राप्त सूचना के आधार पर उनमें से कुछ कर्मचारियों ने स्वेच्छा से बिना शासन की स्वीकृति एवं बिना किसी नियुक्ति आदेश के, शासन की, स्वीकृति की प्रत्याशा में, मार्च, १९७७ में कार्य किया था । पदों की शासकीय स्वीकृति एवं औपचारिक नियुक्ति आदेश के अभाव में उक्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानकर उनके वेतन का भुगतान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*१५--श्री राधेश्याम वर्मा--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की इमारत की मरम्मत में कथित अनियमितता

*१६--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९७० की बाढ़ के बाद राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की वहां की पुरानी

इमारतों की छतें जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खतरनाक घोषित की थीं, शासन ने उसकी मरम्मत हेतु १,३१,००० रुपए स्वीकृत किए थे ? क्या यह सही है कि इस धन से केवल भवनों की छतों पर तारकोल मिश्रित टाट की पट्टियां चिपकवाई गईं तथा दीवारों पर ५-६ फिट प्लास्टर करवाया गया और घटिया तथा निश्चित मात्रा से कम मसाला लगाकर प्लस्टर करवाया गया ? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

इन धनराशि से कमरों की टूटी Arches में नए टाइराड्स लगाए गए, छतों एवं दीवारों की दरारों को मसाले से भर गया एवं इन पर प्लास्टर किया गया । बाढ़ की सीलन से क्षतिग्रस्त प्लास्टर तोड़कर ६ फुट ऊंचाई तक प्लास्टर किया गया व छतों पर टारपेन्टिंग की गईं । पुराने फर्शों को निकालकर नए फर्श सीमेन्ट कान्क्रीट के नीचे बालू भर कर बनाये गये तथा भवन की रंगाई-पुताई की गई ।

इसकी जांच टेक्निकल आडिट सेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई गई थी और मसाला सन्तोषजनक पाया गया।

प्रसार अध्यापकों का मांग-पत्र

*१७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रसार अध्यापकों का कोई शिष्ट मन्डल उनसे अगस्त, १९७७ में किसी दिन मिला तथा उसने कोई मांग-पत्र भी दिया ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं तथा उनको स्वीकार किए जाने के बारे में शासन की क्या नीति है ?

श्री काली चरण--

जी हां । मांगों की सूची संलग्न है । मांगों के प्रति शासन की नीति सहानुभूति पूर्ण है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१४ पर ।)

*१८--श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

[८ सितम्बर, १९७७ को वक्तव्य होने के आधार पर निरस्त ।]

फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी पर राजघाट के पुल-निर्माण की मांग

*१९--श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत गंगा नदी के राजघाट पर पक्का पुल बनवाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं । धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है ।

सीतापुर जिले के प्रसार अध्यापकों (एक्सटेन्शन टीचर्स) की मांगें

*२०--श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सीतापुर जनपद के एक्सटेन्शन टीचर्स ने दिनांक ६ अगस्त, १९७७ को स्ट्राइक कर दिया ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री काली चरण--

सीतापुर जनपद के प्रसार शिक्षकों (एक्सटेन्शन टीचर्स) ने गत ६ अगस्त को प्रतीक अनशन किया था । उनकी मांगों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१४ पर)

*२१--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*२२--श्री नारायण सिंह भंसोरा--

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले के मिश्रौली--आधारछपरा--बड़हरा सड़क के निर्माण की मांग

*२३--श्री पुरुषोत्तम कौशक--

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद की पडरौना तहसील में मिश्रौली बाजार से मैलानगरी सिरसिया, आधारछपरा बड़हरा होकर चार किलोमीटर सड़क के निर्माण के अभाव में हजारों ग्रामीणों को यातायात की घोर असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त लिंक रोड का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब तक करा दिया जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मार्ग के अभाव में असुविधा होना स्वाभाविक है । यह कच्चा मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है, अतः विभाग द्वारा इसको बनाने का सवाल नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन वृद्धि की धनराशि का भुगतान

*२४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन में वर्ष १९७३ में २० प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक जो अन्तरिम वृद्धि की गई थी, क्या उसका भुगतान अध्यापकों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस वर्ष तक का भुगतान नहीं किया गया है तथा क्यों ?

श्री काली चरण--

वर्ष १९७३ में अध्यापकों के वेतन में २० प्रतिशत से ३० प्रतिशत की अन्तरिम वृद्धि नहीं की गई थी वरन् वर्ष १९७४ में क्रमशः २४ प्रतिशत, २८

प्रतिशत तथा ३२ प्रतिशत की तीन किस्तें स्वीकृत की गई थीं । नगर क्षेत्र विसवां तथा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को निम्नांकित अवधि की उनके समक्ष अंकित किस्तों को छोड़कर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की समस्त किस्तों का भुगतान कर दिया गया है :--

(१) ग्रामीण क्षेत्र .. १ अप्रैल, १९७४ से ३१ मार्च, १९७५, २४ प्रतिशत की किस्त ।

१ जून, १९७७ से ३१ अगस्त, १९७५, २८ प्रतिशत की किस्त ।

१ जुलाई, १९७४ से ३० अप्रैल, १९७६ तक ३२ प्रतिशत किस्त ।

(२) नगर क्षेत्र, विसवां .. १ जुलाई, १९७४ से ३१ अगस्त, १९७४, ३२ प्रतिशत की किस्त ।

कार्याधिक्य के कारण अभी तक उक्त अवशेष भुगतान सम्भव नहीं हो सका ।

*२५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[११वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर राशनिंग विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

*२६--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६८ में कानपुर राशनिंग विभाग से छटनी किए गए कितने कर्मचारी कार्य पर रख लिए गए तथा कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कानपुर राशनिंग विभाग के छटनी शुदा हैं और कार्य प्राप्त करने हेतु सरकार के पास प्रार्थना-पत्र १९७६ तथा अगस्त, १९७७ को प्रस्तुत कर चुके हैं ? अब तक कार्य पर न लगाने का क्या कारण है ?

श्री हरिश चन्द्र--

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कानपुर राशनिंग की समाप्ति पर छटनी किए गए लगभग १७५ कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य पर रखे गए थे । कानपुर राशनिंग के छटनी शुदा किसी कर्मचारी ने कार्य प्राप्त करने हेतु शासन को वर्ष १९७६ तथा अगस्त, १९७७ में प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है ।

*२७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताएगी कि जिन कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र कार्य प्राप्त करने हेतु सरकार के विचाराधीन हैं, उनको पुनः पैतृक विभाग (पूर्ति) में कार्य दिए लगाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक यह आदेश प्रसारित कर जाएंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश चन्द्र--

प्रश्न नहीं उठता ।

*२८--श्री हरिपाल सिंह शास्त्री--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*२९--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

शारदा सहायक खण्ड-१९ बाराबंकी में अतिरिक्त भुगतान की धनराशि के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*३०--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७४ में शारदा सहायक परियोजना डिवीजन १९ में करीब १२ लाख रुपए का अवैध एवं अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक दोषी व्यक्तियों को दन्डित करने के लिए क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । शारदा सहायक खन्ड-१९, बाराबंकी में ५,८६,९२९.०० रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला जानकारी में आया है । अधिक भुगतान से सम्बन्धित २ अधिशासी अभियन्ता, ३ सहायक अभियन्ता, ३ अवर अभियन्ता तथा १ लेखाकार के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के स्थायीकरण सम्बन्धी कथित ज्ञापन

*३१--श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर), श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर), डाक्टर आश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री शंकर सिंह (जिला जालौन), श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन) श्री बाबूराम शुक्ल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ जुलाई, १९७७ को कानपुर जनपद के विधायकों ने जो ज्ञापन कानपुर विश्वविद्यालय के तदथ नियुक्त अध्यापकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में दिया था क्या उस पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो सरकार के समक्ष क्या बाधायें हैं ?

श्री काली चरण--

प्रश्न में उल्लिखित कानपुर जनपद के विधायकों का कथित ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३२--श्री बिहारी लाल हंस--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

पंचायत उद्योगों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राइमरी पाठशालाओं में टाट-पट्टियों की आपूर्ति

*३३--श्री दशरथ सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश में प्राइमरी पाठशाला के लिए टाट-पट्टियां पंचायत उद्योग से खरीदने के शासन के आदेश हैं ? किन्तु उसे पंचायत उद्योग सप्लाई नहीं कर पाता ? जिसके कारण प्राइमरी पाठशालाओं में पूरे वर्ष बिना टाट-पट्टी के ही कार्य होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार कर कोई ऐसा तरीका निकालेगी, जिससे प्राथमिक पाठशाला में टाट-पट्टी की समस्या का समाधान हो सके ?

श्री काली चरण--

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के लिये टाट-पट्टियां सम्बन्धित जिले के पंचायत उद्योग से सम्बन्धित जिले में उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती जिले के पंचायत उद्योगों से क्रय करने के शासन के आदेश हैं। निकटवर्ती जिले में भी पंचायत उद्योग से उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित जिले के अथवा निकटवर्ती जिले के लघु उद्योग से स्टोर परचेज नियमों के अनुसार क्रय किये जाने के शासन के आदेश हैं। पाठशालाओं में टाट-पट्टी न होने का कारण पंचायत उद्योगों द्वारा सप्लाई न किया जाना नहीं है वरन् धनाभाव है।

*३४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[११वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३५--३६--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[८वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा जिले में बाढ़ के पानी के निकासी हेतु लगाये गये पम्पिंग सेट

*३७--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में इस वर्ष बाढ़ का पानी निकालने के लिए कितने पम्पिंग सेट लगाए गए और कितने पम्पिंग सेट बाढ़ का पानी निकालने में सफल रहे ?

श्री बलवीर सिंह--

मथुरा जनपद में बाढ़ का पानी निकालने के लिये इस वर्ष २२ पम्प सिंचाई विभाग द्वारा तथा ३० पम्प जल निगम द्वारा लगाये गये। इनमें से एक पम्प को छोड़कर सभी पम्प बाढ़ का पानी निकालने में सफल रहे।

*३८--श्री मन्नू लाल द्विवेदी--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३९--श्री हरीराम शाक्य--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद जिले की सिराथू तहसील के नहर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था

*४०--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सिराथू में नहरी क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए पानी अब तक न मिलने के कारण बहुत ही चिन्तित हैं ? यदि हां, तो सरकार उन किसानों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां। वहां रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत नहरें बनाकर सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था की गयी है।

प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी जिलों में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहरों का सर्वेक्षण

*४१--श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक सिंचाई नहर जो प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा वाराणसी जा रही है उसके पूर्व निर्धारित मार्ग को कई जगह परिवर्तित किया जा रहा है जिसमें शासन का लाखों रुपया व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा वाराणसी में बनाई जाने वाली नई नहरों के समरेखन को निर्धारित करने के लिए कई समरेखनों का सर्वेक्षण किया जाना है तथा जो समरेखन तकनीकी दृष्टि से सबसे उपयोगी होता है उसी समरेखन पर नहर का निर्माण किया जाता है। पूर्व निर्धारित समरेखन में परिवर्तन केवल तकनीकी दृष्टि से ही, यदि आवश्यक हो, तब किया जाता है। सर्वेक्षण में जो थोड़ा व्यय किया जाता है वह आवश्यक है ताकि कोई त्रुटि पूर्ण समरेखन स्वीकृत न हो जाये।

*४२--श्री मित्रसेन--

[५-१०-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या ४१ द्वारा उत्तरित]

एच० बी० टी० आई०, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी ज्ञापन

*४३--श्री बाबूराम शुक्ल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एच० बी० टी० आई०, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में १ सितम्बर, १९७७ को २१ माननीय विधायकों की ओर से कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो इस विषय पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां।

इस सम्बन्ध में संस्था की प्रशासकीय परिषद् के उपाध्यक्ष की एक सदस्यीय समिति की जांच करने के लिये नियुक्त कर दी गई है।

*४४--श्री जगदीश प्रसाद--

[८वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४५--श्री रियासत हुसैन--

[११वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४६--श्री जगदीश--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित।]

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों की पाठ्य-पुस्तक "इतिहास गा रहा है" के विरुद्ध शिकायत

*४७—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार का ध्यान प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़ाई जाने वाली तथा सरस्वती शिशु मंदिर प्रकाशन, निराला नगर, लखनऊ द्वारा प्रकाशित पुस्तक "इतिहास गा रहा है" के तृतीय संस्करण के प्रथम भाग में उल्लिखित तथ्यों की ओर गया है, जिसमें अकबर महान को कपटी तथा धर्मान्ध शासक बताया गया है ? क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि यह शिशु मंदिर अपने द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों तथा अपने कार्य-कलापों द्वारा संघ के सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुरूप भारतीय संस्कृति तथा इतिहास का विकृतिकरण करने की चेष्टा कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह देखते हुए कि यह अभी शिक्षा सत्र का प्रारम्भ है सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण—

हां, प्रश्न में संदर्भित पुस्तक "इतिहास गा रहा है" के प्रथम भाग के तृतीय संस्करण के पृष्ठ ७६ में मुगल वंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "यही वह परिवार था जिसमें अकबर जैसे कपटी व औरंगजेब जैसे धर्मान्ध पैदा हुए थे।"

ऐसी शिकायत मिली है। मान्यताप्राप्त विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तक ही पढ़ाने के नियम एवं विभागीय आदेश पहले से ही मौजूद हैं। इन आदेशों का कड़ाई से पालन किये जाने के लिए सम्बन्धित विद्यालयों को सचेत किया जा रहा है।

सतीश चन्द्र महाविद्यालय, बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*४८—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री बसन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में किए गए धन के गबन, दुरुपयोग, अवैध नियुक्तियों, आदि के सम्बन्ध में वर्ष १९७२ में बी० एन० गांगुली, उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा जांच रिपोर्ट और संस्तुतियां प्रेषित की गयी हैं और इस महाविद्यालय का स्पेशल आडिट वर्ष १९७६-७७ में हुआ है जिसमें गम्भीर त्रुटियां पाई गई हैं ? यदि हां, तो उप निदेशक जांच रिपोर्ट संस्तुति और आडिट की आपत्तियां एवं संस्तुतियों को कब से सरकार लागू करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां। स्पेशल आडिट आख्या प्राप्त होने पर कथित त्रुटियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और तभी उस आख्या के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की 'मार्ग निधि' द्वारा धनराशि का वितरण

*४९—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर) तथा श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश मार्ग निधि के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को पिछली पांच वर्षीय योजना के पांच

वर्षों का औसत आय के आधार पर धनराशि वितरित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या वे उत्तर प्रदेश मार्ग निधि को वर्ष १९७५-७६ की आय के आधार पर वर्ष १९७७-७८ के लिए बढ़ी हुई धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

उत्तर प्रदेश मार्ग निधि से पिछली पंच वर्षीय योजना के तीन वर्षों की औसत आय के आधार पर धनराशि दी जा रही है । यह फैसला वर्ष १९७८-७९ तक के लिये है ।

*५०--अब्दुल हफीज--

[६ठें शुक्रवार को तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५१--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

*५२--श्री रमाशंकर कौशिक--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

*५३--श्री जयराम--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

सहायक निरीक्षिकाओं, बालिका विद्यालय का लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार

*५४--श्री रामरतन सिंह (जिला सीतापुर)--

क्या यह सत्य है कि मार्च, १९७६ में सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पद के चयन हेतु बोर्डिंग टेस्ट लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा लेकर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार मई और जुलाई, १९७७ में किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या चयन की गयी अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित कर दी है ?

श्री काली चरण--

जी हां । मई और जून, १९७७ में साक्षात्कार किया गया था ।

जी नहीं ।

*५५--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[७व शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५६-५७--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५८-५९--श्री राम गोविन, श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री मन्नूराम--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

*६०--श्री कल्पनाथ सिंह--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६१--श्री देव कुमार--

[८वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री० सी० वी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*६२--श्री देव कुमार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, झांसी (श्री सी० वी० अग्रवाल) के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक २५-८-७७ का अध्यक्ष, जनता पार्टी, बांदा की संस्तुति के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और क्या सरकार सतर्कता विभाग से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । इस शिकायती-पत्र में निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :--

(१) श्री अग्रवाल रिश्वत खोरी करने के लिये एक टीम बनाये हुये हैं । यह जहां कहीं भी जाते हैं, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, लिपिक, चपरासी और ड्राइवर आदि को स्थानान्तरित कराकर अपने खण्ड में नियुक्त करा लेते हैं, जिनके साथ यह पहले से लाखों रुपये का घोटाला कर चुके हैं ।

(२) श्री अग्रवाल सहायक अभियन्ताओं तथा अवर अभियन्ताओं के कामों में हेराफेरी करके उनसे रिश्वत लेते हैं ।

(३) श्री अग्रवाल सरकारी साधनों एवं अपने पद का दुरुपयोग करते हैं ।

(४) श्री अग्रवाल प्रतिदिन शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और ऐय्याशी करते हैं ।

इस शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की विभागीय जांच की जा रही है । यदि विभागीय जांच के उपरान्त सतर्कता जांच की आवश्यकता समझी गई तो सतर्कता विभाग से जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

*६३--श्री कृष्ण स्वरूप--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

एटा जिले के अलीगंज स्थित प्राइमरी पाठशाल एवं कन्या जूनियर हाई स्कूल के सामने की भूमि पर जल सम्भृति योजना का निर्माण

*६४--श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा) तथा श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला, अलीगंज तथा कन्या जूनियर हाई स्कूल अलीगंज के बीच छोटी सी भूमि जिसमें बच्चों के खेल होते थे

जिला परिषद् के अध्यक्ष ने नगरपालिका अध्यक्ष के नाम नलकूप बनाने हेतु बैनामा कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन बच्चों के खेल के लिए कोई स्थान देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री काली चरण--

एटा जनपद के अलीगंज स्थित प्राइमरी पाठशाला (बालक) तथा कन्या जूनियर हाई स्कूल के बीच छोटी सी भूमि किसी प्रयोग में नहीं लायी गई है वरन् कन्या जूनियर हाई स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने भूखण्ड को नगर पालिका, अलीगंज की जल सम्पूर्ति योजना के लिए ३० वर्ष के पट्टे पर देने हेतु जिला परिषद्, एटा ने संकल्प किया था। प्रश्नगत भूमि नजूल की भूमि है अतः हस्तानान्तरण की स्वीकृति के लिये जिला परिषद् ने शासन के स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति मांगी है जो शासन के विचाराधीन है। अभी तक बैनामा नहीं हुआ है किन्तु नगरपालिका की जल सम्पूर्ति योजना के महत्व को दृष्टि में रखते हुये शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य आरम्भ कर दिया है। प्रश्नगत भूमि जिला परिषद् ने खेलकूद हेतु विद्यालय को कभी नहीं दी किन्तु हो सक। है जब तक ये भूखण्ड खाली रहा विद्यालयों द्वारा खेल कूद आदि म प्रयोग किया जाता रहा हो। विद्यालय आबादी के मध्य स्थित है तथा उनके निकट ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है जहां खेलकूद की व्यवस्था हो सके।

*६५--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री गेंदा लाल गुप्त--

[६वें बुधवार के लिये स्थगित]

बेरोजगार बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की जिलेवार नियुक्ति

*६६--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार लड़के व लड़कियों को अध्यापन कार्य हेतु नियुक्ति करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करते समय हर जिले में ऐसी नियुक्तियों की संख्या का निर्धारण उस जिले में चलने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों और ऐसे बेरोजगारों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं, क्योंकि जिन सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है वे उस जिले की बेरोजगारों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को दृष्टि में न रखकर, छात्र अध्यापक अनुपात कम करने तथा एक अध्यापकीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त अध्यापक/अध्यापिका तैनात किये जाने के उद्देश्य से किया गया है।

*६७--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*६८--श्री राम नरायन वर्मा--

[६वें बधवार के लिये स्थगित]

मथुरा के राजकीय कालेज के व्यायाम शिक्षक का वेतन क्रम ।

*७०–श्री हुकम चन्द्र तिवारी––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा के राजकीय कालेज में व्यायाम शिक्षक, जो स्नातक हैं, को इस समय स्नातक वेतनक्रम नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण––

जी हां ।

क्योंकि नियुक्ति सी० टी० वेतनक्रम में हुई है ।

*७१–श्री रामपति––

[८वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७२–श्री राम सजीवन––

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

*७३–श्री श्याम नारायण तिवारी––

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

लिफ्ट सिंचाई खंड, गाजीपुर के फिटर श्री शब्बीर अहमद व श्री मतिराम की अर्हताओं में छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र

*७४–श्री जयराम (जिला गाजीपुर)––

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अधिष्ठान–५, अनुभाग टी० के० के० संख्या ८३४–ई–५/१३२–मिस, वर्क चार्ज जनरल १९७४–७५, दिनांक २९ जनवरी १९७५ द्वारा अनर्हता की छूट देने के सम्बन्ध में जो आदेश हैं उसके सम्बन्ध में छूट देने हेतु कितने मामले शासन को प्राप्त हुए हैं ? क्या लिफ्ट सिंचाई खंड, गाजीपुर के श्री शब्बीर अहमद फिटर हेतु श्री मतिराम विद्युत् कार्य हेतु छूट के लिए, अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई खंड, गाजीपुर का पत्रांक १११४, दिनांक ३–४–७६ का वैयक्तिक सहायक (अनुभाग–५), कार्यालय मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अभी तक छूट न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह––

कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान के पदों पर नियुक्त करने के लिये इन पदों (नियमित अधिष्ठान) के लिये निर्धारित अर्हताओं से छूट देने के १९९ कर्मचारियों के मामले शासन को प्राप्त हुये हैं जिनमें से प्रश्न में बताये गये कर्मचारियों के मामले भी शामिल हैं । प्रत्येक कर्मचारी का मामला गुणावगुण के आधार पर विचाराधीन है और जो भी अंतिम निर्णय लिया जायेगा उस पर आदेश एक साथ प्रसारित किये जायेंगे ।

*७५––श्री तेजभान सिंह––

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सिंचाई विभाग के सेवा मुक्त अधिशासी अभियन्ता एवं अधिकारियों के विचाराधीन मामले

*७६--श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय सरकार के विचाराधीन कितने ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं अथवा उनसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों के मामले प्रस्तुत हैं जिन्हें भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग तथा सत्यनिष्ठा के संदिग्ध होने के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया था ? १२-९-७७ तक कितने अधिकारियों के मामले उनके पक्ष में निर्णीत हो चुके है तथा कितनों पर निकट भविष्य में निर्णय होने की आशा है ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूलों में परिगणित जाति के पदोन्नत प्रधानाध्यापक तथा परिगणित जाति का आरक्षण

*७७--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले में जूनियर हाई स्कूलों में इस वर्ष कितने प्रधान अध्यापक प्रमोशन देकर बनाए गए तथा उनमें कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री कली चरण--

जनपद फर्रुखाबाद में जूनियर हाई स्कूल के ३० सहायक अध्यापकों को पदोन्नति देकर प्रधान अध्यापक बनाया गया है जिनमें दो परिगणित जाति के हैं ।

*७८--श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में प्रमोशन में परिगणित जाति के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है ? यदि हां, तो जूनियर हाई कूल के प्रधान अध्यापकों के प्रमोशन में फर्रुखाबाद जिले में क्यों नहीं रक्खा गया ?

श्री कली चरण--

प्रश्नगत जूनियर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, जो एक स्वायत्त-शासी निगमित निकाय है, द्वारा संचालित है जिनमें प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति के लिए दिनांक १२-५-७७ को ज्येष्ठता के आधार पर चयन हुआ । उस समय बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन पदों पर पदोन्नति में परिगणित जाति के अध्यापकों के लिए आरक्षण का नियम नहीं था । अब दिनांक १४-९-७७ से शासन ने शासकीय सेवा में पदोन्नति में परिगणित जाति के व्यक्तियों के लिए जो आदेश लागू हैं उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी लागू कर दिया गया है ।

*७९--श्री राम सजीवन--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

यू० जी० सी० द्वारा निर्धारित पुस्तकालयाध्क्षों का वेतनमान

*८०--श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पत्र संख्या एफ० १-४१/७४ यू० एल०, दिनांक ७-१-७७ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को यह राय दी गयी है कि वह यू० जी० सी० द्वारा निर्धारित योग्यता रखन वाले (क) ४५०-८५० रु०, (ख) ३५०-६७५ रु० तथा (ग) ३२५-६२५ रु० वेतनमानों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को क्रमशः (क) ७००-१३०० रु०, (ख) ७००-११०० रु० तथा (ग) ५५०-९०० रु० के वेतनमान दिए जाने चाहिए ? यदि हां, तो क्या सरकार ने नए वेतनमान दे दिए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आतारांकित प्रश्न

१-२--श्री रणजीत सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

३--श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम नरायम वर्मा--

[६वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सिंचाई विभाग के टैक्निकल आडिट सेल के स्थायीकरण की मांग

४--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सिंचाई सचिव शाखा के अन्तर्गत टेक्निकल आडिट सेल विभाग का गठन १९६५ में किया गया था लेकिन इस विभाग को अब तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और इसे अब कब तक स्थायी किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलवीर सिंह--

सिंचाई सचिव शाखा के अन्तर्गत प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ का गठन वर्ष १९६४-६५ में किया गया था । कोष्ठ के परीक्षकों को स्थायी रूप से कोष्ठ के अन्तर्गत कार्य करते रहने देना अभीष्ट नहीं है । दूसरे विभागों से आवश्यक योग्यता रखने वाले अधिकारियों को कोष्ठ के पदों पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ को स्थायी किए जाने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है जो आवश्यकतानुसार ही लिया जायेगा ।

हरदोई जिले के बी० एन० इन्टर कालेज के विरुद्ध कथित अनियमितताओं की शिकायत

५--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० एन० इन्टर कालेज, भगवन्तनगर, मल्लावां, हरदोई के शिक्षकों की ओर से गत ३-४ महीनों में कालेज में व्याप्त अनियमितताओं, पैसों के घोटालों आदि के सिलसिले में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। गत ३–४ महीनों में संस्था के शिक्षकों से ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई जिसमें संस्था में व्याप्त अनियमितताओं, पैसों के घोटालों का उल्लेख हो।

सीतापुर जिले के खैराबाद–नीमसार मार्ग के निर्माण की मांग

६—श्री लल्ल दास (जिल सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि सीतापुर जिले में खैराबाद से नीमसार मार्ग बनाने के आदेश हो चुके है ? यदि हां, तो किस कारण सड़क नहीं बनाई गई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं। आदेश न होने के कारण सड़क बनाने का सवाल नहीं उठता।

इलाहाबाद जिले के शिव शिक्षा मन्दिर विद्यालय की मान्यता हेतु प्रार्थना–पत्र

७—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शिव शिक्षा मन्दिर विद्यालय, सदियापुर के कितने प्रार्थना–पत्र मान्यता के सम्बन्ध में गत दो महीनोंमें प्राप्त हुए ? क्या सरकार उसको मान्यत देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

शिव शिक्षा मन्दिर विद्यालय सदियापुर का मान्यता हेतु गत दो महीनों में केवल एक आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की गत दिनांक १५–११–७६ की बैठक में गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राइवेट प्राइमरी, नर्सरी एवं मान्टेसरी विद्यालयों को नई मान्यता न दी जाए।

गोपी राधा बालिका विद्यालय, वाराणसी में व्याप्त अनियमितताओं सम्बन्धी कथित प्रार्थना–पत्र

८—श्री जयराम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपी राधा बालिका विद्यालय, रवीन्द्रपुरी, वाराणसी के विद्यालय में प्रवेश हेतु अनियमितताओं के सम्बन्ध में अभिभावकों की ओर से दिनांक २७–८–७७ को कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के ग्राम भीखमपुर का गण्डक नदी से कटाव सम्बन्धी पत्र

६—श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ श्री भागवत पाठक, सभापति, ग्राम सभा भीखमपुर, जिला देवरिया का पत्र जिसमें छोटी गन्डक नदी द्वारा गांवों के कटान को रोकने के लिए निवेदन किया गया है उन्हे २६-८-७७ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र ३१ अगस्त, १९७७ को प्राप्त हुआ था। उस पर जांच कराई गई थी। जांच से ज्ञात हुआ कि भीखमपुर बांध व रेगुलेटर में रख-रखाव सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं है। भीखमपुर के पास कोई विशेष कटाव इस समय नहीं है।

बहराइच जिला परिषद् के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समकक्ष सुविधा प्रदान किए जाने की मांग

१०—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बहराइच जिला परिषद् में कार्य करने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वह सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जो राजकीय कर्मचारियों को दी जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कब तक उन्हे राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी ?

श्री काली चरण—

जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ की धारा ९(१) के अन्तर्गत उनकी सेवा शर्तें अभी वही हैं जो किसी कर्मचारी की सम्बन्धित जिला परिषद् या स्थानीय निकाय में थी। प्रश्नगत कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधायें देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ के सीनियर नोटर ड्राफ्टर का स्थानान्तरण

११—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत सीनियर नोटर ड्राफ्टर, जो राजपत्रित अधिकारियों के नियुक्ति एवं स्थानान्तरण देखते हैं, को विजिलेन्स रिपोर्ट के आधार पर उन्हें स्थानान्तरित कर ३०-६-७७ को कार्य-मुक्त कर दिया था परन्तु इस समय भी वह उक्त स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित कर्मचारी ने ३०-६-७७ को कार्यमुक्त होने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता कार्यालय के अधिष्ठान अनुभाग १ में, जिसमें राजपत्रित अधिष्ठान का कार्य होता है, कोई कार्य सम्पादन नहीं किया।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

१२—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

१३—श्री राम आसरे वर्मा—

[२८-९-७७ को अतारांकित प्रश्न संख्या ४०-४१ द्वारा उत्तरित ।]

बहराइच जिले की भिनगा-सिरसिया चौधरीडीह मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि का कथित समर्पण

१४—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जिले में भिनगा-सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग के निर्माण के लिए वर्ष १९७६-७७ में कितना धन आवंटित हुआ था और स्थानीय अवर अभियन्ता की निष्क्रियता के कारण आवंटित धन विभाग द्वारा समर्पण कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को हटा-कर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति करके उक्त सड़क को निर्मित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस सड़क को बनाने के लिए १९७६-७७ में ७५,००० रुपए का अनुदान था । इसके विपरीत ७५,२७० रुपया व्यय हुआ ।

सवाल नहीं उठता ।

१५—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[९वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

इलाहाबाद जिले की सिराथू-लेहदरी सड़क के निर्माण की मांग

१६—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील सिराथू के कड़ा ब्लाक में सिराथू से लेहदरी तक पक्की रोड बनाने की स्वीकृति पांच वर्ष पूर्व हुई थी और अब तक उसका निर्माण न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सिराथू लेहदरी-सड़क के ६·४ कि० मी० के आगे के हिस्से को पक्का बनाने की मंजूरी नहीं दी गयी थी और इसके बनाने का सवाल नहीं उठता ।

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, कानपुर में हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु एकत्रित धनराशि

१७—श्री मोती राम—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सन् १९६८-६९ में आचार्य नरेन्द्रदेव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर द्वारा गांधी शताब्दी समारोह के उपलक्ष में हरिजन क्वार्टर बनवाने के लिए छात्राओं एवं कर्मचारियों के माध्यम से धन एकत्रित किया गया था ? यदि हां, तो कितने क्वार्टर और कहां बनवाए गए और उनमें कितना धन व्यय किया गया तथा शेष धन कहां जमा किया गया है ?

श्री काली चरण—

जी हां, परन्तु वर्ष १९६८-६९ में नहीं, वर्ष १९६९-७० में ४१२ रु० की धनराशि एकत्रित हुई थी। न्यायिक विवाद के कारण क्वार्टर का निर्माण न हो सका। उक्त धनराशि में से १०९ रु० व्यय किए गए तथा शेष ३०३ रु० बैंक में महाविद्यालय के खाते में जमा है।

जिला फैजाबाद के टांडा से कलवारी जिला बस्ती के बीच घाघरा नदी पर पुल निर्माण की मांग

१८—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टान्डा, जिला फैजाबाद से कलवारी, जिला बस्ती के बीच घाघरा नदी पर पुल निर्माण हेतु गत वर्षों में सर्वे कराया गया था ? क्या सरकार उसे वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां। पीपे के पुल का निर्माण कार्य कराए जाने हेतु सर्वे किया गया था।

पीपे के पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

कानपुर में घाटमपुर,—साढ़ मार्ग का अर्ध निर्मित मार्ग

१९—श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाटमपुर (कानपुर) से साढ़ मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या सरकार उसे तुरन्त पूरा करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, इस मार्ग को तुरन्त पूरा कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रथम धनाभाव दूसरे भीतर गांव के समीप बाई पास के लिए भूमि अध्यापित की जानी है।

देवरिया जिले में मधुरिया रजबहा से नोनिया पट्टी तक की कनौरा माइनर का सर्वेक्षण

२०—श्री राम नरेश पाण्डेय तथा श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के मधुरिया रजबहा के मरचइयांडीह गांव से रहसू, जनूबीपट्टी, पुरैना, कनौरा, मुडेरा उर्फ मोगलही, सोनबरसा के नोनिया पट्टी तक जाने वाली कनौरा माइनर का सर्वे हो चुका है तथा निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक होगा ?

श्री बलवीर सिंह—

सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यदि माइनर सिंचाई योग्य पाई गयी तो निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। निर्माण कब तक होगा यह बता सकना अभी सम्भव नहीं है।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के अन्तर्गत बूढ़ी राप्ती नदी से कतिपय गांवों का कटाव

२१—श्री शिव लाल मिस्त्रल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के कौन-कौन गांव इस समय बूढ़ी राप्ती नदी के कटाव में हैं और उनके बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के निम्नलिखित गांव बूढ़ी राप्ती नदी के कटाव से प्रभावित हुए हैं—

1—बैजनथा, २—तौलिहवा, ३—पकडिहवा, 4—खेतवलतिवार, ५—भुतोहिया, ६—सेमरा, ७—श्रीनगर, ८—गंगवल, ९—कान्हेकुसुम, १०—ककरही, ११—महुवा, १२—गोनहा, उदयपूर, १४—सिकहुला, १५—भपसी, बेरिहवा, १७—भैंसहवा, १८—बंजरहाखुर्द, १९—खजुरडांड, २०—पुरैना, २१—छितरापार, २२—महदेवा-बुजुर्ग, २३—चोखर, २४—हथिवड़ताल, २५—सेखुई, २६—अजगर, २७—ताल बगेहिया, २८—मोगलहा, २९—नौखनिया तथा ३०—धुधुलिया ।

इन गांवों के बचाव कार्य की परियोजना हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

प्राइमरी पाठशाला, सिरसिया नौगढ़, में अध्यापकों की कमी

22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि कन्या प्राइमरी पाठशाला, सिरसिया नौगढ़, जनपद बहराइच में कोई अध्यापिका पिछले तीन वर्षों से अब तक नियुक्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इन विद्यालयों में अध्यापिकायें नियुक्त कर दी जायेंगी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

दो पुरुष अध्यापक वर्ष १९७४-७५ में तथा दो शिक्षक एवं एक शिक्षिका वर्ष १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में कार्यरत रहे।

वर्तमान समय में केवल एक अध्यापक विद्यालय में कार्यरत है। एक अन्य अध्यापिका का स्थानान्तरण किया गया है, परन्तु उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है दूसरी अध्यापिका की व्यवस्था की जा रही है।

आगरा जिले में हरिजनों द्वारा संचालित विद्यालय एवं उनकी मान्यता

२३—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में हरिजनों द्वारा कितने विद्यालय चलाए जा रहे हैं और उनमें से कितने को स्थायी मान्यता दी गई ?

श्री काली चरण—

हरिजनों द्वारा ३३ विद्यालय संचालित हैं।

११ विद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त हैं।

वाराणसी जिले का अर्धनिर्मित भोजूबीर—सिंधोरा मार्ग

२४—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग, वाराणसी में पलही पट्टी बाई पास तथा नाले के पुल का निर्माण एवं ३-४ किलोमीटर सड़क को डामर का अब तक नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो इस अधूरे कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, बचे हुए काम को मार्च, १९७८ तक पूरा किया जाने की कोशिश की जा रही है।

गोरखपुर के जनता इन्टर कालेज में अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति तथा प्रबंधक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जनता इन्टर कालेज, भिटौली बाजार, जिला गोरखपुर में दो अध्यापकों की अवैध नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक ५ अगस्त, १९७७ को कोई प्रतिवेदन उन्हें दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री काली चरण—

जी हां, अनियमित नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

२६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र जनता इन्टर कालेज, भिटौली बाजार के प्रबन्धक के भ्रष्टाचार, वित्तीय घपला एवं शासन को धोखा देने के सम्बन्ध में जुलाई-अगस्त, १९७७ में मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

श्री काली चरण—

जी हां, प्रबन्धक के भ्रष्टाचार एवं वित्तीय घपले से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक ३ अगस्त, १९७७ विद्यालय निरीक्षक को उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से १३ सितम्बर, १९७७ को प्राप्त हुआ जिस पर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

पी० ए० सी० के कर्मचारियों के पुनर्वासन की योजना के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, इधर बहुत दिनों से पी० ए० सी० का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है और अब भी है। इस समय सरकार उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में योजना बना रही है कि किस प्रकार से उनके परिवारों के लोगों को नौकरी दी जाय ताकि जो लोग नौकरी से पृथक् किए गये हैं, किसी तरह से वे अपने व्यवसाय के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव—]

माध्यम से अपनी जीविका चला सकें। उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मैं पूरी समीक्षा कर रहा हूं, कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी आय के दूसरे साधन नहीं हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में हम योजना बना रहे हैं। उनके रिहैबिलिटेशन, उनको नौकरी देने की, उनको शिक्षा-दीक्षा देने के सम्बन्ध में सरकार योजना बना रही है और जल्दी ही इस सम्बन्ध में मैं सारी योजना इस सदन के सम्मुख रख दूंगा।

बाराबंकी जनपद में बढ़ते हुए अपराध तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी--)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बाराबंकी जनपद में बढ़ते हुए जघन्य अपराधों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके कारण इस जनपद के नागरिकों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और आज प्रत्येक नागरिक अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। गत १२ सितम्बर, १९७७ से लेकर ६ अक्तूबर तक अकेले थाना देवा में १० डकैतियां हुईं जिनमें डकैतों ने पांच ग्रामीणों को कत्ल कर दिया तथा काफी सामान लूट ले गये। ६, ७ अक्तूबर की रात में थाना देवा के ग्राम सफीपुर में एक हरिजन के घर डकैती हुई जिसमें हरिजन परिवार के मुखिया का कत्ल कर दिया गया और उसी दिन थाना लोनी कटरा के गांव चौबीसी में एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार जनपद के थाना रामनगर, मसौली तथा सफदरगंज में डकैती की कई वारदातें हुईं जिनमें डकैतों ने कत्ल के साथ डकैती की। दिनांक ८, ९ अक्तूबर की रात में थाना रामनगर, ग्राम मरकामऊ तथा कोप में डकैतियां हुईं जिसमें मरकामऊ के माधव की हत्या कर दी गयी। थाना रामनगर में ही ग्राम मोहड़वां में २ अक्तूबर को एक कत्ल हुआ जिसके नामजद अभियुक्तों को पुलिस आज तक नहीं पकड़ सकी, इनके अतिरिक्त भी इस जनपद के विभिन्न थानों में माह जुलाई से अनेक कत्ल डकैतियों की घटनायें घटती चली आ रही हैं जिनके आंकड़े पुलिस आफिस बाराबंकी से लिए जा सकते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कत्ल अथवा डकैती की घटना न घटे। श्रीमन्, ऐसी स्थिति में आप सोचें कि इस जनपद का जनजीवन कितना त्रस्त होगा। लोगों के दिमाग में हर वक्त डर बना रहता है कि कब किस वक्त क्या न हो जाय।

मान्यवर, एक तरफ जघन्य अपराधों की यह बाढ़ है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन एक दम उदासीन है और यह जितने अपराध हो रहे हैं वे सब पुलिस की उदासीनता एवं निष्क्रियता के परिणाम हैं। श्रीमन् जान-माल की सुरक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह बाराबंकी जनपद के नागरिकों की सुरक्षा का समुचित उपाय करे तथा जनजीवन में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर करे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, प्रदेश की समस्या तथा कुछ अन्य समस्याओं को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, सत्र के प्रथम दिन ही संघर्षरत हो गये। उनकी मांग है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि आपात्काल के पूर्व जितने प्रवेश हुए थे, इस सत्र में उतने से कम न लिये जायं। यह तर्कसंगत भी है। छात्रों ने सभा करके गम्भीर कदम उठाने की चेतावनी दिया है।

तीन संकायों के अधिष्ठाताओं ने पद त्याग दिया है। कर्मचारी भी संघर्षरत हैं। विश्वविद्यालय की स्थिति गम्भीर है।

कृपया सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाये।

सरसों के तेल में मिलावट तथा बाजार में अभाव के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से निवेदन है कि राज्य सरकार का दावा है कि सरसों का तेल १० रुपये किलो बाजारों में मिलने लगा है पर अभी मूल्य निर्धारण के बाद में राज्य में सरसों के तेल का उत्पादन पूरी तरह से बन्द सा हो गया। केवल रेपसीड का तेल बाजार में मिल रहा है जिस का सही दाम ७ रुपये है पर यही अब १० रुपये किलो मिल रहा है। सरसों का तेल बाजार से गायब हो गया है। सरसों के तेल के व्यापारी खुले आम कह रहे हैं कि १० रुपये में सरसों के तेल की लागत भी नहीं आती है। ऐसी स्थिति में सरसों का तेल या तो नहीं मिल रहा है या जो मिल रहा है वह मिलावटी मिल रहा है। मिलों ने सरसों लाही पेरना बन्द सा कर रखा है। सरकार मिलों को लाही व सरसों कम भाव पर देने या दिलाने की क्या व्यवस्था कर रही है? पता नहीं चल रहा है, प्रदेश के सभी लोग इस अस्थिरता से परेशान हैं।

निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस पर कृपया वक्तव्य देनें का कष्ट करें।

हमीरपुर की बेतवा कैनाल की शाखाओं से किसानों की भूमि जलमग्न होने तथा उसके मुहाने पर उचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, हमीरपुर जिले के कुरारा ब्लाक में निचली बेतवा केनाल की कुछ शाखाय आयी हैं जिनमें एक शाखा जखेला होते हुए चकोठो एवं रिठारी ग्रामों के पास तक आयी है। ग्राम रिठारी के पास इस नहर को टेल का आखिरी भाग है। इसके अन्तिम सिरे यानी मुहाने पर बेकार पानी को निकासी का उचित प्रबन्ध न होने से क्षेत्रीय किसानों की हजारों एकड़ जमीन को अनावश्यक तौर से जल-मग्न हो जाने से उनकी जीविका नष्ट होने से अपार क्षति व हाहाकार मचा है।

नहर विभाग द्वारा उस नहर के अन्तिम मुहाने को किसी बेकार नाले या तालाब से या नदी आदि से संपर्कित न करके खुला छोड़ देने से जो पानी नहर में इफरात से आ रहा है वह खेतों में भर गया है। धान खरीफ आदि की फसलें डूब रही हैं गांवों में पानी घुस रहा है तथा रबी की बुआई के लिए तैयार हजारों एकड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार नाथ---]

जमीन में अनावश्यक पानी भर गया है जिससे महीनों के लिए बुआई रुक गई है। स्थानीय कर्मचारी भी इसे रोकने में असमर्थता प्रगट करते हैं। किसानों के हजारों परिवार तबाही के कगार पर हैं तथा पानी अब भी अधिक मात्रा में आ रहा है।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस त्वरित लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करता हूं तथा मुहाने पर त्वरित उचित जल निकासी व किसानों की क्षति पूर्ति किये जाने तथा दोषी कर्मचारियों की अकर्मण्यता की जांच की मांग करता हूं।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा अपने हस्ताक्षर से न दिये जाने तथा आज नियोजन मंत्री द्वारा बुलायी गयी विधायकों की मीटिंग अचानक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आज्ञा दें, मैं कह भी चुका हूं।

मेरा प्रश्न यह है कि मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बार-बार दोहरा रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक पत्र आया है श्री रमेशचन्द्र दीक्षित, संयुक्त सचिव, पुलिस गृह विभाग का। उस संबंध में मैंने ५ अक्तूबर को इसी सदन में शून्य प्रहर में, शायद विषय है पी० ए० सी० के संबंध में प्रश्न उठाया था और आपने आज्ञा दी थी कि एक हफ्ते के अन्दर उस मंत्रालय द्वारा सूचना दी जाय। आप समझ लें कि ७ दिन से ज्यादा हो गये, लेकिन दो बात इसमें हैं एक तो ७ दिन के अन्दर सूचनायें हम लोगों को नहीं मिल रही हैं बावजूद आप के दो-तीन बार कहने के। दूसरे, आपने हम लोगों के कहने पर यह आज्ञा दी थी कि ये सूचनायें हमें मंत्रियों के दस्तखत से मिलनी चाहिये। आपने आदेश दिया था कि मंत्रिगण कम से कम जो शून्य प्रहर की सूचनायें दें वह अपने हस्ताक्षर से दें और ७ दिन के अन्दर दें। अभी कितनी ही शून्य प्रहर की सूचनायें मुझे नहीं मिलीं। यह पत्र केवल ५ लाइन का है इसलिये पढ़े देता हूं :--

> 'प्रिय महोदय, विधान सभा के शून्य प्रहर में पी० ए० सी० में भारी असन्तोष से संबंधित वांछित सूचना के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने की अपेक्षा की गयी है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सूचना शासन के पास इस समय उपलब्ध नहीं है और सूचना आने पर फिर दी जायगी।'

बीच में दो शब्द हाथ से लिखे हैं वह मेरे पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। यह तो अन्तरिम रिप्लाई है। अब कब उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे पता नहीं? लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे मालूम है कि डी० आई० जी०, एडीशनल आई० जी०, वाराणसी गये और पूरी जानकारी इनके विभाग में लखनऊ में है। अगर देना चाहें, तो दे सकते हैं। मैंने कोई पेचीदा बात नहीं उठाई थी। तो श्रीमन्, ७ दिन के अन्दर उत्तर नहीं मिल रहा है और संयुक्त सचिवों और सचिवों के दस्तखत से मिल रहा है। आपकी आज्ञा कैसे पूरी हो यह आप जानें? या तो आप आज्ञा न दें।

एक मेरा निवेदन आप से और है। परसों नियोजन मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी ५ जिलों की। हम लोग अपने-अपने जिलों से इतवार को चल कर भागे-भागे यहां आये और ६ बजे कमरा नं० ८० में जो गये तो बताया गया कि ८ बजे मंत्री जी ने तय किया कि मीटिंग स्थगित कर दी गयी। तो कम से कम मंत्रियों को भी यह आदेश दिया जाय कि कम से कम २४ या ४८ घंटे पहले सूचना दें। कोई तो मर्यादा रखें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे भी आपसे निवेदन करना है कि समय-समय पर शून्य प्रहर में मैं प्रश्न उठाता रहा लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिलता रहा। केवल सेक्रेटरी की ओर से यह मिलता रहा कि कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी बात यह कि जो मंत्री महोदयों को पत्र लिखते हैं मंत्रिगण उनका जवाब भी नहीं देते हैं। आप तो कस्टोडियन हैं हम लोगों के। आप आदेश दें कि हम लोग जो पत्र लिखते हैं कम से कम उसको ऐकनालेज तो कर लिया करें, मंत्रिगण।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

हमारे अधिकारों के रक्षक तो आप ही हैं। बराबर प्रश्नों को उठाने के बाद भी मंत्री लोगों का जवाब नहीं मिलता है। अभी मंत्री जी ने पी० ए० सी० के बारे में एक संक्षिप्त बयान दिया। मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि २ अक्तूबर से जो क्रमिक भूख हड़ताल पी० ए० सी० के लोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो इससे सम्बन्धित नहीं है पी० ए० सी० के बारे में मंत्री जी ने वक्तव्य दिया और फिर आप उसी प्रश्न को अब दूसरी तरह से उठाना चाहते हैं जिसकी मैंने अनुमति नहीं दी है। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी० ए० सी० के संबंध में स्वयं ही वक्तव्य देने के लिए मुझे सूचित किया, इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न आज मेरी स्वीकृति के लिए दिया, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए इस संबंध में मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा। (श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर) मैनेजर सिंह जी, आप बठ जाइये, मैंने तो खत्म नहीं किया। तो मैं यह कह रहा था, अगर इसके अतिरिक्त कोई बात आप कहते ....

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद--

माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में जो चीज नहीं है, वह मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त तो मैं इसका अवसर नहीं दे रहा हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपको इस चीज़ की मैंने इजाजत नहीं दी। मैं इसमें अनुमति नहीं दूंगा, यह नियम के विरुद्ध है। जब मुझे आपने लिख कर दिया और मैंने आप को अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी। यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइये। आप बैठिये, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुझे शून्य प्रहर के बारे में आप से निवेदन करना था। मैं बार-बार उठ रहा हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में आप का मेरे पास है।

श्री ऊदल—

नहीं, नहीं, मेरी बात तो सुन लिजिए। जो प्रश्न माननीय श्याम धर मिश्र ने उठाया है, मैं उसके संदभ में आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कहिये।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ऊदल--

जो शिकायत माननीय श्याम धर मिश्र ने की है, वह शिकायत और माननीय सदस्यों की है और वह शिकायत मेरी भी है। सौभाग्य से आपने एक ही शून्य प्रहर में मेरा इतने दिनों के बाद स्वीकार किया था और उसका कोई अन्तरिम उत्तर किसी डिप्टी सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से मुझे तो नहीं मिला, इनको तो अन्तरिम उत्तर मिल गया, लेकिन मेरा तो बहुत पुराना है, मुझे कोई अन्तरिम रिप्लाई भी नहीं मिल सकी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप के आदेशों का पालन यह सरकार करेगी कि नहीं करेगी, यह मंत्री मंडल करेगा कि नहीं करेगा? अगर श्रीमन्, यह सरकार आपके आदेशों का पालन न करे तो हम लोगों को आप कुछ इजाज़त दें, तो हम लोग भी अपना कुछ रास्ता अख्तियार करें और तब ठीक से आप के आदेशों का पालन होगा। मैं देख रहा हूं कि इस तरह यह काम नहीं चलने वाला है।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, जो प्रश्न श्याम धर मिश्र जी ने उठाया है मैं समझता हूं कि जो वांछित सूचना उन्हें दी जानी चाहिए थी, मिल गयी, तो उसके बाद पुनः इस सदन में इस प्रकार का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि सूचना दी जाय। सूचना जो दी जानी चाहिए वह सचिव ने दिया या अनुसचिव ने दिया या उनके कार्यालय के माध्यम से सूचना मिली। इसमें शायद ऐसा है कि विस्तृत सूचना नहीं दी गयी लेकिन इसका उल्लेख कर दिया कि इसकी और जानकारी होने के बाद आपको सूचना दी जायगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से, जब कभी अध्यक्ष जी का आदेश होता है, या माननीय सदस्य कोई जानकारी करना चाहते हैं तो, कभी भी किसी तरह की आज्ञा का पालन न हो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। सरकार सचेत है कि इन निर्देशों का पालन किया जाय। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी सूचना को प्राप्त करने में।

श्री जय प्रकाश नारायण के चित्र को तोड़े जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, कल ११ तारीख को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिन था। मैं उस औचित्य में नहीं जाना चाहता कि आई० जी० पुलिस तथा सरकारी अधिकारियों ने वहां पर क्या किया।

श्री अध्यक्ष--

आपने कोई चीज लिख कर नहीं दी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह--

(श्री जयप्रकाश नारायण की तस्वीर दिखाते हुए।)

मान्यवर, यह लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी की तस्वीर है जिसको तोड़ा गया। तो क्या कल ११ अक्तूबर को ही, उन के जन्म-दिन पर इस तरह का कार्य करना अधिकारियों के लिए उचित था। मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। (श्री जयप्रकाश नारायण की तस्वीर और कांच के टुकड़े दिखाते हुये।) मान्यवर, मैं यह चीजें आपको प्रेषित कर रहा हूं। मान्यवर, इस तरफ ध्यान दिया जाय और सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगें कि इस प्रकार का कार्य केवल कल ११ अक्तूबर को उनके जन्म-दिन पर क्यों हुआ?

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये। मैं इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा अपने हस्ताक्षरों से न दिये जाने तथा आज नियोजन मंत्री द्वारा बुलायी गयी विधायकों की मीटिंग अचानक स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी मैंने यह निर्देश दिया था, कि सदन में जैसे प्रश्नों का उत्तर आता है, उस पर संबन्धित मंत्रियों के हस्ताक्षर होते हैं, तो शून्य प्रहर की जो सूचनायें हैं, उसका जवाब संबन्धित मंत्रियों के हस्ताक्षर से ही आना चाहिये।

(हियर हियर की आवाजें)

वह किसी सचिव के द्वारा नहीं होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर किसी सचिव या अनुसचिव के दस्तखत से नहीं आना चाहिए। इसलिए आप कृपया अपने सभी मंत्रियों को इस बात का आदेश करें कि भविष्य में जो माननीय सदस्यों को, जो सदन के माध्यम से या मेरे कार्यालय के माध्यम से जो पत्र जाय, उनके उत्तर पर हस्ताक्षर माननीय मंत्रियों के होने चाहिए। दूसरा जो प्रश्न था माननीय मंत्री जी इस पर बतलायेंगे। जैसाकि श्यामधर जी ने कहा कि उसी दिन मीटिंग ८ बजे स्थगित की गयी, तो सदस्यों को इससे असुविधा होती है। अगर मीटिंग मुल्तवी हो तो उसकी पूर्व सूचना होनी चाहिए। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति जिसको पहले से आशा नहीं थी, हो जाय तो मजबूरी है। तो माननीय नियोजन मंत्री इसको स्पष्ट कर दें।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मीटिंग के लिए १०-१५ दिन से बुला रहे थे उसमें २५-३० विधायक निमंत्रित थे। लेकिन ३ या ४ विधायक उ में हाजिर होते थे। ऐसा लगता है कि नियोजन में इतनी दिलचस्पी लोगों की है, शायद। एक दिन मैं मीटिंग में गया और साढ़े ६ बजे तक बैठा लेकिन एक, दो, विधायक आये। कई बार ऐसा हुआ कि कोई विधायक पंहुचा ही नहीं। तो १० तारीख को वाकई माननीय सदस्यों को कठिनाई हुई। मैं मेरठ से आया था। ८ बजे आया था, ६ बजे मीटिंग थी। मेरी कुछ तबीयत खराब हो गयी। उस कारण से कम नोटिस पर मुझे स्थगित करना पड़ा। बस इतनी बात है। मुझे यह अंदाज नहीं था कि श्री श्यामधर मिश्र जी को इससे इतनी कठिनाई होगी।

श्री जयप्रकाश नारायण के चित्र को तोड़े जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण

(क्रमागत)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। अभी मैनेजर सिंह जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की टूटी तस्वीर दिखाई इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि यह पुलिस द्वारा या शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा ऐसा हुआ है तो मान्यवर, इसी सदन में तत्काल सरकार को बयान कोई देना चाहिये। इससे हमारी जन भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमलोग जयप्रकाश नारायण जी को कितना मानते हैं? उनकी उपलब्धि पर सरकार बनी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार तत्काल बयान दे और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, जिस तरह से सदन में माननीय जय प्रकाश नारायण जी के प्रति सम्मान या आदर का भाव दिखाया है, मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हुए लोगों का उससे कम सम्मान और आदर नहीं होगा, क्योंकि यह आज केवल एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, लोकनायक और राष्ट्रनायक का मामला है। इसलिए उनके प्रति सदन में बैठे हुए सदस्य कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी भावना को ठेस लगे। इसलिये ऐसे संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी शासन की मंशा ऐसी न रही है और न रहेगी जिससे ऐसे नेता के प्रति दुर्व्यवहार की भावना हो। यह दूसरी बात है कि प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी वातावरण को खराब करने के लिए, पुलिस में या पी० ए० सी० में विद्रोह करने के लिए कुछ ऐसी चर्चा करते हैं। लेकिन शासन की मंशा कभी भी ऐसी न रही है और न आज है, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठें। मैं अनुमति नहीं देता हूं। आप लोग बैठ जायें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया। यह सब जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति, सदन के अन्दर इस पक्ष के लोगों को तो है ही, सब का अत्यन्त सम्मान है। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इस घटना की ओर जब प्रकाश डाल दिया और माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ लोग अनशन कर रहे थे और जयप्रकाश नारायण जी का फोटो भी लाये। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का उनके प्रति सम्मान न करने का न सरकार का इरादा है और न सरकार इसको बरदाश्त ही कर सकती है। तो फिर इस प्रश्न को लेकर जिसमें कोई संदेह नहीं है एक विवाद उत्पन्न करना और इस प्रकार का इम्प्रेशन पैदा करना कि सदन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जय प्रकाश नारायण जी का सम्मान नहीं करते हैं, उचित नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न को और हर प्रश्न को विवादास्पद बना देना उचित नहीं है। जब एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आ गया तो उस पर विवाद का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७५ तथा शुद्धि-पत्र†

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या यू० ओ० ६०५/राजस्व-१—२ (८)-७५, दिनांक १ नवम्बर, १९७५ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७५, (जैसी कि वह शुद्धि-पत्र सं० यू० ओ० ६०५/राजस्व १—२(८)-७५, दिनांक १७ दिसम्बर, १९७५ द्वारा शुद्ध की गयी) जो दिनांक १ नवम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हुई, को उसमें जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या ४९०/राजस्व-१—२(८)-७५, दिनांक २४ मार्च, १९७६ सहित, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (२) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ८ सितम्बर, १९७७ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७७ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७७

सचिव विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपको आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ७ सितम्बर, १९७७ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७७ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन, नियमावली, १९७५ को विलम्ब से सदन के पटल पर रखने पर आपत्ति

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री द्वारा जो सूचना अभी सदन के पटल पर रखी गई है उसके सम्बंध में मेरा यह निवेदन है कि यह सूचना ४ नवम्बर, १९७५ की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित हुई और इसका संशोधन १७ दिसम्बर, १९७५ को किया गया । इसके बाद वह १ नवम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखा गया । यह सूचना इसके पूर्व सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए थी । पिछली विधान सभा समाप्त हो गयी थी, यह सही है । लेकिन विभाग ने इतना विलम्ब किया पिछली विधान सभा के पटल पर रखने में तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विभाग को चेतावनी दें कि इस प्रकार की सूचनाय जिनमें प्रतिनिधि विधायन हैं विधान सभा के पटल पर जब वह चल रही हो यथाशीघ्र रखी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य की बात अपनी जगह पर सही है । इस प्रकार की सूचनाओं को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए । सरकार को इस सम्बन्ध में आगे से सावधानी बर्तनी चाहिए ।

श्री जय प्रकाश नारायण के चित्र को तोड़े जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण (क्रमागत)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपने यहां १० अक्तूबर को कहा था कि आप 'चोर' शब्द पर व्यवस्था देंगे, जिसका माननीय श्यामधर मिश्र जी ने प्रयोग किया था । मान्यवर, उस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था दे दें ताकि हम लोग भी उसके बारे में कुछ कह सकें ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैंने विचार किया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, तब मौका दे दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं है । १४ तारीख को ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इसमें एकपक्षीय बात हो रही है । निर्णय के पहले, मान्यवर, हमारी भी बातें कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

१४ को आपकी भी बातें सुन लूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इस सदन में हम लोगों के कुछ ऐसे मसले होते हैं जब व्यवस्था और औचित्य का प्रश्न उठता है । उस समय जब माननीय मंत्री जी का बयान चल रहा था, तो मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था । लेकिन उस वक्त आपने आदेश नहीं दिया । मैं पुनः उस औचित्य के प्रश्न को उठाना चाहता हूं ।

माननीय मैनेजर सिंह जी ने जय प्रकाश जी की तस्वीर रखी । उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य रखा, मैं उससे सहमत हूं । उन्होंने हमारी भावनाओं का इजहार किया है । लेकिन जो लोकनायक जयप्रकाश जी के जन्म-दिवस की रात में घटना घटी है, उसके बारे में प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पूरी घटना की जांच क्या माननीय मुख्य मंत्री जी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

एक सदस्य--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था ही तो दे रहा हूं । माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी देख लें कि नियमावली के अंदर कोई इस प्रकार के औचित्य का प्रश्न नहीं है । जब माननीय मैनेजर सिंह ने यहां पर आकर माननीय लोकनायक जयप्रकाश का चित्र रखा उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया । उसके बाद इस विवाद को मैंने समाप्त कर दिया । उसके बाद फिर औचित्य का प्रश्न उठाकर विवाद करना (व्यवधान) जैसे नियम ३०० औचित्य के प्रश्न के बारे में है । इसमें दिया है--'औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । तो उसमें न निर्वाचन का प्रश्न है और न प्रवर्तन का प्रश्न है । औचित्य का प्रश्न जानकारी मांगने के लिये, या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये या जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा होगा, या काल्पनिक या विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ी, इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं होता । आपने कोई नयी बात कह दी या मैंने कोई नई बात कह दी, तो इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं होता ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय, यह सदन की भावना है। उन्होंने उसको व्यक्त की। इतनी ही कमी रह गयी कि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि जांच करायेंगे, लेकिन यह तस्वीर फूटी कैसे?

श्री अध्यक्ष—

आपने अपनी बात कह दी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कह दी। आप मुख्य मंत्री जी के मुंह से क्या कहलाना चाहते थे, हमें भी नहीं मालूम? अगर मालूम होता तो मैं उनसे निवेदन कर देता कि आप उन्हीं शब्दों में रखें जिससे कि मैनजर सिंह जी को संतोष हो। उन्होंने अपनी बात कही और मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कही तो उसके बाद कोई विवाद उपस्थित करना उचित नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं आप से निवेदन करूंगा और आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली, ३१३ की ओर ले जाना चाहता हूं। मुझे पढ़ने का शौक है इसलिए नियमों को जानकर ही औचित्य का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

३१३ में यह है कि अधिकार दे दिया गया है जिस को कहते हैं रिसेडुअल पावर। ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबंद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें। इस में तो कोई अधिकार मिला नहीं है आपको। मैंने आपके औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दे दी है। कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—

कल श्री मोहन सिंह जी ने श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया था और माननीय मैनेजर सिंह जी ने इस को आज के लिए स्थागित करने का अनुरोध किया था जिस पर मैंने उस को आज के लिए मुलतवी कर दिया। श्री मोहन सिंह जी ने कल कहा था ....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था नहीं है। मैं बोल रहा हूं। आप बैठिये, पहले मेरी बात समाप्त होने दीजिये, श्री मोहन सिंह जी ने कहा था कि जिस समय ७ अक्टूबर को यहां पर अधिष्ठाता थे उस समय माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा उनकी व्यवस्था पर कि यह ठीक नहीं है और फिर उसके विरोध में उन्होंने सदन का त्याग भी किया। इस संबंध में चूंकि नियम के अनुसार यदि किसी सदस्य के

*दिनांक ११ अगस्त, १९७७ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष]

विरुद्ध विशेषाधिकर की सूचना दी गयी हो तो उस को अपनी बात कहने का अधिकार है। कल श्री कल्पनाथ सिंह जी ने प्रश्न उपस्थित किया था। कल मैं उस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। यदि सदन के प्रत्यक्ष कोई घटना हुई हो तो उसी समय लोई जा सकती है लेकिन कल मैंने कहा था कि नियम ६४ के अनुसार कोई भी सदस्य दो प्रतियां दे कर सचिव को सूचना दे सकता है। किसी नियम में यह नहीं लिखा है कि सदन के समक्ष कोई घटना हुई हो और उस को उस दिन सामने नहीं लाया जाय तो बाद में नहीं लिया जायगा। उसको ग्राह्यता निश्चित करने न करने का अधिकार अध्यक्ष को है। तो इसलिए कल मैंने इस पर व्यवस्था दे दी थी। अगर कल्पनाथ सिंह जी कोई और नया प्रश्न रखना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

*श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप के अध्यक्ष पीठ से ही जो व्यवस्थायें अब तक विशेषाधिकार के संबंध में दी गयी हैं उन में एक नहीं कई व्यवस्थायें ऐसी हैं जिन में यह कहा गया है कि जो सूचना विलम्ब से दी जायगी वह विशेषाधिकार की सूचना ग्राह्य नहीं होगी और सदन में हुई किसी बात को ले कर भी अगर उस समय आप उस सूचना को ज्ञान में नहीं लेते, किसी सदस्य के द्वारा यह बात नहीं उठाई जाती है और कई दिन के बाद इस प्रकार की सूचना अगर आती है आप के सामने चाहे वह लिखित हो चाहे बात द्वारा या सचिव की रिपोर्ट के द्वारा हो तो प्रत्येक दशा में यदि ऐसी शिकायत तत्काल न की जाय विशेषाधिकार के अवहेलना की तो वह शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। श्रीमन, मेरा कहना कोई नया नहीं है। अध्यक्ष पीठ से दिये गये सारे निर्णय मौजूद हैं इसलिए श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाय।

एक बात और है। यह सवाल सीधा सीधा अध्यक्ष पीठ से दिये हुए निर्णय से उत्पन्न होता है। अगर अध्यक्ष को बहस का मुद्दा बना कर चलेंगे और इस प्रकार की बातों को बिशेषाधिकार की परिधि में ला कर बहस करेंगे तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी आप के लिये, माननीय सदस्यों के लिये और सदन की कार्य संचालन के लिये भी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाय और माननीय सदस्य मैनेजर सिंह इन तथा मोहन सिंह दोनों सदस्यों को बुला कर आप बात कर लें कि उनकी मंशा क्या है और इनकी मंशा क्या है और अधिष्ठाता जो उस समय पीठासीन थे, उनकी मंशा क्या है, तो बात साफ हो जायगी, लेकिन इस माननीय सदन में इस प्रश्न को आप अग्रेतर कार्यवाही से रोकने का कष्ट करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--

कल जो मैंने कहा था वह यह कि सचिव को यह दिया गया है। मैंने इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में कोई अपनी सम्मति नहीं दी थी और यह मेरे विचाराधीन था और इसी बीच में स्वयं मैनेजर सिंह ने कहा कि इस प्रश्न को कल के लिये स्थगित कर दिया जाय। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह सही है और मैं कल स्वयं इस प्रश्न पर अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था देने वाला था । जब कोई भी इस प्रकार का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो और जो सदन के समक्ष हुआ हो तो उस को उसी समय उपस्थित करना चाहिये । यह ७ तारीख की घटना ह और इसको बाद में उपस्थित किया गया हैं । इसलिये कल हो मैं चाहता था कि इसे स्वीकार न करूं । इस लिये इस सूचना की मान्यता को मैं अग्राह्य करता हूं । लेकिन साथ ही माननीय मैनेजर सिंह से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा था कि "बोलने वालों की लिस्ट से बुलाते हैं और उनसे कहते है कि दृष्टि से बुलाते है यह बिलकुल ही तथ्यहीन है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।" यह जो बयान आपने किया है यह अनुचित है । माननीय मैनेजर सिंह को जो यहां के बड़े पुराने सदस्य हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था और अब मैं इस सूचना को अग्राह्य करार देता हूं ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं नियम २८७ के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठिये । मेरे सामने अभी दूसरे प्रश्न हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने जो कल आदेश दिया था वह यह था कि मुझे सुनने के बाद आप व्यवस्था देंगे लेकिन आपने मुझे बिना सुने ही व्यवस्था दे दी ।

श्री अध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी ने इसी संदर्भ में प्रश्न उठाया इसलिये मुझे उस पर निर्णय देना पड़ा आपके विरुद्ध मैंने सूचना अग्राह्य की है । आपको सुनने के बाद भी यही होता । इसके अलावा जो मैंने कहा है वे शब्द तो आपके नहीं हैं जिस पर मैंने कहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जो निर्णय आपका हुआ है, उस के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है उसे आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

अब किसी प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं उठता । विशेषाधिकार के प्रश्न इस समय मेरे सामने हैं उनको मैं लूंगा । उसके बाद में आपको सुनूंगा । इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता । आप मुझे नियमावली दिखलाइये, इस समय व्यवस्था के प्रश्न का औचित्य ही नहीं है ।

श्री कृष्ण मोहन लाल सक्सेना, प्रवर वर्ग सहायक, गृह (पुलिस) बीजा अनुभाग-३ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री मोहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा ने श्री कृष्ण मोहन लाल सक्सेना, प्रवर वर्ग सहायक, गृह (पुलिस) बीजा अनुभाग-३ के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त श्री सक्सेना ने उन्हें गालियां दी उनसे मार पीट की, उन्हें दो एक घूंसा मारे और यह धमकी दी कि उन्हें सेक्रेटेरियट के बाहर समझेंगे। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि उक्त श्री सक्सेना ने सारे विधायकों को गालियां दी और कहा कि 'प्रदेश के सारे विधायक गुन्डे हैं।

यह घटना उस समय की है जब माननीय सदस्य, श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, संयुक्त सचिव (गृह) के कमरे में अपने क्षेत्र के एक काम से गये थे। चूंकि माननीय सदस्य को उस समय उत्पीड़ित नहीं किया गया जब वे सदस्य के नाते सदन या उसकी किसी समिति विषयक अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में कार्य कर रहे थे और माननीय सदस्य पर जहां तक आक्रमण किया गया वह स्थान सदन के परिसर के बाहर था, इसलिए जहां तक माननीय सदस्य के उत्पीड़न एवं माननीय सदस्य पर आक्रमण का सम्बन्ध है उसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। किन्तु उक्त श्री सक्सेना ने सारे विधायकों को गालियां दी और उन्हें गुन्डा कहा, यह अवश्य सदन का अवमान है। इस तरह से यदि सदन के सदस्यों को आतंकित किया जायेगा गुंडा कह कर तो वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे इसलिये यह सदन का अवमान है। लेकिन विचारणीय प्रश्न मेरे सामने यह है कि यदि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया गया तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के मुताबिक कोई भी कार्यवाही करना कठिन हो जायेगा। इसलिए इस पर कल विचार करके फिर अपनी व्यवस्था दूंगा कि विशेषाधिकार समिति को दिया जायगा कि कोई दूसरा इसका प्रतकिार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

सदन में बुला लें...

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

इस पर सदन ही कार्यवाही करे।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, यह मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि ज्यों ही यह बात सूचना में आई तो उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया (तालियां) और आगे उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, जो बातें सामने आई हैं जो आपके माध्यम से जानकारी हुई है इससे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात है, मान्यवर यह सदन

तो सक्षम है और इस पर कोई कार्यवाही कर सकता है । जिस तरह की सूचना हमारे सामने है मैं तो यह कहूंगा कि सदन इस पर विचार करे, सदन के सामने यह घटना है...।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें ।

श्री देवबहादुर सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि निलम्बित कर दिया गया है । इससे सदस्यों की प्रतिष्ठा बच नहीं जाती । इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन इसको ले, सदन इस वक्त बैठा है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह जी का यह कहना ठीक है कि जो घटना सदन के सामने होती है वह सदन में आये । अगर मैं निर्णय करूंगा तो इसे विशेषाधिकार समिति में भेजा जायेगा । सदन के सामने नहीं लाया जा सकता । इसलिए मेरा कहना है कि निलम्बित कर दिया गया है यह मुख्य मन्त्री जी ने कहा है इस पर मुख्य मन्त्री जी से परामर्श होगा कि वह और क्या कार्यवाही कर रहे हैं, न्यायालय भेज रहे हैं कि नहीं ? उसमें देखना होगा कि विधि की दृष्टि से क्या ज्यादा उचित होगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जब निलम्बित कर दिया गया तो एक जुर्म में दो दंड नहीं दिये जा सकते । जब एक कार्यवाही मुख्य मन्त्री जी कर रहे हैं तो उसको यहां समाप्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं अभी यह मेरे विचाराधीन है ।

सदन में विवाद के समय सदस्यों को भाषण देने के लिय बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है नियम २८७ के अन्तर्गत सूचना देना चाहता हूं । श्री मैनेजर सिंह जी के बारे में जो व्यवस्था दी उससे सम्बन्धित नहीं है । लेकिन उनका जो बहिर्गमन हुआ है उससे सम्बन्धित है । धारा २८७ में है कि जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे । यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायेगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा । मान्यवर, जैसा नियम में स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय या अधिष्ठाता महोदय किसी भी सदस्य को किसी अनुदान पर या किसी भी विषय पर बोलने के लिए इजाजत देंगे और वह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

अपने विवेक से देंगे । इस सम्बन्ध में ऐसी नजीर इस विधान सभा में की है, इस विधान सभा में २० फरवरी, १९६९ को ऐसी मिलती है, श्री मुक्तिनाथ राय जो उस समय सदस्य थे, उन्होंने माननीय अध्यक्ष से आपत्ति की थी....।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह इसमें कहां उठता है, यह श्रीमन्, कौन सा विवाद चल पड़ा ।

श्री अध्यक्ष--

शतरुद्ध प्रकाश जी इसका कोई अवसर नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

तो प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य इस सदन में बोलेंगे, तो वह अध्यक्ष या अधिष्ठाता द्वारा किसी सूची से संचालित होंगे या अपने विवेक से संचालित होंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है और स्वयं हमारे साथ भी हुआ है कि हमने बोलने के लिए समय मांगा है खड़ा भी हुआ हूं, लेकिन अधिष्ठाता महोदय आंख उठाकर देखते नहीं हैं और वह कोई सूची लेकर आते हैं उसी के अनुसार वह सदस्यों का नाम बोलने के लिए पुकारते हैं । कई बार ऐसा भी होता है कि माननीय सदस्य यहां उपस्थित भी नहीं होते हैं किन्तु वह उनका नाम पुकार देते हैं । इस प्रश्न पर कई अधिष्ठाता महोदय से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि हम लोगों को सूची दी जाती है और उसी से नाम बुलाने के लिए कहा जाता है और उससे नाम यदि हम नहीं बुलाते हैं तो हमसे पूछताछ की जाती है । तो वह अपने विवेक से बोलने के लिए कहें या सूची से बोलने के लिए कहें, इस पर उस मामले में अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी मैं लिस्ट से अपने को बाध्य नहीं समझता हूं । वह स्पष्ट है, लेकिन पिछले ३-४ दिन से विभिन्न अनुदानों पर बोलने के लिए जो नाम पुकारे जा रहे हैं वे लिस्ट से ही संचालित होकर पुकारे जा रहे हैं । तो अब आप अपनी व्यवस्था दें कि वह अपने विवेक से बोलने का अवसर प्रदान करेंगे या सूची के अनुसार देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है । माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी, मैं समझता हूं कि एक अच्छे वकील हैं और वह अपना पक्ष अच्छी तरह से रखते हैं । लेकिन वह जानते हैं कि व्हिप द्वारा सूची जारी की जाती है और यह संसदीय प्रणाली का अभिन्न अंग है । यह सही है कि अधिष्ठाता या अध्यक्ष जो भी पीठासीन है, वह सूची से बाध्य नहीं है वह सूची केवल उनकी सहायता के लिए है । संसदीय प्रणाली में संसदीय कार्य मन्त्री और व्हिप का यह कर्तव्य है कि विवाद को संतुलित और ऊंचे स्तर पर बनाए रखने तथा तर्क का उत्तर तर्क से देने के लिए, भिन्न-भिन्न अपने सदस्यों की सूची अधिष्ठाता या अध्यक्ष को दे और वह दे सकते हैं और देते हैं । अध्यक्ष उस सूची से भी मदद ले सकते हैं और बाहर से भी नाम बुला सकते हैं । इसमें कोई इस प्रकार की त्रुटि नहीं है, सूची सहायता के लिए है, बाध्यता नहीं है । लेकिन इस सम्बन्ध में जो नियम २८७ में भी शतरुद्ध प्रकाश ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह संसदीय कार्य मन्त्री जी का भी कर्त्तव्य है कि भिन्न-भिन्न अनुदानों पर

जब विवाद हो रहा है अपने कुछ सदस्यों की सूची बनावें । यह उनका अधिकार है, वह जो बोलते हैं अध्यक्ष की इजाजत से बोलते ह, लेकिन कई-कई को कई बार अवसर मिलता है और मेरे कमरे म और यहां भी पर्चे इस बारे में इकट्ठे हो जाते हैं और मुझसे लोग कहते हैं कि उनको एक बार भी अवसर नहीं मिला । तो व्हिप का कर्तव्य है कि जिनको एक बार भी अवसर नहीं मिला, उनके नामों की सूची दे और उन सदस्यों को भी यदि वह बोलना चाहते हैं तो यहां उपस्थित रहना चाहिए । यदि कोई यहां उपस्थित न हो और उनका नाम पुकारा जाए, तो यह उचित नहीं है, लेकिन यह कभी-कभी भूल से हो जाता है । इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सूची से सहायता तो ली जाए, लेकिन जो माननीय सदस्य यहां पर खड़े न हों, उनका नाम पुकारा न जाए । और यदि इस तरह की कोई त्रुटि हो तो उसको दूर करन का प्रयास किया जायगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का सवाल है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । कोई व्यवस्था का सवाल नहीं । आप अव्यवस्था कर रहे हैं । आप अपनी जगह पर बैठिए ।

इलाहाबाद में हुई नैनी ट्रेन दुर्घटना में मृत घायलों की सहायता के लिये अध्यक्ष सुरक्षा कोष की स्थापना करन की मांग

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, कल इस सदन में जो इलाहाबाद के निकट नैनी में रेल दुर्घटना हुई उसके लिए सदन ने चिन्ता व्यक्त की और शोक प्रस्ताव भी पारित किया । उस दुर्घटना में ६० से अधिक लोग मरे हैं और हताहतों की संख्या २०० से ऊपर है । सदन ने अपनी जगह पर समवेदना प्रकट की है और आपसे अनुरोध किया है कि संतप्त परिवारों तक वह समवेदना पहुंचा दें । वह तो सही है लेकिन इतने से हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाते ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहिए जो लिख कर दिया है । केवल वही बतला दीजिये ।

श्री शंकर सिंह--

जो दुर्घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है । उत्तर प्रदेश में दुर्घटना होने के नाते इस सदन और माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है, खास तौर से हम देख रहे हैं, पिछले २ अक्तूबर को गांधी जन्म दिवस मनाया गया और ज० पी० का जन्म दिन है ।

श्री अध्यक्ष--

आप को जो कहना है उसी तक सीमित रहिए ।

श्री शंकर सिंह—

मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सभी सदस्य मिल कर अध्यक्ष कोष स्थापित करें और जितने सम्मानित सदस्य हैं सदन के, जो कुछ भी सहायता करें अध्यक्ष कोष में जमा करें जिससे जो दुर्घटना हुई और आगे अगर कोई दुर्घटना हो, उसमें आपके माध्यम से कुछ सहायता दे सकें । मैं इस सम्बन्ध में पहल करते हुए मैं एक महीने का वेतन उस कोष में जमा करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत-बहुत धन्यवाद । ठीक है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—(जिला बाराबंकी)

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का सवाल ।

श्री अध्यक्ष—

कौन सा विषय है जिस पर आप व्यवस्था उठाना चाहते हैं ? (श्री बांकेलाल के खड़े होने पर) बांके लाल जी, आप बैठ जाइये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मैं यह कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे पहले अनुरोध किया कि मेरे कक्ष में आकर बतला दिया करें, जब आप बोलना चाहें, सदन के सारे नियमों को निलम्बित कर दूंगा, तब आपको अनुमति दूंगा । इस समय कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—(जिला हरदोई)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायगा ।

हरदोई जिला जेल में दिनांक ३० सितम्बर, ७७ को होम्यो छात्रों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

न्याय मन्त्री—(श्री ओम प्रकाश सिंह)

मान्यवर, ३०-९-७७ को जिला कारागार, हरदोई में कुल ३७ होम्यो छात्र बन्द थे जो कि विभिन्न तिथियों को लखनऊ से आये थे ।

दिनांक २७-९-७७ को होम्यो छात्र बन्दी श्री राधे श्याम वर्मा ने स्वास्थ्य मन्त्री जी को सम्बोधित करते हुये दो आवेदन पत्र दिनांक ७-९-७७ व २४-९-७७ दिये जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि होम्यो छात्रों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वह दिनांक ३०-९-७७ को प्रातःकाल १० बजे आत्मदाह करके अपने

नोट—[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्राणों का बलिदान कर देंगे। यह आवेदन पत्र उसी दिन जिला अधिकारी, हरदोई को भेज दिये गये। उसी दिन से छात्रों पर सतर्क दृष्टि रखी जाने लगी। एक वरिष्ठ सहायक जेलर को इस आहाते का, जहां होम्यो छात्र बन्द थे, उत्तरदायित्व सौंप दिया गया तथा वार्डरों की संख्या भी बढ़ा दी गयी। दिनांक २९-९-७७ को बैरक के छात्रों व सम्पूर्ण आहाते की पूर्ण तलाशी लेकर यह सुनिश्चित कर लिया गया कि किसी प्रकार की ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आत्मदाह की सम्भावना हो।

दिनांक ३०-९-७७ को उस आहाते में चार बन्दियों की ड्यूटी लगायी गयी तथा पेड़ों के पास बन्दी नम्बरदारों की ड्यूटी लगा दी गयी ताकि कोई पेड़ पर न चढ़ सके। प्रातः लगभग ८ बजे बैरक नम्बर १२ के अन्दर कुछ छात्रों ने गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कन्धे पर चढ़कर श्री राधे श्याम वर्मा छात्र को ऊपर की ओर चढ़ा रहे थे। बैरक के गेट का दरवाजा अन्दर के छात्रों ने बन्द कर रखा था। जब वार्डर नत्थू सिंह बैरक के गेट की तरफ गये तो बाहर खड़े दस बारह छात्रों ने दरवाजा नहीं खोलने दिया तथा वार्डर नत्थू सिंह व अहिवरन लाल से मारपीट करन लगे और उनको नीचे गिरा दिया। उनके डन्डे छीन लिये। इतने में अन्दर के छात्र भी श्री राधेश्याम वर्मा को कन्धे पर चढ़ा कर बैरक की छत में लगी लोहे की राड तक पहुंचाया। श्री वर्मा ह थ में जो चादर लिये थे उसे रस्सी के रूप में राड से बांधा और उससे फन्दा बनाया। इस स्थिति को देखकर अलार्म कराया गया। अलार्म होते ही सभी जेल अधिकारियों व कर्मचारियों व नम्बरदार वहां पहुंचे चूंकि बन्दी छात्र सीढ़ी नहीं ले जाने दे रहे थे और आक्रामक हो रहे थे इसलिये सीढ़ी को खिड़की को तोड़कर ले जाना पड़ा। सीढ़ी ले जाते समय छात्रों ने वार्डरों पर हमला किया जिससे कुछ वार्डरों तथा छात्रों में संघर्ष हुआ जिससे कुछ वार्डरों को भी चोटें आयीं। फिर भी राधेश्याम वर्मा की जान बचाने हेतु जो सीढ़ी नहीं ले जाने दे रहे थे, कर्मचारी सीढ़ी ले जाने के प्रयत्न करते रहे तथा छात्र उनके ऊपर बराबर आक्रामक कार्यवाही करते रहे और अन्ततोगत्वा सीढ़ी खड़ी करने में सफल हो गये उसके बाद भी कुछ छात्र सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगे जिसके कारण सीढ़ी गिरी और उसके साथ वे छात्र भी जो पिरामिड बनाये हुये खड़े थे। इस प्रकार छात्रों द्वारा आक्रामक रवैया अपनाने और अधिकारियों द्वारा सुरक्षात्मक कार्यवाही करने के कारण छात्रों और वार्डरों को चोटें आयी जिनमें से केवल तीन बन्दी छात्रों को कुछ अधिक चोटें आयीं, जिनकी स्थिति निम्नलिखित है।

कुल सात वार्डर, ३ नम्बरदार, २ कैदी तथा एक सहायक जेलर को चोट आयी। कुछ छात्र बन्दियों को भी चोटें आयीं। छात्रों का परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई तथा उप चिकित्सा अधिकारी, हरदोई द्वारा उसी दिन कराया गया। उक्त चोट खाये बन्दियों में से तीन विचाराधीन बन्दियों को अधिक चोट आना बताया गया है उनके बारे में स्थिति निम्नलिखित है :--

(१) श्री राधेश्याम वर्मा--इनको मामूली चोट आयी थी उनका इलाज कर दिया गया है और अब उनकी हालत ठीक है और वह सामान्य रूप से भोजन कर रहे हैं।

(२) श्री पारस नाथ मिश्र--प्रारम्भिक उपचार के बाद इनको जिला अस्पताल भेज दिया गया था। अब उनकी हालत ठीक है और वह

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

सामान्य भोजन कर रहे हैं । उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था जिस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया है ।

(३) श्री राम नरेश तोमर--इनकी सभी चोटें मामूली थीं इनको चीफ मेडिकल आफीसर तथा डिप्टी चीफ मेडिकल आफीसर ने देखा था । बाद में इनकी तबियत कुछ खराब होने के कारण इनको तुरन्त सदर अस्पताल के फिजीशियन को बुलाकर दिखाया गया तथा देखने के बाद जिला अस्पताल में उपचार हेतु २-१०-७७ को भरती कर दिया गया और ४-१०-७७ को अस्पताल से मुक्त कर दिया गया ।

इस घटना की जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने श्री हीरा लाल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जांच हेतु भेजा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने घटना स्थल को देखा तथा सबसे बातचीत की । छात्रों ने बयान देने से इन्कार किया । जिलाधीश, हरदोई ने भी उक्त घटना की पुष्टि करी है ।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं इस वक्तव्य पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठ जायें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जब कोई वक्तव्य स्वीकार किया जाता है, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि भविष्य में अगर माननीय सदस्य इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे तो मैं वक्तव्य की इन सूचनाओं को स्वीकृत नहीं करूंगा । आप देखें नियम ५१ के अनुसार उस दिन का कार्य समाप्त हो जाने के बाद उस वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं । यह केवल वक्तव्य है । इस पर किसी प्रकार के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । यह नियमानुसार नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट--(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैंने गलती की कि आपके इस प्रश्न को मंजूर किया । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य ठीक दिये जाते हैं । आप बैठिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

(इसके उपरान्त माननीय सदस्य सदन को त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने कहा, प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

लोकनायक जय प्रकाश के फोटो का अपमान किया जाना तथा छात्रों के बहुमत का आदर न करना, प्रश्नों का सही जवाब न देना सदन का ही नहीं अपितु जय प्रकाश जी का अपमान है । मैं उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं सम्बन्धित मन्त्री के इस्तीफे की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

(इसके उपरान्त श्री सुन्दर लाल दीक्षित सदन को छोड़कर चले गये ।)

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक १२–१०–७७ को नियम ५६ के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई । श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने सूचना दी है जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत थाना सुबेहा, लोनी कटरा तथा असन्धरा थाना क्षेत्रों में चोरी, डकैती, राहजनी से जन–साधारण में भय तथा आतंक है । यह अत्यन्त सामान्य है । मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री श्याम धर मिश्र ने दिनांक १ अक्तूबर, १९७७ को वाराणसी शहर के मोहल्ला रेवड़ी तालाब व डेवढ़िया में मुसलमानों के घरों में घुसकर पी० ए० सी० द्वारा लूट–मार, मार–पीट और नाजायज गिरफ्तारी किया जाना ।

यह घटना एक अक्तूबर की है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व की अब नहीं है ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय, मेरा एक प्रश्न है...।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठिये। मैं इस पर कुछ नहीं सुनना चाहता।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप सुन तो लें। वे लोग ३० महीनों से जेल में हैं। एक को गोली लगी है जो अभी तक नहीं निकाली गई...।

श्री अध्यक्ष--

मिश्र जी, आप बैठिये। माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें। आपने नियम ५६ के अन्तर्गत प्रश्न किया है। आपको इस पर पर्याप्त अवसर सामान्य प्रशासन और पुलिस की आलोचना करने का, प्रकाश डालने का समुचित अवसर मिला। नियमावली में यह लिखा हुआ है कि सदन में जिस विषय पर चर्चा हो चुकी हो या जो विषय चर्चा करने के लिए सदन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया हो, उसके स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इसे अग्राह्य करार देता हूं। यह नियमानुसार नहीं है।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, आप मेरी बात तो सुनें...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर अल्प सूचित प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। तब आप पूछें। आप मन्त्री जी से...।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप कह दें। मन्त्री जी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मैं दिलवा दूंगा।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, मन्त्रियों को भी अधिकार है। वह कह सकते हैं कि हम नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--

अगर सूचना मिलेगी तो मन्त्री जी दे देंगे। आप बैठें। इस पर सूचना की आवश्यकता हुई, तो वह दे दी जायेगी।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या १२-मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३-अन्य-कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२-सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७-सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८-पर्यटन, अनुदान संख्या ८७-सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८-पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मन्त्री--(श्री आबिद अली)

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या १२-मोटर-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,५८,७५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६१,६२,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६२-सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,११,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान ६७-सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६८-पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,९४,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८७-सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

[श्री आबिद अली]

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८८—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, परिवहन विभाग का जनता से बहुत नजदीकी ताल्लुक है । रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोग, और सामान मोटर गाड़ियों से ही ले जाया जाता है और लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं । इस विभाग के २ भाग होते हैं : एक भाग तो वह है जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करता है, उनसे शुल्क वसूल करता है और यह देखता है कि वे कायदे के खिलाफ तो नहीं चल रही हैं और उनकी चेकिंग भी करता है, दूसरा भाग कामर्शियल अन्डर टेकिंग का है जो प्रदेश में गाड़ियां चलाता है । पहले वाले भाग में सूबे की लेविल पर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर होता है और डिवीजनल लेविल पर आर० टी० ओज होते हैं वहां पर आर० टी० एस० कमेटीज होती हैं जो पर्मिट्स देती हैं और रजिस्ट्रेशन का काम करती हैं । सूबे की लेविल पर एक कमेटी होती है जो सूबे का काम देखती है । वर्ष १९७५-७६ में इस विभाग में ४० करोड़ ४० लाख की आमदनी हुई थी और वर्ष १९७६-७७ में ४३ करोड़ ८५ लाख की हुई थी ।

१९७७-७८ में जो इनकम रखी गयी है वह ४०.७२ लाख रखी गयी है । इस पर हमारे नारायण दत्त तिवारी जो ने जो भाषण दिया था तो कहा था कि इस साल कुछ इनकम कम रखी गयी है । उसकी वजह यह है कि सन् १९७६-७७ में ४ करोड़ रुपया ए० जी० ने जो पुराना पैसा था वह इसमें रख दिया था । तो अगर ४ करोड़ न होता तो सही इनकम ३९.८५ लाख होती थी । तो इस साल जो इनकम रखी गयी है वह साल गुजिश्ता से कहीं कमी नहीं है । इस साल भी आमदनी हमारी साल गुजिश्ता से ज्यादा चल रही है । पार साल जुलाई तक १५.१४ लाख की इनकम हुई थी । इस साल उसी पीरियड में १६.९७ लाख की आमदनी हुई है ।

हमारे परिवहन डिपार्टमेंट में ४६ स्क्वैड्स हैं जो चेकिंग का काम करते हैं । १९७७-७८ में ७६,५५१ केसेज का चालान किया । १९७५-७६ में ७०,७८६ का चालान हुआ और १९७४-७५ में ८४,४४२ केसेज चालान हुये थे । लेकिन इस वक्त समस्या हमारे सामने यह है कि पेंडिंग केसेज ३१ मार्च तक १.५७ हजार के थे । जब इतने केसेज अदालतों में पेंडिंग होंगे तो सही माने में कानून की पाबन्दी पूरी नहीं हो पाती है । अगर चालान होने के बाद जिसने गलत काम किया है उसको जल्दी सजा मिल जाय तो शायद कानून का लोग पालन करें । तो हाई कोर्ट से कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा इन्तजाम हो जाय कि जो पेंडिंग केसेज हैं उनका डिस्पोजल जल्दी हो जाय ताकि न ट्रांस्पोर्टर को, न आपरेटर को और न ट्रक वालों को परेशानी हो और न यह हो कि केसेज पड़े हुए हैं लिहाजा उनपर पाबन्दी नहीं हो रही है ।

एक चीज और थी । जब ऐक्सीडेंट होता है और मृत्यु हो जाती है तो बड़ी परेशानी होती है । गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है मृतक के परिवार वालों को तो एक बीमे की स्कीम जारी की है । ५ पैसा और किराये में वह ले लिया जाता है और ऐक्सीडेंट होने पर १० हजार रुपया मृतक के परिवार को दिया जाता है । अगर कोई घायल हो जाता है तो उसी हिसाब से वह दिया जाता है । यह नहीं होता है कि मरने के बाद या घायल होने के बाद पैसा न मिले ।

जो टैक्सी चल रही हैं उन पर कोई मीटर नहीं था, उसकी वजह से शहरों में जो लोग आपरेटर्स हैं, टैक्सी चलाने वाले वह तंग करते थे। तो यह कोशिश की जा रही है कि कबाल टाउन्स में पहले मीटर लगवाया जाय और देखा जाय। अगर वहां कामयाबी होती है तो और जगहों पर भी बढ़ाया जाय। यह सही है कि अपोजीशन में कुछ हो रहा है टैक्सी वालों की तरफ से, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि कबाल टाउंस में जरूर इसको चालू किया जाय ताकि जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको परेशानी न हो।

एक चीज और होती थी कि जो आर० टी० ओज० के आफिस में दलाल लगे रहते थे और एक मेला और भोड़-भाड़ रहती थी, जिसकी वजह से वातावरण दूषित रहता था। तो कोशिश की जा रही है कि दलाल टाइप के लोग खत्म हो जायं और जो लोग कि अपना रजिस्ट्रेशन के लिए या रिन्युअल के लिए आते हैं वह बराह रास्त जो क्लार्क्स हैं, काम करने वाले हैं, उनसे मिलें और उसी दिन काम खत्म हो जाय। इंक्वायरी आफिस अलग बनाया गया है और कोशिश यह हो रही है कि दरमियान के दलाल लोगों को एलिमिनट किया जाय ताकि करप्शन के चांसेज खत्म हो जायं और लोगों को आराम मिल सके।

एक चीज और है कि अभी तक रोडवेज में जब बगैर टिकट के यात्री पाये जाते थे तो कंडक्टर पर ऐक्शन होता था। लेकिन यात्री, सफर करने वाले, जो बगर टिकट के होते थे उन पर नहीं होता था। नतीजा यह होता है कि यात्री समझता है कि हम पर कुछ होना नहीं है। तो हो सकता है कि दोनों मिल जाते हों। लेकिन अब यह किया जा रहा है कि यात्री भी बगर टिकट के पाया जायगा तो पेनाल्टी लगेगी। जैसा कि रेलवेज में होता है। एसी हालत में वह कन्डक्टर के लिये खुद अपने को खतरे में नहीं डालेगा और चाहेगा कि उसको टिकट मिल जाय ताकि चेकिंग के वक्त उसको पेनाल्टी न देना पड़े।

नेशनल परमिट्स देने की गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम गुजिश्ता साल से चल रही है। पहले उन्होंने २५० परमिट्स दिये लेकिन उसके साथ ही एक कायदा बना दिया जिसके तहत में लोगों को परमिट्स तकसीम करेगी। ५० परसेंट इन्टर-स्टेट काम में जो लगे हुये हैं उनको दिये जायेंगे, २५ परसेंट जो स्टेट में काम में लगे हुये हैं उनको दिये जायेंगे, १० परसेंट मिलिटरी वालों को और १५ परसेंट नये आदमियों को। अगर कहीं इसके खिलाफ हुआ है तो हम देखेंगे और अगर कोई गलती पायी गयी तो कार्यवाही की जायगी।

एक चीज और है। हमारा परिवहन डिपार्टमेंट आमदनी तो काफी करता है, करीब ४०-४२ करोड़ के आमदनी होती है लेकिन इसके पास अपनी कोई बिल्डिग नहीं है। सिर्फ एक बिल्डिग देहरादून में है और एक हेडक्वार्टर्स पर है। और जगहों में किराये की बिल्डिंग्स हैं। इस साल तो बिल्डिग के लिये कोई पैसा नहीं रख सके हैं लेकिन आइन्दा के लिये कोशिश करेंगे कि कोई आफिस बन जाय ताकि सब स्टाफ वहां बैठे और ठीक से काम कर सके और पब्लिक को भी आराम हो।

इसके अलावा पहले आर० टी० ए० बसों के परमिट डिस्क्रीशन पर देते थे। इसमें बहुत सी बातें हो जाने का एहतमाल रहता था। अब लाटरी सिस्टम कर

[श्री आबिद अली]

दिया गया है । कोई परमानेन्ट परमिट बगैर लाटरी के नहीं दिया जायगा । इसके लिये कुछ नार्म्स बना दिय गय हैं और उन नार्म्स में रह कर ही आर० टी० ए० लाटरी डालेगा । और वह नार्म्स यह ह कि २५ परसेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिये जिनकी गाड़ियां दूसरे रूट्स पर चलती थीं और वह रूट्स छिन गये, १० परसेंट एजुकेटेड अनएम्प्लायड के लिये ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

और हरिजनों के लिये ?

श्री आबिद अली--

१५ परसेंट हरिजनों के लिये, १० परसेंट कोआपरेटिव्ज के लिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

बैकवर्ड के लिये ?

श्री आबिद अली--

बैकवर्ड और हरिजनों को एक ही में १५ परसेंट में मिला दिया गया है ।

श्री ऊदल--

बैकवर्ड के लिये तो अलग १५ परसेंट का रिजर्वेशन कर दिया गया है ।

श्री आबिद अली--

इसमें दोनों को एक में मिला दिया गया है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी राकेश (जिला कानपुर)--

अभिजात्य वर्ग के लिये भी कुछ रखिये ।

श्री आबिद अली--

जितना रह जाता है वह उनके लिये ही है ।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

महिलाओं के सम्बन्ध में भी आप विचार करते हैं कुछ ?

श्री अध्यक्ष--

जो माननीया सूर्यमुखी जी ने कहा है, मेरा एक सुझाव है कि अगर ड्राइवर भी महिला हो और कंडक्टर भी महिला हों तो उनकी बात स्वीकार की जाय । (हंसी) ।

श्री रणजीत सिंह जू देव (जिला झांसी)--

यह तो खाली जनता राज में ही हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप उससे कैसे वंचित हैं ?

श्री आबिद अली––

इसके अलावा करीब १ हजार बसेज ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन किसी रास्ते पर चलने के लिये परमिट नहीं है । नतीजा यह है कि या तो वह अनआथोराइज्ड रूट्स पर इधर–उधर चलती हैं, उसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से कुछ प्रोवाइड किया जाय, तो उसके लिए रोडवेज को जहां पर गाड़ियों की कमी होगी, जिन रूट्स पर, वह वहां पर कुछ गाड़ियां, किराये पर लेकर चलायेंगे । उन्होंने कुछ दरख्वास्तें भी मांगी थी और वह दरख्वास्त इसी महीने में आ गयी हैं, वह जांच को जा रही हैं, उसके बाद जहां–जहां जरूरत होगी, वह किराये पर लेकर गाड़ियां चलायेंगे । जहां पर नान–नोटिफाइड रूट्स हैं, वहां पर जहां गाड़ियों की कमी है, वहां पर आर० टी० एस० से गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाय, ताकि जो पब्लिक को तकलीफ होती है, वह तकलोफ भी कम हो जाय, जो अनआथोराइज्ड आपरेशन हो रहा है, वह खत्म हो जाय । एक और प्राब्लम है, वह प्राब्लम मिनी बसेज का है । ४,५०० बसें ऐसी हैं जिन्होंने कंट्रैक्ट करके परमिट लिया, वह रेगुलर कह कर चालू की गयी थीं, लेकिन वह बंद कर दी गयी थीं, अब जब सख्ती होती है, तो बंद हो जाती है । तो उसके लिए यह स्कीम है कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, बड़े–बड़े शहर हैं, वह म्युनिसिपैलिटी के अन्दर रखकर चलाना चाहें, तो लेवी देकर रोडवेज की मंजूरी लेकर चलावें, इस वास्ते कि वह सब रोडवेज की नेशनालाइज्ड रोड्स हैं । वहां पर लेवी लेकर उनको इजाजत दी जा सकती है । तो इससे जो उनको बेकारी की शिकायत है वह शायद दूर हो जायगी ।

श्री ऊदल––

जो नेशनालाइज्ड रूट्स पर बस चल रही हैं, मिनी बस चल रही हैं, उनको बन्द करने पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री आबिद अली––

जो मैंने पहले बताया, उसमें उनका चालान शामिल है । १८ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने लोन दिया था, उस वक्त ४,२५३ बसेज थीं, इस वक्त १९७६–७७ में ५,७१३ बसेज उनकी फील्ड में हैं, १७९ ट्रक्स हैं और ५७ ट्रैक्सीज हैं । इसको जो हैं, १९७५–७६ में २७ करोड़ ६० लाख किलोमीटर ये चलीं । ३२ करोड़ पैसेन्जर्स को इन्होंने उठाया । यह फीगर बढ़कर १९७६–७७ में ३० करोड़ ६८ लाख किलोमीटर तो माइलेज हो गया और पैसेंजर ३२ करोड़ से बढ़कर ३५ करोड़ ३ लाख हो गया । इस तरीके से हमारी जो सिटी बस सर्विस है १९७०–७१ से शुरू की गयी थी, उस वक्त ५ करोड़ ६५ लाख पैसेंजर उठाया । १९७६–७७ में ८ करोड़ ८४ लाख हो गया, अब जहां पर बढ़ोतरी हो गयी, मिनी बस पहुंच जायगी, तो सिटी बस की तादाद ज्यादा बढ़ जायगी, पब्लिक को भी आराम होगा और वह भी काम में लग जायेंगे । इसके बाद रोडवेज इस साल ४ करोड़ रुपया अपने बस स्टेशन या जमीन की खरीदारी में सर्फ करने जा रही है । इससे जो हमारे पास जगह है, जहां पर कि वर्कशाप, बस स्टेशन एक ही जगह पर है और उसकी वजह से बड़ा कंजेशन हो गया ।

[श्री आबिद अली]

जैसा कि आपका चारबाग है । वहां का वर्कशाप हटा दिया जायगा तो वर्कशाप हटने से वहां काफी जगह मिल जायगी बस स्टेशन बढ़ान के लिये । जब बस स्टेशन बढ़ जायगा तो पैसेंजर्स को भी आराम हो जायगा । वर्कशाप बाहर जाने से सुविधा होगी और मेंटोनेंस अच्छी तरह से हो सकेगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कानपुर जैसे बड़े शहर में ऐसा बस स्टेशन जाती है कि बात है । कलेक्टरगंज में जो बस स्टेशन है तो शर्म से गरदन झुक स्टेशन नहीं है । नार्दर्न इंडिया के कामर्शियल केपिटल शहर में कोई अच्छा बस होना शर्म वाली में कोशिश करूंगा कि इसी साल में कुछ उसको शुरूआत करवायें और वहां अच्छा बस स्टेशन बनायें जो कानपुर का शायानेशान हो, उत्तर प्रदेश का शय्यानेशान हो ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

मैं १० साल से सुन रहा हूं ।

श्री आबिद अली--

वह सही है । लेकिन अब इस तरफ ध्यान दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी इस तरह से आपस में बात न कीजिये ।

श्री आबिद अली--

अब ३४७ नयी गाड़ियां खरीदेंगे और गाड़ियों का रिन्नोवेशन भी करेंगे । इसमें १० करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाजा है । पैसेंजर्स को आराम देने के लिये जरूरत यह है कि गाड़ियों का करटेलमेंट न हो । गाड़ियां ठीक तरह से चलें और फेल न हो । इस सिलसिले में मैं फीगर्स दे रहा हूं । १९७५-७६ में १३.४ प्रतिशत करटेलमेंट था । १९७६-७७ में ४.१ प्रतिशत पर आ गया । इस साल कोशिश होगी कि गाड़ियों की मरम्मत की जाय और उनको रिन्नोवेट करके उनकी तादाद बढ़ाई जाय । करटेलमेंट का परसेंटेज जीरो पर न पहुंच जाय तो इतना कम हो जाय कि पब्लिक को कोई तकलीफ न हो । इससे पहले साल ७३४ बसों का रिन्नोवेशन कानपुर में हुआ है । इस साल १ हजार गाड़ियों का रिन्नोवेशन कराने का इरादा है । तो इस तरह से ज्यादा बसेज बस स्टेशनों पर पहुंच कर काम करेंगी तो पैसेंजर्स को ज्यादा आराम होगा ।

इसमें असल में वर्कशाप की बात आती है कि अगर वह ठीक हो जाते हैं तो बसेज भी बढ़ जायेंगी । कानपुर में हमारा एक सेंट्रल वर्कशाप है लेकिन जितना अच्छा होना चाहिये वह नहीं है । मैं इसको रि-आर्गनाइज करने की कोशिश करूंगा ताकि वहां से गाड़ियां अच्छी निकलें । इस तरह से अन्य वर्कशाप्स की ओर ध्यान दिया जायगा । जो रीजनल वर्कशाप हैं इनके लिये जो मेंटीनेंस मुकर्रर किया है कि ३२ हजार कि० मि० पर गाड़ी का मेंटीनेंस हो । इसके बाद १ लाख और ३ लाख कि० मी० पर हो । तो मैं कोशिश करूंगा कि वर्कशाप्स में जितनी गाड़ियों का मेंटीनेंस हो सके तो वह वक्त पर हो जिससे गाड़ियां कम खराब हों । मैं समझता हूं कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं इसके बाद बोलेंगे तो ज्यादातर यही कहेंगे कि गाड़ियां बहुत खराब हैं । मैं इस चार्ज को पहले से मानता हूं कि यह वाकई है । इसके लिये कोशिश की जायगी कि वर्कशाप अच्छे हों । और गाड़ियों की मरम्मत ज्यादा तादाद में की जाय । जिस वक्त मरम्मत की जरूरत

हो उसी वक्त गाड़ी को मरम्मत की जाय ताकि गाड़ियां खटारा न बनकर रह जायं । मैं इस सम्बन्ध में पूरा प्रयास करूंगा और इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है । इसके लिये कोशिश तो यही होगी कि इसको पूरे सूबे में किया जाय लेकिन पूरे सूबे में यह मुश्किल होगा इस वास्ते तीन रीजन लिये गये हैं । यह माडल रीजन होंगे । एक पश्चिम में, एक दर्म्यान में और एक पूरब में लिया गया है । पश्चिम में मेरठ, बीच में लखनऊ और पूर्व में बनारस रीजन लिया गया है। इसमें कोशिश होगी कि हर चीज को सैचुरेट किया जाय, बस स्टेशन की कमी न रहे। यहां पर बर्कशाप की कोई कमी न रहे । यहां पर जो बसें खराब हैं वह अच्छी हो जायं । यहां जो गंदगी रहती है उसको भी दूर कराया जाय । ड्रिंकिंग वाटर की खराबी दूर कराई जाय । इस सिलसिले में कैसरबाग, चारबाग, कलेक्टरगंज, उन्नाव, शिवगढ़ और हैदरगढ़ में कुछ इक्सटेंशन किया जायेगा और ठीक किया जायेगा । गाड़ियों की हालत ठीक हो जाय तो इसमें कोशिश करेंगे कि इन रीजनों में कुछ रूटस को नेशनलाइज्ड कर लिया जाय ताकि वहां पर कंट्रोल अच्छा हो सके । पहले एक रीजन को नेशनलाइज्ड करके देखा जायेगा कि उससे पब्लिक को कितनी आराम पहुंचती है । हर रीजन में हम एक एडवाइजरी कमेटी बनायेंगे और उसमें आफिशियल और नान आफिसियल मेम्बर होंगे । आप लोग भी होंगे और जो सुझाव देंगे, मैं समझता हूं कि अच्छे सुझाव मिलेंगे, उनके अनुसार काम जब होगा तो ज्यादा अच्छी हालत हो जायेगी । गाड़ियों में ज्यादा टूल्स नहीं होते हैं तो उनको अब प्रोवाइड किया जायगा । मेडिकल किटस दी जायेगी । कम्प्लेन्ट्स बुक कहा जाता है कि मिलती नहीं है तो इन रीजनों में एक सेल कायम करेंगे जिससे जो शिकायत करना चाहें वह वहां कर सकें । शिकायतों की जांच करने के लिये अब एक आर० एम० से उच्च अधिकारी रखेंग जो उचित शिकायतों की जांच करेगा और प्रापर ऐक्शन उन पर लिया जायेगा ।

माननीय सदस्य, जो हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, बतायेंगे और जहां पैसेन्जर मिलेंगे वहां हम गाड़ियां बढ़ायेंगे । जो नान नेशनलाइज्ड रूट्स हैं और जहां गाड़ियों की जरूरत है वहां भी हम गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे । लेकिन इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा चूंकि उनको वहां के बारे में ज्यादा मालूम है इसलिये आप इसमें ज्यादा मददगार साबित हो सकेंगे । जहां आप बतायेंगे वहां बस स्टाप बनाने की भी हम कोशिश करेंगे ।

माननीय, हमारा यह पेनाल्टी क्लाज लागू हो जायेगा तब प्रिन्टेड टिकट कंडक्टरों को दे देंगे, ताकि जो टाइम उनको टिकट बनाने में लगता है वह कम हो जायेगा जैसे कि हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र तथा दूसरे राज्यों में लागू है । इससे पन्कचुअल्टी इम्प्रूव होगी ।

माननीय, मान्यता प्राप्त जो हमारे पत्रकार थे उनकी मांग थी कि हम लोगों को फ्री पास दिये जायं । तो अभी तक यह कंसेशन लखनऊ में जो पत्रकार थे उनको था लेकिन अब यह कंसेशन जिलों में बढ़ा दिया गया है । यह कंसेशन

[श्री आबिद अली]

2 हजार किलोमीटर तक होगा । जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे उनको यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ मिलेगी ।

मान्यवर, एम० एल० ए० लोगों के लिये जो सीट पर रिजर्व लिखा रहता था वह मिट गया है तो अब फिर वह लिखवा दिया जायेगा । जो हमारे इम्प्लाइज हैं उनको भी निगम ने कहा है नाइट एलाउन्स उनका पहले डेढ़ रुपया होता था। यह बहुत कम था । इसको बढ़ाकर 3 रुपया कर दिया गया है । मेडिकल एलाउन्स को भी कुछ किया है । एडीशनल डी० ए० जैसा कि और गवर्नमेन्ट एम्प्लाइज को मिलता है इनको भी दिया है । इस तरह से 2 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च हो गया है । और भी जो मांगें हैं वह भी निगम के जेरेगौर हैं । उन पर भी निगम जल्दी ही फैसला लेगा । लेकिन खाली उनकी मांगों को पूरा करना ही काफी नहीं है । उनका भी फर्ज है कि जो उनका काम है वह उसको ठीक से करें । जब मुझे यहां पर एतराज सुनने को मिलेंगे कि गाड़ियां ठीक नहीं है, खराब हैं, चलती हैं तो रास्ते में रुक जाती है तो मेरी गर्दन शर्म से झुक जायगी । इसलिए यह एक चेलेन्ज है एम्प्लाइज के लिए कि वह यह देखें कि सर्विस ठीक हो, कर्टेलमेन्ट न हो । पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और एक आदर्श सर्विस हमारी होनी चाहिए । सन् ४७ में जब नेशनलाइजेशन की स्कीम चली तो उस समय प्राइवेट गाड़ियों की हालत बहुत खराब थी और यह सोचा गया कि यदि हम अपनी सर्विस कायम करेंगे तो वह एक नमूना होगी । यह एक आदर्श सर्विस अब भी बनना चाहिए । इसलिए मैंने कहा कि जो इम्पलाइज की मांग है उसको तो देखना चाहिए और जायज मांग को मानना भी चाहिए लेकिन साथ ही इम्पप्लाइज का भी फर्ज है कि वह अपने काम को ठीक से करें । जब दोनों में बैलेन्स रहेगा तभी अच्छा काम चल सकेगा ।

अगर कोई भ्रष्ट है तो वह बक्शा भी नहीं जायगा : इस सिलसिले में ५ गजेटेड और १५ नान गजेटेड आफिसर्स को सस्पेंड किया गया है । यह हमारा मकसद नहीं है कि किसी को बेकार परेशान किया जाय । वह भी ह्यूमन है । लेकिन यह जरूर है कि अगर उसको आदत ही पड़ गयी है तो फिर चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो उसको बख्शा नहीं जायगा । क्योंकि यह किसी एक आदमी का मामला नहीं है, पूरी स्टेट का मामला है, उसकी नेकनामी और बदनामी का मामला है । अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको छोड़ने का सवाल नहीं होगा । अब इसमें एवीएशन का भी है । सात एयर क्राफ्ट्स और दो हैलीकाप्टर्स फ्लीट में हैं । सात में चार पुराने हैं और अनसर्विसएबुल हैं । बाकी तीन में एक फ्लाइंग क्लब को दे रखा है और दो काम में आते हैं हमारा सूबा इतना बड़ा है । कभी फ्लड आ जाते हैं तो कभी कोई बाहर से आ जाता है । इसीलिए इस फ्लीट को रखना जरूरी होता है । अभी तो यह अपने ही लिए हैं क्योंकि ज्यादा काम नहीं है । लेकिन गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के जेरेगौर है कि नेशनल स्कीम चलायें । अगर कोई इस तरह की स्कीम आयेगी तो मैं हाउस के सामने लाऊंगा और उसको पेश करूंगा ।

एक और डिमान्ड जो मैंने रखी है वह पर्यटन की है । अभी तक उसके साथ जस्टिस नहीं किया गया है । यू० पी० में जितने मुकामात पर्यटन की दृष्टिकोण में ह, शायद भारतवर्ष के किसी भी सूबे में इतने मुकामात नहीं हो सकते । हमारे यहां इण्टरटेनमेन्ट के लिये जितने मुकामात हैं, हिमालय पहाड़ और प्लेन में भी, शायद उतने कहीं नहीं होंगे । ताजमहल देखने जितने लोग आते हैं, उसका मुकाबला हिन्दुस्तान की कोई

भी रियासत नहीं कर सकती । रिलीजियस मुकामात जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी और बौद्ध मुकामात, ये सभी यहां पर हर सूबे से ज्यादा हैं--इस वास्ते कि जितन रिलीजन निकले हैं वे यू० पी० से निकले हैं और हिन्दुस्तान भर में फैले हुये हैं ।

इसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेज भी यहां इतने ज्यादा हैं कि शायद उनका कोई मुकाबिला नहीं कर सकता । जितने बाहर से लोग आये, उनका कोर्स यहीं खत्म हो गया, यहीं बस गये । लेकिन उसके बाद भी जो इस मद में खर्च होता था, वह सिर्फ ५५ लाख था । इसमें क्या हो सकता था । इस साल इसको बढ़ाकर एक करोड़ ५५ लाख किया है । लेकिन मैं समझता हूं कि वह भी कम है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं और कहीं ऐसी जगह पर जायेंगे जहां ठहरने का इंतजाम नहीं होगा, तो क्या होगा ?

एक सदस्य--

पहाड़ों के लिये कितना है ?

श्री आबिद अली--

पहाड़ों के लिये एक करोड़ ५५ लाख और मैदान के लिये ५० लाख है । लेकिन यह कम है । पहाड़ों पर जो लोग बाहर से आयेंगे, वे कहां ठहरेंगे, कहां रात बितायेंगे । लेकिन इस साल तिगुनी रकम आपके सामने है लेकिन शायद इससे भी ज्यादा रकम लेने की जरूरत पड़ जाय । बाहर के टूरिस्ट ताजमहल में ३९ प्रतिशत और वाराणासी में १० प्रतिशत आते हैं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी --

नीमसार के बारे में क्या योजना है ?

श्री आबिद अली --

नीमसार की भी स्कीम बनी है । मैंने वहां के लिये भी प्रयास किया । वहां लाखों आदमी आते हैं । बड़ा रिलीजियस मुकाम है । वहां के लिये भी कुछ होगा । इस साल में भी कुछ शुरुआत होगी । इसके बाद भी कुछ वहां बनेगा ।

अब तक विभाग के पास १९८६ बेड्स हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं हैं । इस साल ६८० नये बेड्स के और बढ़ाने का इरादा है इसमें नये जनता होटल टाइप के ज्यादा होंगे जिससे गरीब और मीडियम आय वाले आदमियों के लिये ज्यादा सुविधा हो सके । गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की भी यही नीति है और हमारे सूबे की भी यही पालिसी है । जितने ज्यादा व्यवस्था नीची आय वाले लोगों के एकोमोडेशन की हो जाय गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से या कारपोरेशन की तरफ से, उतना अच्छा है । फोर स्टार या फाइव-स्टार टाइप के जो होटेल हैं, वे प्रायवेट लोगों को दिये जायेंगे । बड़े आदमी उसमें ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं । गवर्नमेन्ट के पास ज्यादा पैसा खर्च करने के लिये रिसोर्सेस नहीं हैं, गरीबों के लिये ही नहीं । इसलिये यह नीति रखी गयी है कि बड़े और अच्छे किस्म के होटल प्रायवेट लोग बनायें और छोटे लोगों के लिये जिनमें कम किराया होगा और लोग आसानी से उनमें ठहर सकेंगे, उनको सूबे की गवर्नमेन्ट करना चाहती है । इस साल चित्रकूट, महोबा, मथुरा, अल्मोड़ा, कोसानी और चमोली आदि में कर रहे हैं । ऐसे ही बहुत से ऐसे प्लेसेज हैं जहां कि जापान से बहुत लोग आते हैं। कुशीनगर में एकऐसा ही कमप्लेक्स बनाने की गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की योजना है ।

[श्री आबिद अली]

जिसमें करीब एक करोड़ रुपये लगने का अन्दाज है। एक हाकी क्लब का जापान में आफर दिया है। इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने यह किया है कि यू० पी० गवर्नमेन्ट बिहार, गवर्नमेन्ट, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और होटल कारपोरेशन ये सब मिल करके एक कमेटी बनायें और सब लोग पैसा लगायें। इसमें बीस लाख रुपये हमारे सूबे की गवर्नमेन्ट लगायेगी। दो लाख इस सिलसिले में बजट में रखे गये हैं।

उसके बाद पब्लिसिटी का काम होता है। पब्लिसिटी हमारी बहुत कम है। इन्टरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। बम्बई में कोई बताने वाला नहीं है कि हमारे यहां कौन-कौन सी जगहें देखने योग्य हैं। कोशिश यह होगी कि बम्बई में ऐसा एक टूरिस्ट सेन्टर खोला जाय जिसमें वहां पर बताया जाय कि किन-किन जगहों में हमको यहां जाना चाहिए। इस साल कलकत्ता और अहमदाबाद में तो ऐसे सेन्टर खोल दिये गये हैं लेकिन गाजियाबाद में भी चूंकि दिल्ली के करीब है और दिल्ली के करीब बहुत से प्लेसेज देखने लायक हैं इसलिए गाजियाबाद में भी यह कुछ किया है।

उसके बाद पर्यटन विकास निगम आता है। यह ८७ लाख रुपये से बनाया गया है। आवास गृह के संचालन से इसका मुताल्लिक है। इस साल वह लखनऊ, इलाहाबाद, हरिद्वार में एक्सटेन्शन का काम कर रहा है और इसकी २५५ बेड्स बढ़ेगी जिसमें ७० लाख रुपया लगेगा। इसी में कन्डक्टेड टूरस भी आता है जिसमें बसेज यात्रियों को ले जाकर प्लेसेज दिखाती हैं। आगरा में शुरू की गयी थी लेकिन शायद कामयाब नहीं हो पायी। उसकी खामियां दूर करके हम फिर यह चीज शुरू करने वाले हैं ताकि कन्डक्टेड टूर्स कामयाब हो सकें। इसी प्रकार दिल्ली में ओखला बहुत अच्छी जगह है। आप अगर दिल्ली जायं तो ओखला देखें। वहां पर एक जगह ली गयी है और इरादा है उसको डेवलप किया जाय। एक टूरिस्ट सेन्टर उसको बनाया जाय और इस साल उसमें ७ लाख रुपये लगे। रफ्ता-रफ्ता बाई स्टेजेज में बन पायेगा करोड़ की स्कीम होगी लेकिन जब बन जायेगा तो बड़ी अच्छी चीज होगी। इसी तरीके से झीलों का विकास होता है। नवाबगंज में एक झील है उसका भी कुछ विकास हुआ है। कैफटेरिया और होटल बने। रामगढ़, गोरखपुर में वहां भी कुछ करना है। भीमताल में कुछ करना है।

अब यह सब चीजें हैं लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि बगैर आप लोगों की मदद से, सहयोग से, सजेशन से कुछ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब आप लोग अपने बहुमूल्य सुझाव भी दें क्योंकि हम उसी से लाभान्वित हो कर इस डिपार्टमेन्ट में कुछ कर सकेंगे। अब इसकी इमेज तो पब्लिक में अच्छी नहीं है लेकिन आपका सहयोग रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी इमेज अच्छी हो, इसकी वर्किंग अच्छी हो। इसमें मैं आपके सहयोग की कामना करता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या-६७...श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो इकट्ठे पढ़ दूं, या अलग-अलग, जैसी आपकी आज्ञा हो...

संख्या १२—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२—सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८—पर्यटन, अनुदान संख्या ८७—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

अलग-अलग पढ़िये ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-६७ की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-६८ की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८७ की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८८ की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६२-सिविल बिमानन के अन्तर्गत मांग की राशि घटकार एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, इन तमाम कटौती के प्रस्तावों में कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

(इस समय १ बज कर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भू नाथ पीठासीन हुए।)

यह विभाग इतना बड़ा और व्यापक हो गया है २५ वर्षों में जिससे मैं यह नहीं कह सकता कि इसने प्रगति नहीं की है । प्रगति की है लेकिन समस्यायें भी बहुत हैं । इतने सीधे सादे मन्त्री तथा इतना जटिल यह विभाग है, पता नहीं कैसे वह इतनी जटिल समस्याओं को सुलझा पायेंगे । परिवहन विभाग की दो पुस्तिकाएं मुझे मिली हैं और एक पुस्तिका पर्यटन विभाग की मिली है । तीनों को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है । जब देश आजाद हुआ तो हमारी परिस्थिति क्या थी ? १९५२ में योजना के पहले यानी २५ वर्ष पहले से अगर आज की हालत की तुलना कीजिये तो हम पायेंगे कि हम बहुत दूर खड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही समस्यायें भी बहुत खड़ी हो गयी हैं । हमारे सामने प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार का फाइव ईयर प्लान रोड्स का, कुल देश का तथा उत्तर प्रदेश का भी । उसमें देखा जाय तो सड़कों के द्वारा यातायात जहां सन् ६० में १६ फीसदी होता था वहां ७३-७४ में बढ़कर वह ३१ फीसदी हो गया और रेल का यातायात जहां ८५ फीसदी था वह घट कर लगभग ६८ फीसदी हो गया । इसके माने यह हुए कि रोड का यातयात बढ़ रहा है पूरे देश में और उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है । रेल क

[श्री श्यामधर मिश्र]

यातायात दोनों में बढ़ा है लेकिन अनुपात में अगर आप देखें तो रोड का यातायात प्रोप्रोशनेटली ज्यादा बढ़ा है। वह क्यों बढ़ रहा है ? इसलिये बढ़ रहा है कि पैसेंजर ट्रैफिक बहुत बड़ा है। जहां ४८ में ६०० बसें चलती थीं, वहां ५१-५२ में ११००, १२०० बसें चलती थीं और आज ५७०० सरकारी बसें चलती हैं और ५८०० गैर सरकारी बसें चल रही हैं। ये बसें आज १४१७ मार्गों पर चल रही हैं जहां पहले १००, २०० मार्गों पर चलती थीं १९५२ में। इन आंकड़ों से जहां प्रगति हुई है वहां समस्या भी उतनी ही विकराल हो गयी है। १०० किलोमीटर पर पूरे देश में जहां रोड ट्रैफिक ३३, ३४, ३५ अथवा ३८ किलोमीटर है तो हमारे यहां कितना है केवल १२ और वह भी अब है आजादी के समय केवल ४, ५ था। अभी-अभी हम और प्रदेशों से पिछड़े हुए हैं। यह विभाग जो है केवल अपने से सम्बन्धित नहीं है इसका सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी है जितनी अच्छी सड़कें होगी उतना अच्छा परिवहन विभाग चलेगा, अच्छी मोटरें चलेंगी तो उतना ही अधिक फायदा होगा और उतनी ही मरम्मत कम होगी। उत्तर प्रदेश में आज करीब ६० हजार कि० मी० सड़कें हैं आपके स्टेटिस्टिकल स्टेटमेन्ट में यह दिया है। मैं उसमें नहीं जाता ६० हजार कि० मी० सड़कें नेशनल हाई वे, प्राविंशियल हाई वे, जिला परिषदों आदि की मिला कर ६० हजार कि० मी० सड़कें हैं। यह कोई ज्यादा नहीं है लेकिन योजना आयोग के लोग कहते हैं कि बम्बई प्लान के अनुसार उत्तर प्रदेश के पास बहुत है। तो मेरा सरकार से कहना है कि जाकर के उनको समझाइये कि नहीं हमें कम से कम २ लाख कि० मी० पक्की सड़कें चाहिये छठी योजना के अंत तक इतनी सड़कें हमारी हों। ५ लाख हमारे गांव हैं...।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---

कहां से आयेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र---

यह माननीय हरी सिंह जो बतायेंगे कि कहां से देंगे यह मुझे मालूम नहीं है कि कहां से देंगे। यही कह कर तो वहां गये कि यह नहीं दे पा रहे हैं हम देंगे। आप तो योग्य हैं योग्यता तो यही है कि कहां काटें, कहां से लाये। यही तो योग्यता है किस तरह से आप पूरा करते हैं। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। आप अधिष्ठाता महोदय इनसे कहें। मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि जो सड़कों की हालत है उत्तर प्रदेश में वह काफी चिंताजनक है उस पर मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा कल जब सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट आयेगा उस वक्त कहूंगा। लेकिन इसका सम्बन्ध परिवहन विभाग से भी है। अभी कुम्भ मेला हुआ था मैं भी गया था। मैं बधाई देना चाहता हूं इस विभाग को मन्त्री जी को भी, विभाग के छोटे कर्मचारियों को भी और विभाग के सचिव को भी जितने लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया कुम्भ मेले का। विभाग के मन्त्री जी शायद उस वक्त कांग्रेस में थे (व्यवधान) मैं ज्यादा नहीं जानता हूं लेकिन मुझे बताया गया उस समय एम० एल० ए० थे। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें अधिष्ठाता जी, मेरी एक दिक्कत है कि ये लोग ऐसे हैं कि कहे से समझ नहीं पाते हैं और बिना कहे क्या समझेंगे। यह हमें कहने दें...।

श्री अधिष्ठाता---

मिश्रा जी, अभी हरी सिंह जी घर से ताजा होकर आये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र––

अधिष्ठाता जी बिना कहे यह नहीं समझ पायेंगे। इसलिए कहने दें। यह बिभाग जो है इसकी पुस्तक मैंने देखी और मेरी थोड़ी जो जानकारी है इस प्रांत का नागरिक होन के नाते, इसने प्रगति की है लेकिन अगर देखें तो जो आपके आंकड़े हैं यहां ५७०० बसें हैं करीब–करीब २/३ रूट्स इनके हाथ में हैं और १/३ सड़कें प्राइवेट लोगों के हाथ में हैं। मैं समझता हूं कि यदि आमदनी ली जाए, तो एक बटा तीन आमदनी पर प्राइवेट आपरेटर्स इनसे चार गुना ज्यादा मुनाफा करते हैं और सरकार विभाग ४२ करोड़ की आमदनी दिखा कर केवल नाम मात्र का मुनाफा करते हैं। यह मुनाफा भी यह केवल दो साल से कर रहे हैं। दो ढाई करोड़ का इस साल मुनाफा है। पारसाल से इन्होंने मुनाफा दिखाया है बहुत दिनों बाद, असेम्बली में जब बहुत ज्यादा छीछालेदर हुई। मैं यह नहीं कहता कि मुनाफा गलत है, लेकिन इसमें देखें, एक चीज छपी है, इन्होंने ब्याज ५ परसेन्ट से दिखाया है। अब मैं कहता हूं अधिष्ठाता जो आप चलकर किसी ट्रक के लिए ५ परसेन्ट पर रुपया दिला द। १५–१६ परसेन्ट से कम पर कोई भी किसी बैंक से ऋण नहीं पाता है। तो इस तरह के मुनाफा दिखाया है।

दूसरी बात इन्होंने यह छिपा रखी है, सब लोग इन्कम टैक्स देते हैं, लेकिन इन्होंने उसकी कोई चर्चा नहीं किया। इनको इन्कम टैक्स देना होगा, हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। देना हो या न देना हो, लेकिन इनको तो उसके लिए अलग निधि रखनी चाहिए थी। यदि यह देना पड़ा तो दो–ढाई सौ तो इनको इन्कम टैक्स देना पड़ जायगा। तो जो आमदनी दी गई है उसे ग्रास आमदनी मानते हैं, नेट आमदनी नहीं मानते हैं। हम बधाई उनको तब देते, जब कर्मचारियों को उनका बोनस देते। पिछली सरकार सोच रही थी उनको ८·३३, बाद में तो वह मिनिमम ४·३३ हो गया था, परसेन्ट देन की। हमने उसको मिनिमम अप्लीकेबेल बोनस देने की बात की थी। इस समय भी ८·३३ प्रतिशत बोनस आप क्यों न दें ? यह मुझे इस किताब में कहीं नहीं मिला।

एक सदस्य––

अब देंगे।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र––

मन्त्री जी देंगे, तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमारी सरकार हमारे सामने है, देंगे तो धन्यवाद। अब आप कुल व्यय की ओर देखें, किस तरह का व्यय है डिप्रेसिएशन काटा है, पेंशन सम्बन्धी अंशदान काटा है, मुख्यालय पर परिव्यय काटा है। बीमा के बारे में उन्होंने एक बात कही। उसको मैंने इस पुस्तक में देखा है। कोई यात्री बस एक्सीडेन्ट से मरे तो किसी कम्पनी की इसमें चर्चा है ओरियन्टल या और कोई कम्पनी, जिससे वह इंश्योर्ड है, उससे उनको १० हजार रुपया प्रति व्यक्ति मिल जाएगा, उसकी पर्सनल पालिसी के अलावा...।

श्री हरी सिंह—

कर्मचारियों का जो कटता है, जो तन्ख्वाह से कटता है, वह उन्हें मिला नहीं है ।

श्री मान सिंह आज़ाद (जिला लखनऊ)—

आपने (श्री मिश्र से) क्या दिया था ?

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शोर मत कीजिये ।

श्री हरी सिंह—

जो गरीब मजदूरों का वेतन काटते हैं आज तक आदरणीय पंडित जी की सरकार में उनको वापस नहीं मिला । और अधिकारी हजम कर रहे हैं । इसके खिलाफ बहुत बड़ा आन्दोलन होने जा रहा है । आज तक नहीं मिला है ।

श्री मान सिंह आजाद—

माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पूछना चाहता हूं । हरिजनों को आपने कितने प्रतिशत जगहें दी, इसमें ?

श्री अधिष्ठाता—

मिश्रा जी इसका जवाब नहीं दे सकते । आप मन्त्री जी से सवाल कीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं माननीय मन्त्री नहीं हूं, श्रीमन् । ये लोग उत्तेजित हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

हरी सिंह जी तीन दिन के बाद घर से आये हैं मालूम होता है ज्यादा ताकत हो गयी है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं आपको कह रहा था, ढाई करोड़ का मुनाफा इस साल का नहीं है । पिछले साल दिखाया गया था । उसकी आलोचना कर रहा हूं । उस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं । न आपकी सरकार, न यह सरकार, जरा इसको समझिए मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं ।

दूसरी बात मुझे इस किताब में मिली ३८ हजार एम्प्लाइज हैं इसमें । अनुसूचित जातियों को इनमें जो नौकरी दी गयी है, करीब १० परसेंट इम्पलाइज आलरेडी हैं । और यह भी लिखा है कि बाकी विभाग देने की चेष्टा कर रहा है चाहे वह सरकार रही हो या यह सरकार । मैं यह नहीं मान सकता कि तीन महीने में सरकार ने १० परसेन्ट दे दिया । उस सरकार ने दिया होगा । यह जवाब हुआ माननीय मानसिंह का और वह जवाब हुआ माननीय रामसिंह का, माफ करें माननीय हरीसिंह का ।

मैं चाहता हूं कि यात्रियों की सुख सुविधाओं की ओर थोड़ी सी चेष्टा की जाय । मुझे अवसर मिला और प्रदेशों में जाने का । (व्यवधान) (कुछ सदस्यों के

खड़े होकर बोलने पर) चलिए आप, आपको यही शऊर है। आपको शऊर ही नहीं है (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग व्यवधान मत कीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र--

बोलने से वंचित नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता--

मिश्रा जी, इधर मुखातिब होकर कहिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

लेकिन आपकी व्यवस्था यह नहीं मान रहे हैं। आप उन्हें कंट्रोल करें।

दूसरे प्रदेशों में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां सुख सुविधा जो है, चाहे बेंच की हो, चाहे बाथरूम की हो, यह विश्रामालय की हो, यह कूलिंग प्लेसेज की बात हो, कुछ बड़े-बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यहां यह है कि कुछ बड़े-बड़े स्थानों तक सीमित है। कोई वजह नहीं है कि ४२ करोड़ में से ५० लाख रुपया इन सुख सुविधाओं के लिए न रखा जाये। आप छोटे स्टेशनों पर चले जायें तो बदबू आती है, पता चलता है कि यूरिनल नहीं है और सफाई भी नहीं होती है। आपके पास कोई इसके लिए योजना नहीं है। मैं कहता हूं कि ५-१० वर्ष की कोई योजना बनाइये। आप जो भी कार्य को योजनागत हो। यही बात उस सरकार से भी कही गयी थी जो निकल गयी, आप सुन लें। अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो आप भी निकल जायेंगे।

श्रीमन्, अब मैं इस भ्रष्टाचार की ओर भी आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। नीचे से लेकर ऊपर तक इस विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपकी इम्सपेक्टिंग मशीनरी है वहां पर भी भ्रष्टाचार है और यही नहीं जो लाइसेंसिंग मशीनरी है वहां पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसे कैसे दूर किया जाये। इस पर केवल २०-२५ मिनट के भाषण में सुझाव देकर नहीं सुलझाया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस पर विचार करें और कोई कदम उठावे नहीं तो यह भ्रष्टाचार जाने वाला नहीं है।

श्रीमन्, मैं एक बात कह रहा था बीमा की।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मिश्रा जी, आपके २५ मिनट हो चुके हैं। जल्दी ही समाप्त कीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

१० मिनट और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा आप २ मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं बैठ जाऊं।

श्री अधिष्ठाता---

अच्छा ४-५ मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

तो मैं बीमा योजना के बारे में निवेदन करना चाहता था। आपने १० हजार तक कहा, मुझे बड़ी खुशी है। मैं जो सुझाव रख रहा हूं वह यह कि आपने एक राइडर लगा दिया है। कितना ही बड़ा एक्सीडेन्ट हो जाये वह २ लाख से ज्यादा नहीं देगी। मान लीजिए एक गाड़ी में ४० पैसेन्जर बैठे हैं तो ४० गुणा १० हजार तो ४ लाख हो गया, लेकिन कम्पनी केवल २ लाख रुपया ही देगी। तो यह कैसा कान्ट्रैक्ट [illegible] कहिए कि हम १०,००० रु० ही देंगे।

एक बात में रीजनल आफिसेज के बारे में कहना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि इनको क्यों बना दिया गया है। मैं इनको रिडन्डेन्ट समझता हूं। टैक्सी को आप देखें, आपकी टैक्सी महंगी पड़ती है और प्राइवेट टैक्सी सस्ती पड़ती है। लखनऊ में नयी से नयी टैक्सी ले लीजिए ५० रु० पड़ेगा।...बनारस जाना है तो उसमें पेट्रोल और भरा दीजिए, तो १५० रु० हो जाएगा। और इनकी टैक्सी में अगर चले जाइये आपकी कांस्टीट्यूएंसी में तो ८० पैसे प्रति किलोमीटर लगेगा। जो कि बहुत ज्यादा है। इसके लिए मीटर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

ट्रैरिज्म के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि यह विभाग ऐसा है जो मैं समझता हूं कि चाहे वह रहे या न रहे बराबर है। इसे आपने कागज पर ही रखा है और काम नहीं के बराबर है। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो पुस्तिका दी गई है शतरुद्ध जी आप देखें। आप तो पढ़े लिखे हैं। जितने आंकड़े दिये गये हैं, कहा गया है कि १९७६ में २२५ करोड़ रुपये की आमदनी हुई। इतने आदमी आए। आपने पूरे देश के आंकड़े दे दिया मगर उत्तर प्रदेश गायब। मैं यह पूछता हूं कि यह गायब क्यों ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुई कार्यवाही बिल्कुल शून्य के बराबर।

जो ट्रूरिस्ट आएगा वह आगरा जायेगा या तो वाराणसी जाएगा। वाराणसी में घाटों को देखने आएगा वहां जैसे मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों को देखने आएगा। आगरा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा वही पुराना ताजमहल देख लेगा। मैं सुझाव दूंगा। नुक्ताचीनी नहीं करूंगा। माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी वाराणसी के रहने वाले हैं। नेता आदमी हैं उनके घर चला जाएगा। वहां भी संभावनायें हैं।

हमारे माननीय उप मन्त्री जी जो मिर्जापुर से आते हैं, उनके यहां भी और हमारे यहां भदोही में ऐसी संभावनायें हैं, क्यों नहीं ऐसी जगहों पर छोटे-छोटे स्थानों का विकास करते ?

आप दिल्ली से चलिये हरियाणा, चण्डीगढ़ कार से, कई जगह आपको लेक्स मिलेंगी। मैं नैनीताल की बात नहीं करता वहां रास्ते म चक्रवर्ती लेक पड़ती है। वह भी दर्शनीय है।

यू० पी० में आपने क्या किया है ? जितने पुराने डाक बंगले हैं लाला नगर में तिवारी जी आप जानते होंगे, उप मन्त्री जी जानते होंगे जी० टी० रोड पर है क्यों नहीं आप वहां प्रगति करके कुछ नई चीजें बनवाते ।

यहां तो सुन्दरीकरण के नाम से आपको चिढ़ है । आधुनिकीकरण से चिढ़ है । आप तो आधुनिक बने रहना चाहते हैं । आप दकियानूसी हैं । इसलिए आप चाहते हैं कि कानपुर गंदा बना रहे । लखनऊ गंदा रहे । तो लखनऊ, कानपुर तो जितना बढ़ गया, बढ़ गया । अब क्या कोई टूरिस्ट लखनऊ आयेगा या कानपुर जायेगा ?

शतरुद्ध जी आपके यहां रामनगर में, रार्बट्सगंज में क्या नहीं है । मैं तो यह समझता हूं कि इन तीन करोड़ की योजना का जो सुझाव था तो तीन करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में रखा गया । वह सचमुच अच्छा नहीं था । आने वाली छठी योजना पता नहीं कौन सी आप एनुअल रोलिंग प्लानिंग करने जा रहे हैं । इसके लिए कम से कम ३ करोड़ रुपया सालाना रख दिया जाना चाहिये ।

टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए हम चाहते हैं कि आप उनके लिए पहाड़ों पर पर्यटन की सुविधायें बढ़ाइये वहां इसकी संभावनायें काफी अच्छी हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि मैदानों में उनसे कम हैं । आप आवास गृहों की, रहने की व्यवस्था कराइये । आप सुविधायें नहीं देंगे तो टूरिस्ट आपके यहां आयेंगे क्यों ? इसलिए यह नहीं कह सके कि इस २२५ करोड़ रुपये में से इनका कितना हिस्सा है और कितने आदमी यहां पर आते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि जिस भावना से इसे प्रस्तुत किया गया है, उसी भावना से मन्त्री जी इसको लें और माननीय मान सिंह जी, जो उनके पीछे बैठे हैं, की बातों से प्रभावित न हों ।

श्री अब्दुल हलीम खां (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, यह बहुत ही अहम महकमा है जिसके बारे में मैं प्रदेश के जो इस तरफ के क्षेत्र हैं उनके सिलसिले में तो ज्यादा नहीं जानता लेकिन मेरठ डिवीजन के सिलसिले में २–३ बातें और एक सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं । सन् १९५३ में जहां तक मेरा ख्याल है मेरठ–बुलन्दशहर, दिल्ली, गाजियाबाद, दिल्ली–सहारनपुर रूट्स को नोटिफाई किया गया था । आज से ४–५ दिन पहले मेरठ के एक लोकल अखबार में मैंने पढ़ा था कि कुछ और रूट्स को नोटिफाई किया गया है । मेरठ से भोला और मेरठ से लावड़ । इस महकमें की यह नीति मेरी समझ से बाहर है । और वे रूट्स जिनके ऊपर मेरी व्यक्तिगत जानकारी है वह यह है कि प्राइवेट आपेरेटर्स को २०–२०, ३०–३० और ४०–४० हजार रुपये की आमदनी होती है । उनको नेशनेलाइज करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी साफ तौर से यह बात जाहिर होती है कि सन् १९५३ में किसी

[श्री अब्दुल हलीम खां--]

रूट को नोटिफाई करने के बाद १९७७ तक उसको नेशनलाइज न करने में क्या सरकार की दिक्कत है । यह माना जा सकता है कि पैसा न हो लेकिन यह बात लगातार २४ साल तक बिना किसी वजह से जिसको मैं सिर्फ इशारे में ही कह सकता हूं कोई वजह नहीं हो सकती कि उनको नेशनलाइज न किया जा सके । रोडवेज की बसें दिल्ली से हापुड़, मुरादाबाद होती हुई लखनऊ आती हैं और मेरठ से अलीगढ़, मेरठ से एटा, मेरठ बुलन्दशहर, आगरा को चलती है दिल्ली--सहारनपुर, दिल्ली-गाजियाबाद वगैरह को नेशनलाइज न करने की बात समझ में नहीं आती है । मैं चाहूंगा कि जब माननीय मन्त्री जी अपना उत्तर दें तो यकीनन बतायें कि उनको क्या दिक्कतें हैं कि नेशनलाइजेशन नहीं किया जा सकता है । बड़े-बड़े जो रूट्स हैं उनको नेशनलाइज करने की सरकार की दिलचस्पी इस बीच में नहीं ही है और इन सड़कों को किसी खास वजह से नेशनलाइज नहीं किया जा सका है ।

जिस डिवीजन की मेरी जानकारी है मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि करप्शन के मामले में जितने भी ऐसे विभाग हैं ट्रान्सपोर्ट का विभाग उनमें से एक है । इस महकमें में करप्शन सबसे अधिक है । उन दफतरों में जहां पर सिर्फ लाइसेन्स या ड्राइवर्स के लाइसेन्स या पर्मिट्स इश्यू होते थे बसों के लिए वहां से दलालों को हटा दिया है, बहुत अच्छा किया क्योंकि उनके हटाने से कुछ तो करप्शन कम हुआ लेकिन क्या उन टाइपिस्टस और क्लर्कस जो लाइसेन्स पाने वालों की दरख्वास्त पढ़-लिख देते थे, उनके हटाने से करप्शन को कम किया जा सकता है? उस जगह से करप्शन कम कराने की जरूरत है। जो हमारे इलाके के अन्दर मोटर प्राइवेट चलती हैं उनकी यूनियंन्स हैं और आपके इनफोर्समेंट स्टाफ का हर मोटर, बस, हर ट्रक से माहवारी मुकर्रर है । किसी दलाल की जरूरत नहीं है । महीने भर का रुपया एडवांस में इनफोर्समेंट आफिसर के पास पहुंच जाता है । कोई दरख्वास्त लिखने वाला दलाल बीच में नहीं होता । इससे अन्दाजा कर सकते हैं कि क्या हालत है ।

आपके डिपार्टमेन्ट की एक किताब देखने को मिली जो एक सैम्पिल सर्वे था आडिट का । उनका कहना है कि इस डिपार्टमेन्ट का उन्होंने सैम्पिल सर्वे के तौर पर लिया वह टैक्स की वसूली में १·२७ लाख का घोटाला था । यह रिपोर्ट १९७५-७६ की है । यह सही है कि आपने इस सिलसिले में प्रयास किया, लेकिन या तो कोई ध्यान नहीं गया है या कहना भूल गये हों, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर इन्फोर्समेन्ट स्टाफ इस तरह से रिश्वत लेता है या पैसेंजर टैक्स में घोटाला होता है तो वह दफतर के चन्द टाइपिस्ट्स को रोक कर खत्म नहीं हो सकता । इसका अन्दाजा सभी कर सकते हैं, आप उप मन्त्री भी रहे हैं मेरठ जिले में रहें और अपने तौर पर जानकारी करायें कि कितना जबरदस्त घोटाला है और क्या तरकीब हो सकती है इसको रोकने की इस तरफ आपका ध्यान जायगा तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा ।

परमिटों के सिलसिले में इन्हीं रूट्स के ऊपर एक-एक परमिट की कीमत २-२, ३-३ लाख रुपया आज भी है । सरकार ने एक कानून बनाया था कि परमिट फ्री कर दिया जाय । हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ । नतीजा यह हुआ कि आपको अधिकार रहा परमिट फ्री किया जा सकता है लेकिन उस ऐक्ट को रिपील किया गया । मैं वजह नहीं जानता । यह तरीका रखा गया, जैसा कि भाषण में कहा कि अब लाटरी के जरिये परमिट दिये जायंगे । यह भी अच्छा तरीका है, लेकिन समझ में नहीं आया कि परमिट फ्री हो जाय और जिन रूट्स पर रोडवेज अपनी बसेज नहीं चलाना चाहती या नये रूट्स पर चलाना नहीं

चाहती हों तो अगर परमिट फ्री होते तो जो आदमी थोड़े से पैसे पर बिजनेस करना चाहता है या पुरानी बस लेकर कमाना चाहता है तो जिस जनता ने पक्की सड़क पर सफर नहीं किया ऐसे लोगों को भी सुविधा मिलती और आपका जो यह कहना है कि इन रूट्स पर चलाने से कोई न कोई फायदा पहुंचता उसकी सच्चाई भी मालूम होती । मैं तो इस बात का मानने वाला हूं कि अगर ईमानदारी से इस सरकार का या साबिक सरकार का नेशनलाइजेशन में विश्वास है जैसा कि मैं विश्वास करता हूं कि देश में, प्रदेश में बगैर नेशनलाइजेशन किये हुए कोई भी सरकार किसी भी स्थिति में जो देश मे आ सकती है सही तौर पर नहीं चलाई जा सकती, तो अगर इस बात की कमी है, पैसे की कमी है तो मैं गौर करने लिए सुझाव देना चाहता हूं कि जो आपका मुहकमा है, जो आपने निगम बनाया उसको तोड़िये । ५१ परसेंट शेयर सरकार और ४९ परसेंट प्राइवेट आपरेटर्स के शेयर्स हों, ऐसा एक कारपोरेशन बना दीजिये और प्राइवेट आपरेटर्स के शेयर्स की कीमतों में उनकी बसों की कीमतों को शामिल कर लिया जाय, चूंकि उनके पास देने के लिए रुपया नहीं होगा, तो बसों की कीमत लेकर उन्हें हिस्सेदार बनाइये । जो बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनको उनमें नौकरी दीजिये । इससे जो परेशानी है कि कैसे इन्तजाम होगा वह भी उनसे करा सकते हैं, चूंकि उनको तजुर्बा होगा और उन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी कोई परेशानी सामने नहीं आयेगी । आपकी भी यह दिक्कत दूर होगी कि रुपया नहीं है इसलिए नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते । जो यह कहा जाता है कि हम तो नुक्सान उठाने के बाद भी सिटी बस सर्विस चलाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको जितने रुपये लेकर बस चलाने की इजाजत देते हैं उनसे वह १०-२० गुना कमाते हैं । आप कैसे चलाते हैं, मैं नहीं जानता । तो सरकार इस तरफ मुतवज्जह हो । अगर इस प्रोपोजल में जो मैंने रखा, कोई जान नजर आती हो तो हो सकता है कि यह समस्या हल हो जाय ।

एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि हम लोगों के जिम्मे एक काम आपने यह डाल रखा है कि जो भी कोई बस वाला ट्रांसपोर्ट के दफ्तर से शादी या ट्रूरिस्ट पार्टी के लिये परमिट चाहता है उसको एक झूठा सर्टिफिकेट देने का काम आपने विधायकों के जिम्मे कर रखा है । हमको कोई जानकारी नहीं होती कि वह सवारी लिये जा रहा है या उसकी गाड़ी बुक है लेकिन आपके दफ्तर से यह कहा जाता है कि आप किसी विधायक या एम० पी० से लिखवा लाइये तब परमिट ईश्यू किया जायगा । मेरा निवेदन है कि इसमें आप तरमीम जरूर करिये क्योंकि झूठा सर्टिफिकेट देने से हम इन्कार करेंगे और सच्चे के लिये कोई गुन्जाइश नहीं है । इसी तरह जब किसी को कोई लाइसेन्स देना होता है तो वेरिफिकेशन का काम आपने बढ़ा दिया जिसको कोई भी कर सकता है । किसी आदमी से हमें वाकफियत नहीं है लेकिन वह चाहता है कि उसके ऐड्रेस का वेरिफिकेशन हम करें । इसमें कोई न कोई तरमीम होनी चाहिये ।

मैंने इन दो, तीन बातों की तरफ इस उम्मीद से आपका ध्यान दिलाया कि आप इन पर गौर करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अब्दुल हलीम खां—

धन्यवाद ।

*श्री हरिकेबल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं मन्त्री महोदय और सदन का ध्यान कुछ मुख्य बातों की ओर ले जाना चाहता हूं । ५ जून, ७१ को इस निगम का जन्म हुआ और इसलिये हुआ कि प्रदेश की जनता को इससे लाभ हो । लेकिन प्रदेश का जनता को इस निगम से लाभ के बजाय हानि पहुंचने लगी । जिस साल निगम का जन्म हुआ उस साल मुख्यालय का कुल खर्च ४ लाख २९ हजार रुपये था और इस समय मुख्यालय का कुल खर्च मिला कर ६५ लाख रुपया हो गया है । उस समय जो स्टाफ गाड़ियां मुख्यालय पर थीं उनकी संख्या ३ थी और इस समय ५४ स्टाफ गाड़ियां हैं और उन पर ७० हजार रु० प्रति माह रख-रखाव पर खर्च होता है । उस समय केवल ३ अधिकारी मुख्यालय पर थे और इस समय ४५ हैं । इस विभाग में इस समय हालत यह है कि कौन अधिक से अधिक रुपया अर्जित कर सके इसकी होड़ सी लगी है । ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है । मैं चाहता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक कमीशन बनाया जाय और जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़ा जाय उसके विरुद्ध कार्यवाही करे ।

कानपुर का जो एलेन वर्कशाप बना ४ करोड़ रुपये में वह इसलिये बनाया गया कि उसमें बसों की मरम्मत होगी, बसों की बाडी तैयार होगी और लोगों को काम मिलेगा । लेकिन निगम ने उसको ३३ हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से फूड कारपोरेशन को दे दिया । आपको ख्याल होगा कि उत्तर खंड में जो बसें बनती हैं उसमें एक बाडी की लागत कुल ३० हजार रुपये होती है । लेकिन यह बाडी बनवाई गयी संजय गांधी को खुश करने के लिए मारुती कम्पनी से । मारुती कम्पनी से जो बाडी तैयार हुई, उसमें एक बाडी बनवाने का खर्च ५१ हजार रुपये के आस-पास होता था । ५१ हजार रुपये के हिसाब से यह बाडी तैयार की गयी । मुझे मालूम है कि निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ने गवर्नमेन्ट को यह लिखा कि मारुती में जो बाडी बन रही है, वह अभी उपयुक्त नहीं है लेकिन माननीय शिव प्रसाद और नारायण दत्त तिवारी के प्रभाव में संजय गांधी को खुश करने के लिए यह कहा गया कि मारुती से बाडी ली जाय । इस बाडी की खरीदारी में निगम का एक करोड़ का घाटा हुआ ।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वह पुराना हिसाब उठा कर देखें । नवजीवन अखबार में प्रकाशित हुआ कि २६ हजार रुपया प्रति महीने के हिसाब से पेमेंट किया गया इसी तरह से डाक्टर सीताराम जब मन्त्री थे परिवहन निगम के, उस समय उनके समय में जो टिकट छापा गया था, माननीय रजेन्द्र कुमार गुप्ता जब मन्त्री थे, तब उन्होंने भुगतान किया, कैसे यह भुगतान किया गया, इसको मन्त्री जी को देखना चाहिए । श्रीमन् इसमें रामानुजम और मलखानी साहब अधिकारी हैं, इन सारे के सारे के ऊपर गम्भीर आरोप हैं । यहां तक कि सारे आरोपों की जांच भी हो चुकी है और सारी फाइलें दबा कर रख दी गयी हैं । मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी उन फाइलों को निकलवायें । कंडक्टर जो है, २० पैसे की चोरी करता है । डेढ़ रुपये की चोरी करने वाला कंडक्टर आज चला जाता है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या १२––मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३––अन्य कर क और शुल्क, अनुदान संख्या ६२––सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७––सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८––पर्यटन, अनुदान संख्या ८७––सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८––पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सड़क पर घूमता है, उसकी जिन्दगी बरबाद कर दी जाती है। मान्यवर, जहां लाखों–लाखों रुपया लूट लिया गया और आज वे अधिकारी पड़े हुए ह, इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह एकन्नी और बीस पैसे की चोरी की बात छोड़िये, गंगोत्तरी और जमुनोत्तरी का जो कछार है, इसको साफ करो, छोटी नदियों का कीचड़ अपने–आप साफ हो जायगा। अगर यहां का मुख्यालय का भ्रष्टाचर समाप्त होगा, तो सड़कों पर चलने वाले कंडक्टर और चालक का भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा। श्रीमन् राधेश्याम अग्रवाल ये हैं, उप प्रधान प्रबन्धक, हरदोई में इनकी एक दूकान, छोटे लाल, राधेश्याम फर्म के नाम से, वहां से इन बसों का सामान खरीदा जाता है और उनके यहां से ऐसा घटिया सामान आता है कि वह आज लगाया, कल खराब हो गया। बस कंडक्टर गाड़ी ले जाता है, वह रास्ते में ही खराब हो जाती है।

बहुत सी गाड़िया वर्कशाप में ही खड़ी हैं, उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, उनका रख–रखाव ठीक से हो तो गाड़ियां ठीक से चलेंगी। वर्क–शाप में छोटे–छोटे सामानों के अभाव में गाड़ियां पड़ी हैं, इन गाड़ियों को ठीक करना चाहिए। जहां पर यह बसें खराब हैं वहीं पर ५०० बसें सप्लस भी पड़ी हुई हैं, वह अभी तक सड़कों पर नहीं लाई गयी। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इन बातों का पता लगाना चाहिए।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विभाग में एक दस्ता है जिसको सी० एस० ओ० कहते हैं। वह क्या करता है। वह केवल बैठा रहत है और पैसा इक्ट्ठा करने का काम करता है। वह इस विभाग पर भार स्वरूप है। मैं कहना चाहता हूं कि सी० एस० ओ० को समाप्त किया जाय तो एक भार कम हो जायगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के ५ सौ कंडक्टर, परिचालक और यातायात निरीक्षक हैं जो आपातस्थिति के दौरान बेगुनाह तरीके से निकाल दिये गये हैं। और आज वह सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है, हमारी सरकार की नीति है कि ऐसे लोगों को पुनः हम लौटा लेंगे। लेकिन बाहरे मन्त्री जी। मैं अफसोस के साथ आज निवेदन कर रहा हूं कि आज इतना समय बीत गया है जनता सरकार बने। लेकिन उनके मामले, वह रिपोर्ट फाइलों में पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि यह पांच सौ लोग जो आपात–स्थिति के दौरान निकाले गये हैं इनका फिर से बहाल कीजिये। आप कहते हैं कि अधिकारी यह देवेंगे। तो कौन से अधिकारी चाहेंगे, राधेश्याम अग्रवाल या मलकानी चाहेंगे। तो मेरा कहना है कि उनको रिपोर्ट देखी जाय और उनको बहाल करने का काम कीजिये।

मैं दूसरी चीज यह भी चाहता हूं कि जिस अधिकारी या कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का अभियोग लगाया जाय तो मेरी मांग है जिस पर अभि–योग लगाया जाय या निलम्बित किया जाय तो उस अभियोग की जांच ३ महीने की अवधि में पूरी कर ली जाय और उसके अनुसार निलंबित किया जाय या फिर रख लिया जाय। मान्यवर, एक–एक मामला महीनों तक नहीं, वर्ष और तीन चार सालों से पड़ा हुआ है। शासन के विचाराधीन है लेकिन उसपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। फाइलों में मामले पड़े सड़ रहे हैं। मेरी मांग है कि इन मामलों का मन्त्री जी जल्दी निस्तारण करें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं २ मिनट में खत्म कर रहा हूं । मान्यवर, इस विभाग में जो मजदूर काम करते हैं उनको स्थाई किया जाय । इसी तरह से ८·३३ प्रतिशत बोनस देने का मामला है । यह तो कहा जाता है कि हमारी आमदनी बढ़ी है । तो मेरा कहना है कि इन सेवारत मजदूरों को ८·३३ प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये । मान्यवर, रोडवेज में मजदूर तबाह हैं, उनकी संख्या भी अधिक है । लेकिन उनको मान्यता नहीं दी गयी है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन के लिये, रोडवेज में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कदम उठाना चाहिये और रोडवेज मजदूर सभा को मान्यता देनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि परिवहन निगम में सुधार आयेगा, तरक्की करेगा और जनता पार्टी के राज्य में छोटे से छोटे कर्मचारियों को राहत मिलेगी ।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं ।

एक सदस्य---

मान्यवर, २ उधर से और एक इधर से बोलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें मैं बाध्य नहीं हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र---

अध्यक्ष की व्यवस्था है, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोशिश करूंगा। कभी-कभी एक की जगह दो भी हो गये हैं, मिश्र जी ।

श्री औसान सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया । माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता और जो कटौती का प्रस्ताव श्री श्यामधर जी की तरफ से आया है उसका घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, आज कटौती का प्रस्ताव वह लोग पेश कर रहें हैं जिन्होंने ३० साल तक जनता का खून चूसा है, जनता को तबाह किया है और फटी बन्डी पहनने वालों का खून चूस कर मोटे हुये हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, शकल से देख लिया जाय कि कौन मोटा है ? श्रीमन्, यह मोटे हैं । (हंसी)

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)---

मान्यवर, निर्णय कर दें कि कौन मोटा है ?

श्री अधिष्ठाता--

आप पतले हो कर सब के ऊपर भार हो रहे हैं । (हंसी) माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री औसान सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं परिवहन मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के कानपुर-बिधूना मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर-बिधूना मार्ग १०० किलो मीटर लम्बा है। यहां बसों की बड़ी अव्यवस्था है। मैं इस राजकीय मार्ग पर बस नं० ६०२५ यू० टी० इ० की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह बस लगातार अवैध रूप से चल रही है । इसके मालिक को रोजाना एक हजार रुपया और मासिक ३० हजार रु० तथा सालाना ३ लाख ६० हजार रुपये का आमदनी हो रही है । इससे सरकार को सालाना ३ लाख ६० हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। इस बस के चलने में सरकारी अधिकारियों का पूरा-पूरा हाथ है । नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों और मालिक में सांठ-गांठ है । इन लोगों को माहवारी मालिक से पैसा बंधा है । इस सम्बन्ध में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं आर० एम० श्री एन० जी० चौधरी से जो पहले कानपुर में थे से मिला था और इनका इस मार्ग पर चलने वाली इस अवैध बस की ओर ध्यान आकर्षित किया था जिसके सन्दर्भ में दिनांक १७-७-७७ से बेला बिधूना मार्ग पर शटल बस चलने की व्यवस्था की गयी थी । वह बस दिनांक ४-८-७७ को गई और बिधूना में खराब होने के कारण खड़ी कर दी गयी । फिर दुबारा दिनांक ६-८-७७ को गई और रास्ते में खराब हो गयी। उसके बाद आज तक यह बस नहीं गई। कागज में यह बस चल रही है लेकिन मौके पर नहीं इस तरह स्टेशन मास्टर से ले कर आर० एम० तक उसमें सांठ-गांठ रखते हैं और मालिक से जिसको एक हजार रोजआना की आमदनी है सरकारी अधिकारी सांठ-गांठ करके पैसा लेते हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बेला बिधूना मार्ग पर दो शटल बसों की व्यवस्था की जाय और यह व्यवस्था कानपुर डिपो से नहीं बल्कि औरैय्या डिपो से की जाय क्योंकि यहां की गाड़ियां अच्छी हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी यह कह दिया जाय कि गाड़ी नं० ६०२५ यू० टी० इ० जिसका परमिट १ अप और १ डाउन कि० मीत्रिवा तक है वहां तक चलनी चाहिये । वैसे यह बस अवैध रूप से बेला बिधूना तक बराबर आती जाती रहती है जबकि दूसरा राउन्ड उस रूट पर इस बस को नहीं करना चाहिये । इसलिये इसका सख्ती से पालन जिला पुलिस प्रशासन से करवाया जाय ।

मान्यवर, दूसरा मार्ग औरैय्या से तिर्वा मार्ग है । इस मार्ग पर प्राइवेट और रोडवेज दोनों की गाड़ियां साथ-साथ चलती हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह आप लिखकर मन्त्री जी को भेज दें तो भी हो सकता है ।

श्री ओसान सिंह—

माननीय, हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण मामला है। कानपुर विधूना मार्ग १०० किलोमीटर लम्बा है। इस लिये मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि विधूना में एक डिपो कायम किया जाय। जिससे कि गाड़ियां खराब होने पर जल्दी ठीक होकर उपलब्ध हो सकें। दूसरी बात यह है कि इस रोड की दशा बहुत खराब है। बसें काफी चलती हैं लेकिन सड़क की हालत ठीक नहीं है। जो गाड़ियां चलती हैं वह एक साथ कई-कई सुबह चलती हैं और शाम को चलती हैं। बीच में कोई गाडी नहीं चलती जिससे जनता को असुविधा होती है। यह रूट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानपुर इटावा और फर्रुखाबाद को जोड़ता है। मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। एक तर्क रोडवेज के अधिकारी यह देते हैं कि यह सड़क खराब है। लेकिन इसी सड़क पर प्राइवेट गाड़ियां मनाफे पर चलती हैं जबकि रोडवेज की नकसान पर चलती हैं। होता यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर प्राइवेट मालिकों से मिलकर टायर और दूसरा सामान बेंच लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन एवम् पर्यटन बजट पर बोलने का समय दिया। हमारे उपनेता श्री श्यामधर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये और साथ ही साथ कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। परिवहन विभाग में जो घाटा हो रहा है उसका कारण यह है कि जो प्राइवेट गाड़ियां वह रोडवेज की बसों के आगे-आगे चलती हैं और दस पन्द्रह पैसे कम पर सवारियों को भर लेती हैं। इससे रोडवेज की बसों का नुकसान हो रहा है। मेरे जनपद में पचासों हजार प्रति दिन का घाटा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं। मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि बहुत सी गाड़ियां ऐसे लोगों की हैं जो जनता पार्टी के नेता हैं और एम० पी० तक भी हैं। उनका परमिट अगर जबलपुर का है तो दो दिन वहां चलती हैं और फिर नाजायज तौर से जौनपुर में आकर चलती हैं। जनता पार्टी सरकार ने इधर दो तीन महीनों में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मिनी बस के परमिट दिये हैं। इससे रोडवेज का नुकसान हो रहा है। जिन व्यक्तियों की, चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हों, नाजायज तौर से गाड़ियां चल रही हैं इसको जनता सरकार को देखना चाहिये। लेकिन हमारे जनपद में इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। न तो उनको पुलिस वाले पूछ रहे हैं और न आर० टी० ओ० वाले पूछ रहे हैं। वह झण्डा लगा कर गाड़ियों को चला रहे हैं। इस तरह की छूट उनको क्यों दी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो गाड़ियां बस-स्टाप पर खड़ी होती हैं और लोग टिकट ले कर बैठे होते हैं उसमें कन्डक्टर और ड्राइवर्स इस तरह से प्राइवेट मोटर मालिकों से मिले होते हैं कि सवारियों को उनमें से निकाल कर अपनी गाड़ियों में बिठा लेते हैं और ये कण्डक्टर और ड्राइवर्स एतराज नहीं करते। यह शर्म की बात है।

इसी के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि रोडवेज के वर्कशाप के विभाग के बहुत से ऐसे टायर हैं जो रोडवेज के हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रकों और प्राइवेट बसों में चल रहे हैं। पता नहीं ये लोग उनको कैसे पा जाते हैं? मेरा निवेदन है कि इसमें रोकथाम की जाना चाहिये। इसी तरह से आर० टी० ओ० में लोग अगर परमिट और फिटनेस के लिये जाते हैं, तो बिना पैसा दिये उनका काम नहीं होता। मेरी जानकारी के अनुसार वहां के कर्मचारियों को अगर पैसा मिल गया तो २४ घन्टे के अन्दर काम हो जायेगा और अगर पैसा नहीं दिया गया, तो लोगों का

काम महीनों लटका रहता है––चाहे वह फिटनेस का काम हो चाहे परमिट का। लोग आते जाते रहते हैं, परेशान होते हैं और मजबूर हो कर उनको रिश्वत देनी पड़ती है।

इसमें मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिसके बारे में प्रशासन ने गाड़ियां चलाने का आदेश दिया है कि लोग अपनी गाड़ियां अतिरिक्त टैक्स दे कर चलावें और वे चला रहे हैं लेकिन अभी भी जो सही ढंग से चलाना चाहते हैं, वे भी रिश्वत देने के लिये मजबूर हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर वे सही ढंग से और आदेश ले कर चला रहे हैं, तो उनको चलाने देना चाहिये। उदाहरण के लिये हमारे जौनपुर में जौनपुर से शाहगंज राष्ट्रीकृत मार्ग है। उसमें ५–६ ऐसे मोटर मालिकान हैं सरकार का आदेश लिया है और वे गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें तमाम अड़ंगे लगा रहे हैं। वह ऐसा रोड है जो क्लिक रोड से मिला है। कोई भी सवारी वहां पर नहीं पहुंच पाती। अगर बसों को रोक दिया जायगा, तो जनता को बड़ी परेशानी होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वह इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

इसी के साथ, मान्यवर, पर्यटन विभाग के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में शहर में ओलनगंज से लाइन बाजार को जो रोड जाती है, उसके अगल-बगल में बहुत सी खुली जमीन पड़ी हुयी है। इसके लिये हम लोगों ने बड़ी लिखा-पढ़ी की थी। यह गोमती नदी के किनारे है। वहां पानी भी उपलब्ध है। उसके लिये सुझाव दिया था कि उसको झील बना दिया जाय। इसके बगल में नया पुल है। मेरा निवेदन है कि वहां झील बना दी जाय और जौनपुर को एक टूरिस्ट सेन्टर बना दिया जाय, तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, जौनपुर एक ऐतिहासिक नगर है। वहां से थोड़ी दूर पर वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर और अयोध्या पड़ते हैं। टूरिस्ट सेन्टर के लिये यह बहुत अच्छा स्थान है। तो निवेदन करूंगा कि माननीय परिवहन मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें और जौनपुर को एक टूरिस्ट सेन्टर बनाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय हमामधर मिश्र जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*श्री हरी सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय बहुत कम है। मिश्रा जी मेरे गुरु भी हैं और शिष्टाचारवश ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक परिवहन विभाग का सम्बन्ध है, मान्यवर, इस रोडवेज विभाग से बहुत लाभ पहुंचा है। परन्तु दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य जब नई कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ और इन्होंने जो कारनामें दिखाये उनका नतीजा यह हुआ है कि हरिजनों के परमिटों का सामोलिज्ञान ही मिट गया...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

अब दिलवा दीजिये ।

श्री हरी सिंह--

सुनते रहिये । उन विचारे हरिजनों को न इन्होंने डिपार्टमेन्ट में रिजर्वेशन किया और न उनको परमिट दिये । मैं जनता पार्टी के मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह जो आपने लाटरी निकाल दी है इसको बन्द कीजिये । पांडवों ने लाटरी निकाली तो बनवास हुआ और जितने राजाओं ने जुआ खेला सबका विनाश हुआ । श्रीमन् आप लाटरी का सिस्टम बन्द करिये, नहीं तो नई कांग्रेस की गिनती में हमारा भी नाम आ जायेगा (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

अब तो जनता लाटरी निकली है .... (हंसी)

श्री हरी सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, लाटरी का सिस्टम...

श्री श्यामधर मिश्र--

केवल लाटरी की पैदावार है.... (हंसी)

श्री हरी सिंह--

जरा परिवहन मन्त्री जी गौर से सुनें । परिवहन मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें....

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी, परिवहन मन्त्री जी...

श्री हरी सिंह--

श्रीमन्, यही नहीं हमारे मेरठ जिले में दो प्राइवेट रोड थी उनको सुना है मन्त्री जी ले रहे हैं । इनसे जनता को बहुत लाभ था । रोडवेज डिपार्टमेन्ट में बड़ी गड़बड़ी है। कर्मचारियों का जो फन्ड कटता है वह नहीं दिलाया जाता है । बेचारे मर गये लेकिन उनके बच्चों को फन्ड नहीं मिला है इस रोडवेज डिपार्टमेन्ट से । मैंने सन् ५७ और ६२ में ही रोडवेज डिपार्टमेन्ट के घाटे को देखते हुए कहा था कि इसे बन्द कर दो । जब ये लोग थे तब ही मैंने मांग की थी। जनता पार्टी नई कांग्रेस के कारनामों पर न चले, लाटरी न निकाले। १८ फीसदी हरिजनों को परमिट दिये जायं, १८ फी सदी उनके लिए नौकरी में स्थान दिये जायं । आपके डिपार्टमेन्ट में बड़ी बेइमानी है । जल्द से जल्द सुधार करायें नहीं तो आप में और नई कांग्रेस में कोई अन्तर नहीं है मैं साफ कह देना चाहता हूं । रोडवेज डिपार्टमेन्ट में उच्च अधिकारियों में सबसे बड़ी गड़बड़ी है नीचे के लोगों में नहीं है । उनके जो फन्ड हैं सारे दिलाये जायं । मेरे जिले में दो सड़कें हैं उनमें प्राइवेट गाड़ी चलायें । रोडवेज के पास बस नहीं है सामान नहीं है फिर आप इन सड़कों को क्यों ले रहे हैं? अपने डिपार्टमेन्ट को जनता के योग्य बनाईये । कर्मचारी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें और हमारे प्रदेश की उन्नति करें । मुझे यही

कहना है . . (व्यवधान) कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं यह तो इनका पेशा है, श्रीमन् ।

(श्री पूरन चन्द्र का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य––

श्रीमन्, दो मिन्ट हमें दे दें ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)––

बहुत देर से खड़ा हूं . . . इतना लम्बा चौड़ा हूं . . .

श्री पूरन चन्द (जिला अल्मोड़ा)––

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही उनको अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराना चाहता हूं । मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा हर कदम, हर पल व हर क्षण जनता सरकार के साथ होगा लेकिन जिस पर्वतीय अंचल से इस मैदानी क्षेत्र को जल, थल व फल मिलता है और जो क्षेत्र चायना व तिब्बत से मिला हुआ है उसे पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है । पिछली सरकार ने हमारे क्षेत्र में केवल चार सड़कें बनवाई जब कि हमारा क्षेत्र इतना विशाल है । मेरा यह पर्वतीय क्षेत्र सबसे अधिक रेवेन्यू का सोर्स है तथा बन सम्पदा का, लेकिन आज भी चार सड़कों के अलावा वहां कोई और मोटर मार्ग का विस्तार नहीं किया गया और इन चार मोटर रोड्स पर भी प्राइवेट बसें ही चलती हैं, उनकी ही मानोपोली है । जो पूंजीपतियों की कम्पनियां है पिछली सरकार ने प्राइवेट बसों को पर्मिट दी, उनकी सोसाइटीज खुलवाई और उनको लाइसेन्स दिये और वे लाइसेन्स होल्डर आज पिछली सरकार के पूंजीपति समर्थक हैं जिससे आज हमारे सामने बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

यह पिछड़ा बागेश्वर क्षेत्र आज तक कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था और हमेशा उस क्षेत्र से कांग्रेसी जीतते रहे । पहली बार बागेश्वर की जनता ने जनता सरकार का साथ दिया और वहां की जनता को जनता सरकार से आज यह अपेक्षा है कि पिछली सरकार ने उस क्षेत्र को जिस तरह से उपेक्षित रखा उस क्षेत्र का विकास करने में यह जनता सरकार विशेष योगदान दे । हमारे गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल में, परिवहन मन्त्री जी से मेरा यह अनुरोध है, हर रोड पर एक पैरेलल बस रोडवेज की चलनी चाहिये क्योंकि अभीतक वहां गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल में जो बसें चलती हैं लेकिन उसका मालिक होता है बुलन्दशहर से मुजफ्फर–नगर से, बरेली से या दिल्ली से । यदि आप चाहते हैं कि इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो तो वहां के मालिकों को बढ़ावा दें और जो इस समय जनता को गुमराह करने वाले, शोषण करने वाले वहां पर ठेकेदार हैं उनको आपको हटाना होगा कुछ बदलाव करना ही होगा और इसके लिये वहां की जनता आपके साथ है । यह तभी संभव है जब आप इन लाइसेन्सीज के लाइसेन्स कौंसिल कर दें । काठगोदाम में जितने आर० टी० ओ० या दीगर अधिकारी हैं वे सब पिछली सरकार के समर्थक हैं। वे हर समय हमको गिराने की कोशिश करते हैं और जनता सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं । वहां पर जो पूंजीपति तथा व्यापारी

[श्री पूरन चन्द---]

वर्ग है वह हमारा दुश्मन है, इसलिये हमको इनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये बल्कि इस पिछड़े क्षेत्र की गरीब जनता को बढ़ावा देना है और इसके लिये हमको हर कदम, हर पल इस क्षेत्र के विकास के लिये उपयोग में लाना है। धन्यवाद।

*श्री छेदा सिंह चौहान (जिला लखनऊ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं परिवहन मंत्री जी का ध्यान लखनऊ जिले के अन्तर्गत ग्रामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने लिख कर दिया था लेकिन उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया।

हमारे यहां लखनऊ से सिटी बस छूटती है और स्कूटर इंडिया के पास खड़ी हो जाती है लेकिन जो गांव ४ किलोमीटर आगे बंथरा है वहां आपने पहुंचाने की कृपा नहीं की। हम यह चाहते हैं कि स्कूटर इंडिया पर बस बेकार खड़ी रहती है उसको आप गांव की ओर चलावें एक स्कूटर इंडिया से बंथरा दूसरी माती बिजनौर तक। एक लखनऊ से मोहान को रोड जाती है वहां पर प्राइवेट बस चलती है उसमें इतना रश होता है कि बैठना मुश्किल है उस रोड को आप अपने अंडर में लें और वहां पर रोडवेज की बस चलायें। आपका ध्यान मैं लखनऊ-इटौंजा और लखनऊ-गोसाईगंज की तरफ ले जाना चाहता हूं वहां पर भी रोडवेज की बस चलाने की आप कृपा करें।

मैं आपका ध्यान आर० टी० ओ० आफिस में भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं वहां पर बहुत भ्रष्टाचार है। आपने ठेकेदारी सिस्टम को बंद कर दिया है लेकिन वहां पर आज भी दलाल मौजद रहते हैं वह लोग डटे रहते हैं और अगर कोई भी आदमी पहुंच जाता है तो उसको वह पहचान लेते हैं और पैसा लेकर काम कराते हैं। इसमें भी सुधार होना चाहिये अगर आपको शक हो तो आप सी० आई० डी० से इनक्वायरी करा लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार होता है उससे ज्यादा आर० टी० ओ० आफिस में भ्रष्टाचार है। इसमें भी आप सुधार करें।

आज जो ठेले चलते हैं उनसे रोज एक्सीडेंट होता है चाहे आप उनकी रफ्तार धीमी करें। रोज बंथरा मकाम में एक एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर अनुशासनहीन होकर चलते हैं और नशे में चलते हैं पता नहीं उनको कैसे लाइसेंस दिया जाता है। इसमें भी सुधार होना चाहिये। पहले प्राइवेट बसों में पुलिस वाले जाकर चेक कर लिया करते थे लेकिन अब सचिव ने आदेश दिया है कि कोई भी पुलिस वाला उन्हें नहीं रोक सकता है इससे और खराबी आ गई है।

हमारे यहां जो लखनऊ-बंथरा बस चलती है उसमें ३० सवारियां बैठने का प्रोविधान है लेकिन उसमें ६० सवारियां बैठती हैं। लखनऊ से हरदोई प्राइवेट बस चलती हैं। पता नहीं क्यों आप इसे अपने अंडर में लेकर बस नहीं चलाते हैं। बहुत अधिक भीड़ इस पर होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा उस रोड को आप अपने अंडर में ले लें और रोडवेज की बसें चलायें। हमने इतनी जो बातें आपके सामने रखी हैं मुझे विश्वास है कि उन पर आप अमल करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मुझे इस चर्चा में सदन में बोलने का अवसर मिला है उसके लिए धन्यवाद । मान्यवर, आज सत्ता पक्ष और विपक्ष से बराबर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और वह कुछ कारणों को लेकर होते हैं । कभी–कभी देखा जाता है कि श्री नारायण दत्त तिवारी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी का नाम लेकर और कभी कुछ कह कर आरोप लगाये जाते हैं । लेकिन सत्ता पक्ष को देखना चाहिये कि उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों को गले लगा कर वह बैठे हैं उन पर क्यों नहीं निगाह वह डालते हैं । जो कांग्रेस सरकार ने किया है उन्हीं की बहुत सी बातों को जनता पार्टी भी कर रही है । कोटा परमिट से उनको भी फुर्सत नहीं है । कर्मचारियों पर आरोप लगाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं । अगर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है तो हमारे नेताओं में भी भ्रष्टाचार है । अगर अपना दामन वे लोग देख लें तो हमारी मशीनरी ठीक हो सकती है । हमारे कर्मचारी मशीन हैं जैसे हालात होंगे, जिस तरीके से आप चलायेंगे उस तरीके से वह चल सकते हैं । आज तक जिस तरीके से उसे यूज किया गया है उसी तरह से वह बने रहे । आज जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं उसकी बुनियाद हम भी हैं ।

हमारा कहना यह है कि जो विषय हमारे सामने है, उसपर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसा विषय है, जिसका जनता से सीधा सम्बन्ध है, इससे जनता की बड़ी सेवा की जा सकती है । यह जनसेवा करने का एक बड़ा माध्यम है । मंत्री जी इसको जितना जनसाधारण, सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना सकें, उतना ही अच्छा है । मुझको खुशी होगी यदि यह प्रोग्राम जनता की भलाई के लिए पहुंच जाए । अगर प्राइवेट बसें चलने लगती हैं, तो उनमें अनियमिततायें होती हैं, अन्धाधुन्ध भीड़ होती है अगर राजकीय बसें चलाई जाती हैं तो वे समय पर चलती नहीं हैं । फिर जरूरत होने पर हम सड़कों का राष्ट्रीयकरण करते जा रहे हैं, अगर सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो बसों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए । सरकारी बसों की कमी है तो प्राइवेट बसों का अधिग्रहण कर लिया जाए और उन्हें राजकीय बसों की तरह चलाया जाए । बस स्टापेज इंचार्ज और स्टेशन इंचार्ज का परस्पर सन्तुलन ऐसा बिगड़ रहा है, जिससे जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है । यदि डिपो इंचार्ज ने कह दिया कि बस नहीं है, तो वह मजदूर बैठा रहेगा और सवारी परेशान पड़ी रहेगी । इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि वर्कशाप में बस खराब है तो उसकी पूर्व सूचना हो जाए, जिससे समय पर उचित व्यवस्था हो जाए और यात्रियों को भी मालूम हो जाया करे ।

बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि हैवी वैहिकिल्स बीच शहर से गुजरती हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं । इसके लिए मेरा सुझाव है कि ऐसी जगहों पर बाई–पास बना दिये जाएं, जैसा हमारे फैजाबाद जिले में है । वहां बीच चौक से होकर दिन रात ट्रक्स और बसें चलती हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं । इसलिए हैवी वैहिकिल्स को ऐसी सड़कों से निकाला जाए, जहां डन्सटी आफ पापुलेशन कम हो । इस बारे में सर्वे होना चाहिए । जौनपुर भी एक ऐसा शहर है, वहां पर भी आए दिन एक्सीडेन्ट हुआ करते हैं । इसके

[श्री मित्र सेन---]

अलावा लांग रूट्स पर जो ट्रकें चलती हैं, उनसे पुलिस वाले जगह-जगह १०, २०, ४० रुपया ऐंठ लिया करते हैं । इससे समय की बड़ी बर्बादी होती है और भ्रष्टाचार भी खूब होता है । अतः ऐसी व्यवस्था हो कि इन ट्रकों को पुलिस वाले छेड़ें नहीं । इस तरीके से पुलिस वाले उनका शोषण करते हैं ।

इसी तरह सिटी बसों और नाइट बसों के बारे में भी काफी शिकायतें हैं । सिटी बसों पर टिकटों की बेईमानी होती है । कंडक्टर्स प्रायः थोड़ी-थोड़ी दूर के टिकट नहीं देते हैं या सवारी लोग खुद टिकट लेने से बचते हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए, इसमें भारी भ्रष्टाचार है । कंडक्टर वगैरह पकड़े भी जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार पूरे देश में है और भ्रष्टाचार इस देश का एक अभिन्न अंग हो गया है । उसको मिटाने का माद्दा न कांग्रेस पार्टी में था न जनता पार्टी में है । जिस वर्ग चरित्र की सरकार होती है, उसी तरह का चरित्र नीचे के लोगों का यानी जनता का बन जाता है । यहां भारी भ्रष्टाचार है, क्योंकि पूंजी-वादी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार एक आवश्यक बुराई के रूप में मौजूद रहता है । पूंजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ सुधार हो सकते हैं, जिससे जनता का कुछ भला हो सकता है और कुछ समय तक यह शासन में बने रह सकते हैं ।

हमारा जो परिवहन निगम है, उसमें एक चीज देखने को मिली है कि कैसरबाग स्टेशन से बसों से प्रति दिन पहले ३० हजार रुपये की आमदनी होती थी, किन्तु जब से जनता सरकार आयी, यह घटकर २७ हजार रुपये प्रति दिन हो गयी है । मतलब साफ है कि रायल्टी बेसेज पर मिनी बसों को परमिट दे दिए गए हैं । यह अच्छा हुआ है कि असलियत साफ हो गई ।

इसलिये कि सरकार का घाटा न हो । मैं चाहूंगा कि वर्कशाप का भ्रष्टाचार रोका जाय, इस विभाग की जो आमदनी है उससे कर्मचारियों को बोनस दिया जाय, जो सरकारी रूट्स हैं, उन पर प्राइवेट बसों का चलना रोका जाय ।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला देवरिया)---

दो-दो मिनट दे दिया जाय । कुछ समय बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका प्रस्ताव स्वीकार है । दो-दो मिनट दे रहा हूं ।

पर्यटन उप मंत्री (श्री शिवदास)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पर्यटन हमारी अर्थ व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हो चुका है । उसमें न केवल किसी वस्तु के निर्यात के बिना विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, अपितु विभिन्न देशों के सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान में भी सर्वाधिक सहायता मिलती है ।

उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग ज्यादातर विदेशी शान शौकत, शहरी ठाठ-बाट के ऊपर आधारित रहा है । जिसके परिणाम स्वरूप देश में गरीबी, भुखमरी, बेकारी और महंगाई तथा भ्रष्टाचार बढ़ा है, कालाधन पैदा कर अय्याशी और फैशन बढ़ा है । इसका मूल कारण यह है । मैंने खुद जाकर देखा, आगरा में जो बड़े-बड़े होटल बने हुए हैं, उनमें ज्यादातर विदेशी शान शौकत के आधार पर सारा काम काज हो रहा है मैंने उन होटलों में देखा इतनी महंगी साज-सज्जा क।

प्रबन्ध किया गया है, एक कमरे का किराया ५०० रुपये होता है। उन कमरों में कौन रह सकता है ? इस पर भी उन लोगों से पूछा तो उन्होंने यह बताया कि इसमें कोई विदेशी ही रह सकता है या उस तरह के लोग रहते हैं जो ज्यादातर काला धन का उपयोग करते हैं। हमको वहां के लोगों ने यह भी बताया होटल काला धन पैदा करनें और छिपाने के साधन बने हुए हैं। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं और इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह होटल जो काला धन पैदा करते हैं और छिपाने के साधन बने हुए हैं इन होटलों पर कड़ी नजर रखी जायगी। वहां होटल में लोग शराब पीकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि इस देश के मुसलमान शराब पीकर इस तरह की बातें करते हैं। इस देश के मुसलमान मक्का मदीना के गीत गाते हैं। मैं उन पर्यटकों को आगरा से मथुरा, वृंदावन की ओर ले जाना चाहता हूं और उनके गौरवों को दिखाना चाहता हूं (व्यवधान तथा शोर)।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह क्या प्रवचन दे रहे हैं हाउस में, क्या मक्का मदीना, शराब का प्रवचन हो रहा है ? (जोर–जोर से मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्तिपूर्वक सुनिए।

श्री शिवदास––

मैं बतलाना चाहता हूं। रसखान ने कहा है––"मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन" आखिरी लाइन यह है––"या लकुटी अरु कामरिया पैराज तिहूं पुर को तजि डारों।" मैं आज पाश्चात्य सभ्यता से भारतीय सभ्यता की ओर ले जाना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं, मुसलमान की आत्मा भारत है और भारत की आत्मा मुसलमान है।

हमारे माननीय मिश्र जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग शून्य है। जैसे यह मिश्र जी हैं इन्हीं के तरह के एक और मिश्र जी थे उनका नाम एस० के० मिश्रा था। पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है वह हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा सारी कार्यवाही करेगा। मैं नैनीताल गया था, वह मिश्रा जी वहां पर आये थे और दो आई० ए० एस० अफसर उनके साथ थे, एक उनका कैमरा लिए हुए था और दूसरा उनके मुंह में आग लगा रहा था और वह काम क्या करते थे, फोटो खींचते थे।

श्री श्यामधर मिश्र—

आग तो तब लगायी जाती है जब आदमी मर जाता है। (हंसी)

श्री रणजीत सिंह जूदेव––

मुंह में आग कब लगती है। मुंह में आग लगी थी या मंत्री जी के दिल में आग लगी थी। (हंसी)।

(व्यवधान)।

श्री मुकीमुर्रहमान—

समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है ।

(श्री माम सिंह आजाद के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

आजाद साहब, आप बैठिए ।

श्री शिव दास—

तीन एयर कन्डीशन्ड गाड़ियां खरीदी गयीं । एयर कन्डीशन्ड कमरे बनाने की योजना बनायी गयी और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को यह आदेश दिया गया कि हरियाणा पर्यटन निगम को ५ लाख रुपया दे दें । आज उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग देखने में निकम्मा मालूम होता है । अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन निगम हरियाणा पर्यटन निगम के इशारे पर काम नहीं करेगा वह अपने कर्मचारियों को दक्ष और अच्छा समझता है और जो भी कार्य करेगा अपनी सरकार के बताए हुए लोगों के अनुसार करेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र—

धन्यवाद ।

श्री शिव दास—

धन्यवाद मत दीजिए मिश्र जी । अभी और सुनिए और बताता हूं । सारे टूरिस्ट बंगलों को मैंने देखा मथुरा, आगरा, अल्मोड़ा चित्रकूट आदि के टूरिस्ट बगलों को मैंने देखा ।

एक सदस्य—

माननीय उप मंत्री जी क्या कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उप मंत्री सुनिए । आपसे प्रार्थना है कि आप जरा धीरे-धीरे बोलें ताकि लोगों को सुनाई पड़े । इसलिए माइक से दूर और धीरे बोलें ।

श्री शिव दास—

मान्यवर, मैंने देखा कि चित्रकूट के टूरिस्ट बंगले की छतों पर दरार पड़ गयी है, उसकी दीवार टेढ़ी हो गयी है । इन्जीनियर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसको पहले के इन्जीनियर ने बनवाया है । मैंने कहा कि अपनी रिपोर्ट दो कि यह बिल्डिंग कैसी है । उसने कहा कि मैं दे दूंगा । लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार शराब बन्दी को लागू करना चाहती है तो पर्यटन विभाग पहला विभाग होगा, जो शराब बन्दी से होने वाली क्षति को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा । आप मेरी बात को ध्यान से सुनें । आदमी शराब क्यों पीता है ? वह इसलिए पीता है कि वह आप जैसे लोगों की काली करतूतों से पागल हो जाता है, दुखी हो जाता है, पीड़ित हो

जाता है तो अपने गम को कम करने के लिए पीता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग ऐसे पर्यटन स्थलों का निर्माण करेगा जहां मनुष्य का शराब के बगैर भी गम कम हो जायगा शराब पीने से क्षण भर के लिए राहत मिल सकती है लेकिन इन नव निर्मित पर्यटन स्थलों का, भ्रमण मात्र करने से ही उसे वास्तविक आनन्द की अनुभूति होगी। उसका आत्मिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होगा। मैं पुनः निवेदन कर दूं कि शराब बन्दी के फलस्वरूप जो भी प्रदेश सरकार को आर्थिक क्षति होगी, उसे हमारा विभाग पूरा करेगा।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की गई। मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया के सामने जब इस पर चर्चा की जाती थी कि देश में भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है तो डाक्टर लोहिया का एक ही जवाब होता था कि गंगोत्री को साफ करो तो गंगा में स्वयं साफ पानी आएगा। गंगा स्वयं साफ हो जायेंगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री घूसखोर होगा तो विभाग के कर्मचारी भी घूसखोर होंगे। अगर मंत्री घूसखोर नहीं होगा तो विभाग का कोई कर्मचारी घूस नहीं लेगा।

लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को और इस प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भ्रष्ट शासन को खत्म कर दिया।

मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि ३० सालों से जिन कर्मचारियों की जो ५०० रुपया माहवार पाते थे, उनकी आदत ५,००० मासिक खर्च करने की पड़ गई है, उनकी इस आदत को कैसे दूर किया जायेगा ? आप देखें माननीय मुख्य मंत्री जी सादा जीवन–व्यतीत कर अपनी सीमित आय में ही अपना खर्च चलाते हैं। उसी तरह से हमारे जैसे लोग भी जितनी आमदनी है, उसी में अपना खर्च चलाने की कोशश करते हैं। अब जिनकी ऐसी आदत पड़ी हुई है, तो उनका खर्चा कैसे चल सकता है ? यह बात अधिकारियों के लिए भी लागू होती है। ३० साल से चले आ रहे भ्रष्ट कांग्रेसी शासन में ५०० रुपया महीना पाने वाले अधिकारियों को पांच हजार रुपया महीना खर्च करने की आदत को हम ठीक करेंगे। अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग दुनिया में सबसे आगे हो सकता है क्योंकि यहां पर राम की जन्म भूमि अयोध्या है, चित्रकूट है और कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा है दधीचि की जन्म भूमि यहां पर है दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से जो पहाड़ों का यहां पर दृश्य है, शिखाओं के ऊपर निर्मल जल के झरने हैं, पेड़ और पौधे और वन्य पशु हैं, वे दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेंगे। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पर्यटन विभाग के बजट को मान लेंगे तो पर्यटन विभाग राम का चातुर्य, कृष्ण की बुद्धिमत्ता, गांधी जी का सत्य और अहिंसा, महात्मा बुद्ध की त्याग तपस्या और

[श्री शिवदास---]

डाक्टर लोहिया का मार्ग दर्शन के अनुसार कार्य करेगा । मुझे पूर्ण आशा है कि पर्यटन विभाग हमारे देश की गरीबी, भुखमरी, महंगाई को दूर करने में सहायक होगा । क्योंकि पर्यटन उद्योग जन उद्योग होगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

अब आप सब बोल लीजिए तभी मैं बात करूंगा । पहले आप एक दम से तय कर लीजिए । आप लोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

*श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन विभाग द्वारा यातायात की सुविधाये बराबर सुलभ होती जा रही हैं किन्तु जहां पर ऐसा हो रहा है वहां विभाग में अनेकानेक दोष भी हैं । पहली बात तो यह है कि इसमें जो सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है वह हरिजनों के साथ हो रहा है । उनके जो नौकरी के सुरक्षित स्थान होने चाहिये वे इस विभाग में पूरे नहीं हो रहे हैं । यद्यपि इसके लिए बराबर निवेदन भी किया जा रहा है लेकिन फिर भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । दूसरी बात यह है कि विभाग में जो छोटे कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है । मेरे पास श्री शिव कुमार आदि कई लोग आये, उन्होंने भी यही बताया ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे जिले फैजाबाद में एक अकबरपुर बस स्टेशन है, वह जंकशन स्टेशन है, वहां पर काफी दूर-दूर से गाड़ियां आती हैं किन्तु जंकशन स्टेशन होने के बावजूद भी वहां पर कोई भी वर्कशाप नहीं है जिसकी नितांत आवश्यकता है । मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि फैजाबाद जिले के अकबरपुर स्टेशन पर एक वर्कशाप शीघ्रातिशीघ्र खोल दी जाय ।

मान्यवर, वह स्टेशन इतना बड़ा है जहां पर कम से कम ५-७ जिलों से गाड़ियां आती हैं, लेकिन उस बस स्टेशन पर पानी पीने की सुविधा बहुत ही कठिन है । केवल एक हैंड-पाइप है जिसमें पानी साफ भी नहीं आता है। बहुत ही परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है । बराबर उनकी मांग है कि कम से कम दो हैंड-पाइप की व्यवस्था की जाय । जंकशन स्टेशन होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए एक भी विश्राम कक्ष नहीं है ।

जहां ये सारी बातें हैं वहां एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि उस स्टेशन के इंचार्ज बहुत ही कम स्टेशन पर दिखाई देते हैं । परिणाम यह होता है कि गाड़ियां सुचारु रूप से आर्थिक लाभ को देखते हुए नहीं चलाई जा रही हैं । मिसाल के रूप में पश्चिम से आने वाली दो ट्रेनें जो प्रातः साढ़े चार बजे के करीब पहुंचती हैं तो वहां एक भी गाड़ी न तो उस जिले की जहांगीरगंज जाने के लिए चलाई जा रही है और न टांडा जाने के लिए चलाई जा रही है । परिणाम यह होता है कि पुलिस की मेहरबानी से ४ प्राइवेट बसेज जो अकबरपुर स्टेशन पर रेलवे स्टेशन के नजदीक लगी रहती हैं वे सारी गाड़ियां यात्रियों से भर जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। जब सारी गाड़ियां चली जाती हैं तब विभाग के ड्राइवर्स और इंचार्ज वगैरह आराम से सो कर उठते हैं और फिर गाड़ियां खाली दौड़ाई जा रही हैं। यह विभाग का नुकसान हो रहा है। विभाग के कर्मचारियों को वरदी नहीं दी जा रही है।

इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय,...

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखियेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या इधर के लोग ही ध्यान रखेंगे ?

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

जो कटौती का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं। वैसे तो जनता पार्टी से बड़ी उम्मीद थी। मैं सोचता था कि बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब उप मंत्री का भाषण सुना तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस डिपार्टमेन्ट का बंटाधार ही हुआ समझो।

जैसा मंत्री जी ने खुद बताया कि उन्होंने खुद महसूस किया कि इतने बड़े प्रदेश के लिए १,२६ लाख का जो बजट रखा गया है वह बहुत ही कम है। यह इतने बड़े प्रदेश के लिए जब कि हरियाणा का, गोआ का और कश्मीर का पर्यटन पर बजट कितना ज्यादा है, यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा का काम करेगा और इससे पर्यटन की व्यवस्था बन नहीं सकेगी। कितने देश हैं, स्विट्जरलैंड और हांगकांग हैं वहां पर्यटन से इतनी इनकम हो जाती है कि उनका पूरा बजट चल जाता है। मैं समझता था कि जनता गवर्नमेन्ट इधर विशेष ध्यान देगी, क्योंकि जैसी इनकी पालिसी है नशाबन्दी की और नशाबन्दी यह करके रहेंगे तो आबकारी में जो ५५ करोड़ का लाभ होगा, अगर ठीक से इस विभाग को चलायें तो वह कमी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह पूरी कर सकते हैं पर्यटन से।

एक सदस्य—

आप नसबन्दी पर चलें, हम नशाबन्दी पर।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

दूसरी बात यह कहनी थी कि अगर इस विभाग को सुधारना है तो जो इस पर्यटन के डायरेक्टर आई० ए० एस० होते हैं, मेरा सुझाव है कि इस आई० ए० एस० की डायरेक्टरी को बन्द कीजिये। क्योंकि अकसर देखा जाता है कि जो आई० ए० एस० आता है, बड़ी चापलूसी करके चीफ सेक्रेटरी और मंत्री की करके आता है और एक साल, डेढ़ साल होने के बाद चला जाता है। उसकी कोई विशेष रुचि इसमें नहीं रहती। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई टेक्निकल आदमी को बुलाया जाय जिसको ऐडवार्टिजमेन्ट के बारे में मालूम हो, टूरिज्म के बारे में जानकारी हो। वह ही इस पद के लिए उपयुक्त होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--]

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी बात यह कहनी थी, मैं यह नहीं कहूंगा कि पुराने मंत्रिमंडल ने गलती नहीं की उन्होंने भी की और यह भी कर रहे हैं, लेकिन इन पर्यटन विभाग के अधिकारियों के दिमाग में यह चीज है कि पर्यटन का मतलब शायद इन लोगों का आगरा और बनारस से है। अब ये लोग थोड़ा बहुत नैनीताल का भी नाम लेने लगे हैं। इन लोगों को यह नहीं दिखता कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी सुन्दर-सुन्दर जगहें हैं, इनको अगर डेवलप करें तो आमदनी बढ़ सकती है। हमारे यहां टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जाय तो पूरा बजट इससे पूरा हो सकता है। आपने जो रीडर्स डाइजेस्ट में विज्ञापन दिया उसके लिये मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन खाली विज्ञापन देने से और आवास गृह बनवा देने से काम पूरा नहीं होगा। अगर आप खाली झांसी के किले का ही नाम लें तो शायद कोई उसको ही खाली देखने नहीं जायगा लेकिन उसके साथ अगर ४-५ जगहें और जोड़ दें तो लोग जरूर जायेंगे।

मैं भी विदेश दो, तीन बार गया हूं। वहां एक-एक में ८-८ जगहें दिखाते हैं और शाम को वहां के लोक संगीत और लोक नृत्य भी दिखाते हैं और भोजन में वहां की स्पेशलिटीज खिलाते हैं लेकिन हमारे यहां यह नहीं है। यहां तो सिर्फ सआदतअली का मकबरा देख लें, बाजिद अली शाह का महल देख लें। लेकिन अगर इसके साथ यह किवदंतियां जोड़ दें कि उनके ५०० बेगमें थीं, यहां दरबार करती थीं तो जो लोग नहीं जानते हैं वे भी जानने लगेंगे। हमारे माननीय सदस्य मान सिंह जी ने अभी लखनऊ नहीं देखा होगा लेकिन अगर उनको कहा जाय कि यहां वाजिद अली शाह अपनी ५०० बेगमों के साथ बैठते थे तो मेरे मित्र वहां जरूर चले जायेंगे।

अन्त में, मुझे समय बहुत कम मिला है...।

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं मिलेगा, आप बैठें।

एक सदस्य--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। बीच में नहीं बोला करते। इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं होती।

*श्री मुकीमुर्रहमान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन का बजट आया, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगले साल जब बजट आयगा तो माननीय मंत्री जी से सदन में इतने सवाल होंगे और उनमें से एक का भी उत्तर इनके पास नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि मैं देख रहा हूं कि मार्च के बाद हर जिले में प्राइवेट बसें धूमधाम से चल रही हैं। आज रिश्वत का बाजार इतना गर्म है कि बाजार में सन्दूक बनने बन्द हो गये, काहे में वह रखा जाय। हर जगह मिनी बसें चल रही हैं। लोगों ने मुझे लिख कर दिया है कि जिला मुरादाबाद में ५० से ५६ परसेन्ट तक आमदनी गिर गयी है। साल भर के बाद हमारी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कैसे काम किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या १२––मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३––अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२––सिविल विमानन, अनुदान संख्या––६७ सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८––पर्यटन, अनुदान संख्या ८७––सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८––पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दूसरी बात यह कि जो हमारे अधिकारी हैं, टेक्निकल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोआपरेशन नहीं है। किसी बस में डायनमो नहीं है, दूसरी में सेल नहीं है, किसी में कंसकेट नहीं है, किसी में फिल्टर नहीं है । १० रुपय का फिल्टर आता है । उसको लेने के लिये मेकेनिक मुरादाबाद जाता है । वह आने का टी० ए० २० रुपये का बनाता है । १०–१५ बार जाने के बाद १० रुपये का फिल्टर २८० रुपये में पड़ता है । लेकिन उसका इंजीनियर यह देखने के लिए नहीं तैयार है कि १० रुपये के फिल्टर की कीमत के ऊपर २०० रुपये का टी० ए० स्टोर कीपर को देना पड़ता है । यह गलत है । जब एक कंडक्टर और ड्राइवर को एक बस दे दी जाती है, तो उसको १०–२० रुपये के स्पेयर सामान और टूल्स के लिए इन्डेंट कर देना पड़ता है, तब सामान मिलता है, इससे काम में रुकावट पैदा होती है । हर सामान स्टाक में वहां के स्टोर की पोजीशन को देखकर रखना चाहिए और स्पेयर में रखना चाहिए ताकि किसी भी रूट पर, किसी भी गाड़ी को इमरजेंसी में सामान मिल सके और गाड़ी सामान के अभाव में कहीं पर न रुक सके । कुछ बसें जब वर्कशाप में खड़ी होती हैं, उसमें पता चलता है कि किसी में डैनमो नहीं है किसी में सेल नहीं है, अनेकों कारणों से बसें रुक जाती हैं। इस चीज को अगर इंजीनियर देखे कि एक बस में अगर सेल नहीं है, दूसरी में डैनमो नहीं है और किसी में और कुछ चीजें नहीं हैं, तो मेरा कहना यह है कि एक ही बस का सामान खोलवा कर उन बसों में लगा दिया जाय, जिससे सारी बसें तो चलती रहें और इससे केवल एक बस ही खड़ी रह सकती है । अधिकारी लोग ज्यादातर यह कोशिश करते हैं कि बसों को कंट्रैक्ट पर ठीक करने के लिए भी दे देते हैं, ताकि उनका ५ रुपये का हिस्सा अमर रहे। हमारी पार्टी ने जो नीति अपनाई थी कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, इमरजेंसी खत्म हो गयी, लेकिन भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ ।

श्री श्याम धर मिश्र––

यह तो बड़े खेद की बात है ।

श्री मुकीमुर्रहमान––

तो मैं यह कह रहा था कि जो कंट्रैक्ट पर अधिकारी लोग काम कराते हैं, वह गलत है, उस तरीके को खत्म किया जाय । सारे काम जो हैं, वे सब कर्मचारियों से ही कराये जायं । अधिकारी लोग यह चाहते हैं कि कंट्रैक्ट बेसिस पर जो आक्शन होता है, जो सामान खराब हो जाता है, उसको इमरजेंसी में खरीदवा लेते हैं, जिससे उनका जो कमीशन है वह बना रहता है । थाने के अन्दर एक नया आदेश गया है, सचिव ने लिखा है कि कोई भी थाने पर गाड़ी को नहीं रोकेगा । अगर बस वाला चार व्यक्ति को थाने से फ्री ले जाता है, तो इससे जनता का नुकसान होता है । जिन बसों या मिनी बसों के परमिट नहीं होते हैं, उन बसों पर थाने से दो–चार आदमी जरूर बैठ जाते हैं और वे थाने वाले आदमी अपना सरकारी टी० ए० चार्ज करते हैं । इस गलत प्रथा को समाप्त किया जाय । अगर १० सवारी थाने की पुलिस की बैठ गयी और उन्होंने फ्री सफर किया तो प्राइवेट बस वाला उसकी कसर निकालेगा, थाने से नाजायज तरीके से सवारी लेकर जायगा, तो वह थाने वाली पुलिस उससे कुछ नहीं कहेगी । इसकी सारी तकलीफ जनता को पड़ती है ।

[श्री मुकीमुर्रहमान---]

मान्यवर, काशीपुर मुरादाबाद रोड पर बहुत रश रहता है, आदमी बैठ कर तो सफर कर ही नहीं सकता है । वहां पर या तो कुछ सरकारी बसें लगाई जायं या प्राइवेट परमिट और दिये जायं, जिससे वहां पर बसों की संख्या बढ़ सके और सवारियां आसानी से आ जा सकें । मान्यवर, सम्भल के अन्दर सराय तरीन की आबादी ४० हजार की है, लेकिन वहां सम्भल रोडवेज रुक जाती है, सराय तरीन तक नहीं जाती है । सराय तरीन में कहीं भी छोटा सा बस स्टैड बनवा दिया जाय । कम से कम ५-७ बसें दिन भर में सराय तरीन म जानी चाहिए और खासतौर से शाम को ८ बजे के बाद जितनी भी बसें जावें, जहां पर रिक्शा नहीं मिलता है, सम्भल में भी रिक्शा नहीं मिलता है, पहले दो बसें वहां पर चलती थीं लेकिन अब वह भी बन्द हो गयी । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तब काशीपुर और मुरादाबाद से रोडवेज चलती थी, लेकिन अब वह बस ठाकुर द्वारा या कहीं से भी सरकारी बस नहीं है । जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी हटे, तब वह बस भी बन्द हो गयी । तो मैं अपने शासन से कहूंगा कि इसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, सम्भल सराय तरीन, ठाकुर द्वारा में बस स्टैंड है। लेकिन वहां पर यात्रियों को धूप और बरसात से बचने के लिये कोई बन्दोबस्त नहीं है । तो वहां पर सीमेंट की ४-५ चादरें लगाकर धूप और बरसात से बचने के लिये थोड़ी सी जगह बना दें ताकि जनाना सवारियां वहां खड़ी हो सकें । सीमेंट की चादरें डलवा दें तो सवारियों को बड़ी आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि १० रुपये के फिल्टर के लिये अब २८० रुपये का टी० ए० बिल न बनाया जाय और जिलों म सामानों की व्यवस्था की जाय । ३००-३५० बसें मुरादाबाद-बरेली रोड पर चल रही हैं । इनमें से बहुत सी बसें गैर कानूनी ढंग से चल रही हैं । एक प्राइवेट बस से मैं आ रहा था । अधिकारियों, आर० टी० ओ० की मदद से चल रही हैं। तो मैं एक प्राइवेट बस से आ रहा था । आर० टी० ओ० ने कागजात मंगाये और उनको देखा लेकिन उनको जब पता चला कि यह बस फलां की है तो बस को छोड़ दिया । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की हमारी नीति नहीं होनी चाहिये । चाहे कोई भी हो, हमको बराबर सबको देखना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप समाप्त करें ।

श्री मुकीमुर्रहमान---

सबके साथ एक बर्ताव होना चाहिये । धन्यवाद ।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने के लिये कुछ समय दिया । मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुये कुछ बातें कहना चाहता हूं । रोडवेज की बसें जबसे चली हैं यात्रियों को बहुत सुविधा हुई है और सुविधा हो रही है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी खामियां हैं । परिचालक और चालक जगह-जगह पर जहां चाहते हैं सड़क पर गाड़ी को तेजी से दौड़ाते हैं, सवारियों की परवाह वह नहीं करते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चालकों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और परिचालकों का यह व्यवहार अति खेदजनक है । इसमें सुधार होना चाहिये । दूसरी तरफ मैं परमिट की बात कहना चाहता हूं । हरिजनों की बात की जाती है । एक तरफ हमने देखा कांग्रेसी राज्य में, ३० सालों तक हरिजनों के नाम का बड़ा ढ़िढोरा पीटा गया । कहा गया कि हम बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह नजरिया, भीख देने का नजरिया ठीक नहीं है । आज जो काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, परिश्रम करते हैं उसको दुनिया में कहा जाता है, मजदूर । दूसरी तरफ जो खाली बैठकर कुछ नहीं करते हैं उनको कहते हैं, हजूर । एक तरफ बेचारी वह महिला जो गोबर उठाती है, कूड़ा करकट उठाती है, साग लाती है, सफाई करती है उसको कहते हैं नौकरानी और जो महिला खाट पर बैठी रहती है उसको कहते हैं महारानी । तो मैं कहना चाहता हूं परमिट देने के सम्बन्ध में कि हमारे यहां एक श्री रतन लाल, मुजफ्फर नगर में हैं जिनको हमारी कांग्रेसी सरकार ने पिछले दिनों विधान सभा का टिकट दिया था । उनके पास ७५ बसों के परमिट हैं । उन्होंने ६८ परमिट बेचे हैं ब्लैक में । तो इस तरह का भ्रष्टाचार है । मैं कहना चाहता हूं कि कहां है हरिजनों का कोटा और हरिजनों का परमिट ? मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों का कोटा पहले पूरा करना चाहिये ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

इस बात की ओर देखना चाहिये कि जब तक हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाय तब तक हरिजनों के अलावा और किसी को बसों का परमिट न दिया जाय ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

मान्यवर, एक बात और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर से चैथावल-थाना भवन, चैथावल-देहरादून रोड पर प्राइवेट बसें चलती हैं । इस पर ११ बसों के परमिट हैं और दूसरी जो सड़कें हैं उन पर ७०-७० परमिट आर० टी० ओ० से मिलकर लिये गये हैं । इन बसों में ६० और सौ-सौ यात्रियों को ले जाया जाता है । अभी वहां पर लोगों ने अनशन किया । लेकिन हाई कोर्ट से रिट ले आये । लोग हड़ताल पर बैठे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिये । मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । सहारनपुर-देहली रोड पर प्राइवेट और रोडवेज दोनों बसें चलती हैं । इससे जनता को तकलीफ होती है तो मेरा कहना है कि इस रूट पर या तो प्राइवेट बसें चलने दें या रोडवेज की ही बसें चलने दें ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बुढ़ाना से टीकरी जाने के लिये रास्ते में विराल, सैनपुर व परसौली पड़ते हैं जहां एक रौजवेज बस लगाने की व्यवस्था करें । इसके सम्बन्ध में श्री मूल चन्द्र, विधायक ने दरख्वास्त दिया था लेकिन एक साल हो गया है उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है । इसलिये मंत्री जी वहां तुरन्त एक बस लगाने की व्यवस्था करें ।

[श्री नन्द राम---]

मान्यवर, अन्त में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो जाता है तब तक दूसरे लोगों को बसों के परमिट न दिये जायं। चाहे हरिजनों को रिजर्वेशन का कोटा २५ फीसदी या १० फीसदी दें, लेकिन जब तक वह कोटा पूरा न हो जाय तब तक दूसरे लोगों को कोई परमिट न दिये जायं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रताप सिंह 'पुष्पवान' (जिला चमोली)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

आपने जो नियम बनाये हैं--दो और एक का उसके अनुसार चलें. . . :

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठें। आपको अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान) आप लोग शांत रहें वरना सदन छोड़ें।

श्री प्रताप सिंह 'पुष्पवान'--

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन, तीर्थाटन इस देश के लिये नया नहीं है लेकिन हिमालय ने हर भारतवर्ष की संतान को अपने आकर्षण के द्वारा उत्तराखंड में निमंत्रण दिया है। पहले लोग तीर्थाटन के लिये जाते थे। उस समय वहां की मान्यतायें भिन्न थीं। लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री तीर्थों के दर्शन के लिये जाया करते थे। कालान्तर में परिवर्तन हुआ। एक सैलानी हिमालय में गिरिकेन्द्रों के दर्शन के लिये और हिमालय में छिपे हुये औषधियों के गवेषणा के लिये, संत महात्मा अनन्तकाल से छिपी हुई चीजों के अनुसंधान के लिये हिमालय की तरफ जाते हैं। श्रीमन्, प्रतिवर्ष उत्तराखंड की ओर ५ लाख से लेकर १० लाख तक यात्री जाते हैं। कुछ तीर्थों की तरफ जाते हैं और कुछ मसूरी, देहरादून, नैनीताल और रानीखेत जैसे सुरम्य स्थानों पर ऐशो आराम के लिये जाते हैं। लेकिन इधर कुछ न्यूनतायें आयी हैं जिनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, पिछली सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग के लिये एक बहुत सुन्दर योजना बनायी थी। उन्होंने यह तय किया था कि उत्तराखंड के ८ जिलों के अन्दर जो ग्रामीण हैं, जो कम पूंजी वाले हैं, उनको १० हजार रुपये से २५ हजार रुपये तक देकर छोटे-छोटे होटलों के लिये यह सुविधा प्रदान कर दी जायेगी। मान्यवर, मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस की कहीं वह बात आज समाप्त नहीं हो जानी चाहिये और जो जनता होटल की बात आयी है वह निखार के साथ हमारे सामने आनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं चाहता हूं अविलम्ब एक महीने के अन्दर उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए एक योजना मंत्री जी को प्रस्तुत करनी चाहिए । पर्यटन हमारे उत्तर प्रदेश की शान है, देश की शान है । बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, काशी के नाम से लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं । मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में खास कर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ खामियां हैं । दो तरह की यातायात व्यवस्था है । कुछ रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं और कुछ गाड़ियां प्राइवेट कम्पनियां चलाती हैं । मान्यवर, मैं बड़े भरे दिल से कह रहा हूं कि उधर जो संजय गांधी के चेले बैठे हैं इन्होंने प्राइवेट कम्पनियों का कलेजा खा लिया केवल एक बात लेकर कि तुम्हारा राष्ट्रीयकरण कर देंगे । चाहे के० एम० ओ० यू० हो या जी० एम० ओ० यू० हो हर तीसरे चौथे महीने घोषणा होती थी कि पहाड़ की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा । इस पर उन लोगों को नजराना लेकर दिल्ली और लखनऊ दौड़ना पड़ता था । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी नीति तय करें कि आप रोडवेज चलाना चाहते हैं या प्राइवेट कम्पनी की जो गाड़ियां चलती हैं उनमें सुधार कर उनको चलाना चाहते हैं ।

मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस बन्धुओं की तरह आप भी राष्ट्रीयकरण का हौवा खड़ा करके प्राइवेट एन्टरप्राइज को समाप्त करने की बात करें । अभी कुछ दिन पहले गढ़वाल की सारी कम्पनियों ने परिवहन मंत्री जी को ज्ञापन दिया था । मुझे जानकारी है कि कुछ खास अधिकारियों की वजह से माननीय मंत्री जी ने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है । कौन जाने उस पुरानी परम्परा में कुछ अधिकारी भी अपना हाथ रखते हों । इस तरह से आप बदनाम हो जयंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ के मामले में आप कोई निश्चित नीति बनावें । अगर उनमें कोई दोष है तो उसमें सुधार कीजिये एक पर्ट भेजिये । वैसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी रोडवेज की गाड़ियों की दुर्घटना हुई । के० एम० ओ० यू० और जी० एम० ओ० यू० की गाड़ियों की भी दुर्घटना होती है । सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारी गाड़ी अच्छी है और उनकी खराब है । इसमें संशय बना हुआ है कि पता नहीं कब राष्ट्रीयकरण हो जायेगा इसलिए वह लोग भी कुछ सुधार करने में हिचकते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि आप निश्चित नीति बनावें जिससे यह शंका दूर हो और व्यवस्था में सुधार हो सके । एक और विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । किसी जमाने में कोपीन लगाने वाले काली कमली वाले ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, ऋषीकेश, हरद्वार में प्रत्येक मील पर एक धर्मशाला बनवा दी । यह भी व्यवस्था की कि आधा किलो गल्ला, तेल, लकड़ी हर सन्यासी को मिलेगा । दोस्तो, यह सही है कि अभी तो हमारा घर बना है लेकिन हमारे सामने जो दोस्त बैठे हैं जो अधिकारियों और पूंजीपतियों की फिकर करते थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

दोस्तों के नाम से सम्बोधित न करें । मुझे सम्बोधित करें ।

श्री प्रताप सिंह 'पुष्पवान'––

श्रीमन्, क्षमा करें । इसलिए कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग के होटल हैं वह घाटे पर चल रहे हैं । केदारनाथ में १० लाख की बिल्डिंग घाटे पर चल

(श्री प्रताप सिंह पुष्पवान)—

रही है, इसी तरह बद्रीनाथ में भी चल रही है। यात्री जाते हैं तो रहने की व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां आप डी लक्स होटलों का निर्माण कर रहे हैं उस तरह के बड़े-बड़े होटलों का निर्माण किया है। वहां गरीबों के लिये क्या व्यवस्था किया है ? कोई व्यवस्था मान्यवर, नहीं किया है अतः निवेदन है कि आने वाले समय में वहां डारमेटरी टाइप जसा कि काली कमली वालों ने स्थान-स्थान पर बनाया था, इस प्रकार से निर्माण कराये जायं। इसी तरह से गाड़ियों के सम्बन्ध में भी स्पष्ट नीति अपनायी जाय। उसी तरह से जनता होटल, जैसा कि कांग्रेस की २५ हजार की लागत से पहाड़ों में होटल के निर्माण की नीति थी, का प्रबन्ध किया जाय। इससे सामान्य जनता को सुविधा मिलेगी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बारे में बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्याय हरिजनों के साथ हुआ है, तो वह इसी विभाग में हुआ है। इसी विभाग में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ। यही विभाग सबसे पीछे है हरिजनों का कोटा पूरा करने में। जो उधर के लोग हंस रहे हैं, उनके लिये कहना है कि आज हरिजनों पर वे अत्याचार कर रहे हैं और फिर दुहाई देते हैं। ऐसे नौजवानों के लिये हम क्या कहें।

मान्यवर, पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। वह बड़े सरल और सौम्य व्यक्ति हैं। वे अपने विभाग को देखें तो पता चलेगा कि हरिजनों का कोटा अगर किसी विभाग में पूरा नहीं हुआ, तो वह उनका ही विभाग है। पर्यटन और परिवहन विभाग में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुझे माननीय परिवहन मंत्री जी से कहना है कि वह अगली भर्ती बन्द कर दें जब तक कि यह कोटा पूरा नहीं हो जाता वरना उनको मिथ्या कलंक लगेगा। इसलिये माननीय मंत्री जी इस कोटे की पूरा करने के लिये आगे की भर्ती बिल्कुल बन्द कर दें।

दूसरी बात, मान्यवर, जो मैं कहना चाहता हूं और जिसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को लेटर भी लिखा है कि हमारे यहां जो कार्यशाला है, जिसमें पहले १०-१२ बसें बनती थीं, आज सैकड़ों बसें वहां पहुंच जाती हैं। इसलिये निवेदन है कि वहां बड़ी कार्यशाला बनवायें ताकि जहां जो तमाम बसें खराब पड़ी रहती हैं, वे जल्द से जल्द बन सकें। एक निवेदन है कि बलरामपुर में डिपो छोटा है और फैजाबाद रोड में एक डिपो की व्यवस्था की जाय और एक डिपो मनकापुर में कर दिया जाय। मान्यवर, वहां पर ६ बसें चलती हैं लेकिन ३ बसें हमेशा खराब रहती हैं और केवल ३ बसें ही चलती हैं और वे भी रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इसलिये उस सड़क पर कम से कम एक दर्जन बसें चलायें तो ठीक होगा। यहां अयोध्या से देवीपाटन और सरावस्ती को पर्यटक के लिये बसें चलती हैं आप उस रोड पर कम से कम १२ बसें चलायें तो सुन्दर ढंग से काम चल सकेगा और पैसा भी आयेगा।

मान्यवर, मनकापुर और बभनान सड़क के लिये १४ बसों का परमिट है। लेकिन वे बसें कहां तक जाती हैं, इस की ओर ध्यान दें। ये केवल मनकापुर से मसकनवां तक जाती हैं और वहीं पर रुक जाती हैं। इससे आगे क्यों नहीं जातीं ? माननीय मंत्री जी कृपया इसकी जांच करायें कि उधर क्यों नहीं चलती हैं। पैसा पूरा का पूरा लेते हैं। या तो सड़क की खराबी है या अधिकारी पैसा लेते हैं और रोक देते हैं। उसके आगे प्राइवेट बसें हैं आपकी बसें नहीं हैं।

इसी तरह से एक सड़क है मोतीगंज से डुमरियाडीह और डुमरियाडीह से गोंडा तक और डुमरियाडीह से तरबगंज । यह बड़ी आवश्यक सड़क है । इसके लिये लिखा था और माननीय मंत्री जी ने इन्क्वायरी भी करा ली है लेकिन फिर भी बस नहीं चलती है । उसमें आप यदि सरकारी बस न चला सकें तो कम से ४ प्राइवेट बसें उस रोड पर लगा दें तो काम तेजी से होगा और यातायात की सुविधा हो जायेगी । इसके साथ ही साथ जो निगम आपका बना हुआ है निगम के चेयरमैन लखनऊ में रहते हैं । कम से कम वह जिले में अपना टूर करें और देखें कि कहां कौन सी कार्यशाला में काम हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, कौन सा अधिकारी रिश्वत ले रहा है । आपके जो इन्सपेक्टर होते हैं, जांच करने वाले होते हैं उनका हर ६ महीने में आप तुरन्त ट्रान्सफर कर दें । उस जिले में न रहें । तब रिश्वत बन्द होगी । ये लोग कन्डक्टर और ड्राइवर से रिश्वत लेते हैं और उनके साथ अन्धाधुन्ध बेईमानी करते हैं । तो मुझे आप से कहना है कि इसकी जांच करें और इन्सपेक्टर की बदली करने की कृपा करें । ज्यादा न कह कर आप से यही कहना है कि रोडवेज को सुन्दर बनाने की कृपा करें ।

पर्यटन विभाग के बारे में उप मंत्री जी ने कहा । उनकी बात तो समझ में नहीं आई....

श्री अध्यक्ष--

गंगा प्रसाद जी कृपया समाप्त करें ।

श्री गंगा प्रसाद (गोण्डा)--

वे पंडित हैं उनको जानना चाहिए कि तुलसीदास जो हमारे गोंडा के ही नरहरि गुरु के शिष्य रहे वहीं रामायण लिखी लेकिन उस स्थान का जिक्र नहीं किया । मुझे अफसोस है । वहां पर स्वामी नारायण छपिया तथा श्रवण पकड़ तीर्थ स्थान पर लाखों लोग आते हैं दक्षिण भारत से । वहां पर पर्यटन विभाग का केन्द्र आप स्थापित करने की कृपा करें जिससे वहां आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा हो । इन शब्दों के साथ में जो कटौती मिश्र जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन उप मन्त्री -- (श्री सत्य प्रकाश)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १२—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२—सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८—पर्यटन, अनुदान संख्या ८७—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए हुकुम दिया है मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूं। इस बजट का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की बसों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जनपद में जो बसें चल रही हैं वे सब पुरानी हैं और जब देखो तब डुमरियागंज-भरौनी सड़क के किनारे खड़ी रहती है। इस तरफ आप ध्यान दें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर सड़क पर तीन मिनी क्वीन से कम नहीं चल रही है। इन से बसों की आमदनी रुकी हुई है। तीसरी बात जो बहुत ही जरूरी है। उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती से देवरिया, आजमगढ़ बसें चाहे जितनी सही समय से चलें उन्हें खलीलाबाद रेलवे क्रासिंग पर खड़ा रहना पड़ता है। रेलवे क्रासिंग बन्द रहता है। इसकी वजह से बस आध घण्टा, एक घण्टा लेट चलती है। इस तरफ आप देखें। बस को रेलवे लाइन से इस तरफ लाने की व्यवस्था करें। रुधौली स्थान पर बस नहीं रुकती है। पांच फर्लांग इधर या दो फर्लांग उधर रुकती है। जमीन खाली पड़ी है लेकिन बस स्टेशन नहीं बन रहा है। आप इस पर ध्यान दें।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बसें एक्सीडेन्ट हो जाती हैं उसमें मृतकों को और घायलों की आप उसी तरह सहायता देने की व्यवस्था करें जिस तरह रेलवे में पचास हजार रुपये और हवाई जहाज में एक लाख रुपये है। इसके लिए कम से कम बीस हजार रुपये मृतक के परिवार को और ढाई, तीन हजार रुपये घायल लोगों को आप देने की व्यवस्था करें।

आपका ध्यान वर्कशाप की ओर भी ले जाना चाहता हूं। दो रुपये के सामान की वजह से, छोटे-छोटे सामान जैसे प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ग्लास आदि के न होने की वजह से आपकी गाड़ी खड़ी रहती है। आप इन छोटे-छोटे सामान की व्यवस्था करें।

मैं आपका ध्यान बस स्टेशन डुमरियागंज, जो मेरे क्षेत्र का स्टेशन है, की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां जरा सा पानी बरस जाता है तो बसें बस स्टेशन के अन्दर नहीं घुस पाती है। इसको बनवाने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

अब इस अनुदान पर विवाद समाप्त किया जाता है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, जो विवाद हुआ है तथा माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उनमें उन्होंने करीब-करीब वही बातें कहीं जो मैंने कही थीं। हां अपने ढंग से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने कहीं, शब्द उनके थे। कुछ लोगों ने अपने भी सुझाव दिए और कुछ लोगों ने कमियों को बतलाया और कुछ लोगों ने अन्य बातें कहीं, लेकिन मैंने यह देखा कि जो सुझाव आये, वे बहुत सुन्दर सुझाव थे।

एक बात नई बसों की खरीद के सम्बन्ध में आई। माननीय मन्त्री इस बात को अपने उत्तर में बतलायेंगे कि पिछले साल नई बसें कितनी खरीदी गई थीं। मेरे ख्याल में ८००, ९०० खरीदी गई थीं, क्योंकि कुछ नये रूट्स भी लिए गए थे और कुछ पुरानी बसों का जीर्णोद्धार भी किया गया था। लेकिन इस साल मेरी यह जानकारी है कि नये रूट्स नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन इस साल ३ अथवा ४०० नई बसें ली जा रही हैं।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे समय नहीं दिया गया हालांकि मैं कई बार खड़ा हुआ और कमरे में भी आपसे मिला।

श्री अध्यक्ष--

जितने सदस्य दो घंटे में बोल सकते थे, उतने ही बुलाये गए।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं सिटी बस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। ५, ६ शहरों में सिटी बसें चल रही हैं। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय उत्तर में बतलायेंगे कि इस साल कौन-कौन से नये शहरों में सिटी बसेज का विस्तार होने वाला है। पुराने शहरों में कानपुर, बनारस, इलाहाबाद व कानपुर तो हैं ही, कौन से नये शहरों में इसका विस्तार होने वाला है ?

एक बात और जानना चाहता हूं। उस समय नहीं पूछ सका था और न किसी अन्य सदस्य ने उसे पूछा। जो सरकारी टैक्सीज हैं, मुझे यह मालूम हुआ है कि मुख्य मन्त्री को या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को जो टैक्सीज दी जाती हैं उनके लिए ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट बिल नहीं देता है, क्या यह बात सच है ?

एक सदस्य--

झूठ है।

श्री श्याम धर मिश्र--

कह दें कि झूठ है। आप मन्त्री नहीं है, लिहाजा आपके कहने से मैं उसे झूठ नहीं मान लूंगा।

एक बात विन्ध्याचल की आई थी। यह एक सार्वजनिक स्थान है और मन्त्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यह स्थान उनकी कांस्टीट्यूएंसी के पास भी है। वहां नदी पर पुल बन गया है और कई स्थानों से बांदा, बनारस, इलाहाबाद तथा जौनपुर से कई स्थानों से बसेज के पर्मिट दिए गए हैं।

(श्री श्यामधर मिश्र)--

लेकिन एक तकलीफ यह है कि चील्ह घाट पर उसे बन्द कर दिया जाता है । ऐसा क्यों हो रहा है । चार मील लोगों को रिक्शा पर जाना पड़ता है ।

अंत में मैं श्रीमन्, यह कह कर बैठ जाऊंगा कि आप नहीं थे आपने इस सेशन का एक सबसे बड़ा उपयोगी भाषण मिस कर दिया माननीय उपमंत्री पर्यटन का भाषण उसे आप पढ़ लें वह बहुत रोचक, बड़ा उपयोगी और ज्ञानवर्धक था ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक प्रार्थना है, इस पूरे बजट में एक बात रह गई है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं । हिन्द फलाईंग क्लब को इसमें टच नहीं किया गया है । अगर आप मुझे दो मिनट दे दें तो मैं हिन्द फ्लाईंग क्लब के बारे में निवेदन कर दूं । पर्यटन विभाग में भी उसे टच नहीं किया गया है . . .।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मंत्री जी को बुला लिया है और कट मोशन करने वाले भी बोल चुके हैं (व्यवधान) कोई नियम नहीं है ।

श्री मोती राम--

एक मिनट दे दें ,

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, अब मंत्री जी जवाब देंगे (व्यवधान) (श्री मोतीराम के पुनः खड़े होने पर) मोतीराम जी आप बैठें ।

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये । मैंने उन्हें नोट कर लिया है और मेरे डिपार्टमेंट के आफिसरों ने भी नोट कर लिये हैं । जहां-जहां बसों की जरूरत है या बस स्टेशन खोलने की जरूरत है उनको नोट कर लिया है और जो सुझाव ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कार्यान्वित कर सकते हैं उन पर अमल करेंगे और जनता को सुविधा देने के लिए, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है, हम अग्रसर होंगे । हमारे मिश्रा जी जो बड़े पुराने आदमी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वह रहे हैं, मैं सोचता था कि जब वह कटौती प्रस्ताव के लिए खड़े हुए हैं तो मुझे आशा थी कि बहुमूल्य सुझाव देंगे जिससे मैं लाभान्वित हूंगा । वह पुराने आदमी हैं और मैं नया हूं उनके सुझाव मेरे लिए फायदेमंद होंगे । लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई जब उसमें कोई खास चीज नहीं बोले और मैं सोचने लगा कि मुझे कोई तत्व उसमें नहीं मिल पायेगा जिससे डिपार्टमेंट को फायदा मिल पाये ।

एक चीज जो पहले शुरू में कही कि हमारे यहां सड़कें केवल ६० हजार किलोमीटर है उसे २ लाख किलो मीटर होना चाहिये । वह मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं थी लेकिन यह जरूर है मैं भी उसका हामी हूं । जब तक सड़कें नहीं होंगी उस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता । लेकिन ३० साल के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में ६० हजार किलो मीटर सड़कें हो पाई और हमसे अब उम्मीद करते हैं कि एक साल

में दो लाख किलोमीटर कर दें। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह डिमांड जो है एक जिम्मेदार और पुराने आदमी को नहीं करनी चाहिये।

श्री श्यामधर मिश्र—

मंत्री जी उसमें डिप्टी मिनिस्टर थे, कांग्रेस में।

श्री अध्यक्ष—

यह पुराने जन्म की बात है।

श्री श्यामधर मिश्र—

पुनर्जन्म की बात है। (हंसी)

श्री आबिद अली—

आपने दूसरी बात इनकमटैक्स वालों को कही। मैं समझता हूं कि अगर रोडवेज डिपार्टमेंट पर इनकम टैक्स वाजिब होगा तो इनकमटैक्स वाले कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह वाकया है कि इनकमटैक्स वाजिब नहीं होता है। इस वास्ते अभी तक लांस में है। कुल मिला कर अभी इतना नहीं होता है कि जिसमें इनकमटैक्स देना वाजिब हो। जब वाजिब होगा तो जरूर देंगे वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी गवर्नमेंट है और प्रोवेंसियल गवर्नमेंट भी अपनी गवर्नमेंट है, इसलिए इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यह कहा कि जो अमेनिटीज दी जा रही हैं, वह बड़े-बड़े स्टेशनों पर ही दी जा रही हैं, छोटी जगह पर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है, जो हमने माडल रीजन्स लिए हैं, वे इसलिए लिए हैं कि अमेनिटीज छोटी जगह पर भी पहुंच जायं, जिससे छोटे लोग, आम पब्लिक के लोग उनका फायदा उठा सकें। तो यह कहना मुनासिब नहीं है कि बड़े आदमियों और बड़ी जगहों को ही देखा जा रहा है, छोटी जगहों को नहीं देखा जा रहा है। हम छोटे आदमियों और छोटी जगहों को भी देख रहे हैं और उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

एक बात आपने कहा कि टूरिज्म में कुछ नहीं है। साल गुजिश्ता में ५५ लाख था, इस साल तिगुना हो गया है और अगले साल फिर इसका तिगुना बढ़ जायेगा तो मैं समझता हूं यह बहुत ज्यादा हो जायेगा। यह ठीक है कि जितना इसका हक था, वह पहले नहीं इसको मिल पाया है। यह है वह हमें मिलना चाहिये ....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, आप समझदारी से काम नहीं लेते हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं। बीच में आप व्यवधान डाला करते हैं।

श्री आबिद अली--

आगे बात यह है कि साल गुजिस्ता में ६०० नई बसें ली गई थीं, लेकिन रूट नये नहीं लिए गये थे। इसके लिए हम इस साल ६८-सी में नोटीफिकेशन करते हैं, २६ रूटों का किया है। उसकी कार्यवाही चलती है, चलने के बाद जब कार्यवाही पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर ६८-डी का नोटीफिकेशन करके हम उसे ले पाते हैं। तो लेना अपने वश में नहीं होता है और उसमें समय भी बड़ा लम्बा लगता है। यह जरूर है कि बहुत से रूट्स हैं उसमें लेने के लिए। साल गुजिस्ता में गाड़ी इसलिए खरीदी गई कि नये रूट्स लिए गये थे, इसलिए कम लिए गये, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि नये रूट्स हमें नहीं लेने हैं। यह भी वाकिया है कि साल गुजिस्ता में कुछ गाड़ियां रिनोवेशन के लिए दी गईं और प्रदेश के बाहर मारूति लिमिटेड को दी गईं। जो मारूति लिमिटेड को देने की बात थी, उसका मामला कमीशन के सामने है, उस पर मैं कोई रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन वह चीज अपने वर्कशाप में बननी चाहिये थी। अब हम यह कर रहे हैं कि जितना बाडी-बिल्डिंग का काम है, अपने ही वर्कशाप में होना चाहिये, कहीं दूसरी जगह कोई काम नहीं जाना चाहिये। पिछले साल २ हजार गाड़ियों का एकदम से इंतजाम किया गया और बाहर से मंगाई गई थी, मैं समझता हूं यह कोई अच्छी चीज नहीं थी, यह गलत था।

आपने कहा कि इस साल सिटी बसें कितनी और कहां-कहां दी जा रही हैं। इस साल हमने अलीगढ़ और झांसी को लिया है और इसके अलावा जहां से लोगों का मतालबा होगा वहां सिटी बस या मिनी बस को अवश्य इन्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं, ताकि मिनी बस वालों को भी काम मिल जाए और शहरों के लोगों को तकलीफ भी न हो। तो जहां-जहां मतालबा होगा और लोग तैयार होंगे म्युनिसिपल एरिया में हम चलवा देंगे।

अभी आपने एक सवाल और किया कि क्या कोई टैक्सी विभाग की ओर से मुझे और चीफ मिनिस्टर को दी जाती है और उसका बिल रोडवेज काटता है या नहीं? अब मेरे मुतालिक रोडवेज डिपार्टमेंट है और मैं रोडवेज का काम भी देखूंगा और उसे देखने जाता हूं। मुझे जो सरकार की तरफ से गाड़ी एलाट हुई है, यदि वह कभी खराब है, वर्कशाप मरम्मत के लिए गई है, तो उस हालत में मैं जरूर मंगवा लेता हूं, किन्तु कोई मेरे नाम टैक्सी एलाट नहीं है। मंगवाकर अवश्य उनका काम देखने जाता हूं जब काम उनका देखने जाता हूं तो उसका पेमेन्ट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हो, ऐसा नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, वही उसका पेमेन्ट करते हैं जो उसका पेट्रोल आदि का खर्चा है। यह व्यवस्था कोई नई नहीं है, सन् १९५५-५६ से है, इसका उनके यहां बुकएडजस्टमेंट होता है और इसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब का भी मामला है। मेरे यहां कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। मैं पसन्द नहीं करता।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह निजी सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न किया उसका वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री आबिद अली––

उसके बाद कुछ हमारे हलीम साहब ने सवाल उठाया कि मेरठ डिवीजन में कुछ रूट्स बड़े पेइंग हैं। प्राइवेट बसेज चलती हैं। लेकिन नेशनलाइज नहीं किये गये। १९५३ से आपने कहा। यह सही है कि टेक ओवर नहीं किये जा सके। लेकिन उनका ६८–सी का नोटिफीकेशन हुआ है। उसके बाद कोई हाई कोर्ट गया है कोई सुप्रीम कोर्ट तक गया है। कुछ का ६८–डी का भी नोटिफीकेशन हो गया है। लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट जा कर स्टे ले आये हैं। जब तक स्टे वेकेट न हो उस वक्त तक गवर्नमेंट मजबूर होती है। हम लेना चाहते हैं लेकिन अदालत का हुक्म आ जाता है तो हमें ओवे करना पड़ता है।

आपने एक प्वाइंट यह उठाया कि प्राइवेट बसेज को फ्रीली परमिट दिया जाय। यह देखने में अच्छा मालूम पड़ता है मगर एक मर्तबा हुआ भी लेकिन उसके नतीजे में एक हजार बसेज ऐसी हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं है, क्योंकि जो रूट्स पर हैं, रूट पर मिला नहीं, जब ज्यादा हो जाती हैं तो वगैर परमिट के होती हैं। जो वगैर परमिट हैं रोडवेज के रास्तों पर एनक्रोचमेंट करती हैं। कांट्रैक्ट रेट का परमिट लेकर स्टेट कैरिएज की तरह लगाते हैं। इसलिए फ्री परमिट का सिस्टम लागू करना मुनासिब नहीं होगा।

इसके बाद आपने करप्शन चार्जेज के बारे में कहा। जो चार्जेज हैं वह कोल्ड स्टोरेज में नहीं रहेंगे। वह निकलेंगे। जांच होगी और जो गिल्टी पाया जायगा वह बख्शा नहीं जायेगा। लेकिन अगर नहीं पाया जायेगा तो बेकार में फंसाने की भी कोशिश नहीं की जायेगी।

उसके बाद एक साहब ने कहा कि पांच सौ बसेज सरप्लस हैं। मैं नहीं जानता कि कहां सरप्लस हैं। अगर कहीं सरप्लस हों तो बताएं। यह बात जरूर है कि हर डिपो में कुछ गाड़ियां ज्यादा होती हैं जो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, मरम्मत में होती हैं उनका टोटल यू० पी० भर में लें तो पांच सौ से ज्यादा हो जायेगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि पांच सौ गाड़ियां सरप्लस हों। मुझे यह मालूम नहीं है।

एक चीज यह बतायी गयी कि इमर्जेन्सी के दौरान कुछ एम्प्लाइज को डिस्मिस कर दिया गया। अगर खाली इमर्जेन्सी में डिस्मिस कर दिया गया बगैर किसी चार्ज के, तो जरूर रिइंस्टेट किया जायेगा। लेकिन अगर दूसरे जुर्म में हुए हैं, उनका कैरेक्टर रोल खराब है या कोई चार्ज है, तो वह चीज देखने वाली होगी। इंडिविजुअल केसेज को आन मैरिट एग्जामिन करके न्याय होगा।

उसके बाद आपने कहा स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन के मुताल्लिक उसके कुछ कायदे बने हुए हैं, उनकी तहत, कायदों की पाबन्दी के तहत में सब कुछ करना पड़ेगा। हट कर नहीं हो पायेगा। हरिजन कोटा के मुताल्लिक बात उठायी गयी। मैं समझता हूं कि हरिजनों को जितना कोटा मिलना चाहिये, मेरे मुतवातिर प्रयास होगा कि नये अप्वाइंटमेंट्स में जरूर कोटा मिले। उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी। बिलकुल इतमीनान रखें कोई इनजस्टिस नहीं होगी। परमिट के लिए १५ परसेंट हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लिए अलग कर दिया गया है।

(श्री आबिद अली—)

हिल एरियाज में बसेज चलाने की बात कही गयी है। ऐसा है कि हिल एरियाज के एम० एल० ए० और एम० पी० साहबान की मीटिंग बुलाकर जैसा वह तय करेंगे हम उसको मान लेंगे। उनका फैसला हम मान लेंग। एक चीज और कही गयी कि रिपेयर्स जो कान्ट्रेक्ट में की जाती थी। पहले तो जरूर हुई है, इन्जन बनवाये गये थे लेकिन अब की सब चीज वर्कशाप में बनती हैं और बाहर उनका पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है। अगर १० रुपये का सामान खरीदना होता है तो २८० रुपया टी० ए० का दिया जाता है। अगर मुझे माननीय सदस्य कोई डेफनिट मामला बतावें तो मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि वह मेरी मदद करें इफीशियन्सी बढ़ाने में और जहां पर गलतियां हों उनको बताने में। मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं माननीय मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

मिश्रा जी, आपका भ्रम दूर हो गया कि नहीं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

वोट हो जाने दीजिये, कुछ सन्तोष मिला है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के प्रतिरिक्त ३,५८,७५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांति बनाये रखें। मतदान के समय व्यवधान न डालें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—१३ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

संख्या १२--मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या १३---अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ६२--सिविल विमानन, अनुदान संख्या ६७--- सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ६८---पर्यटन, अनुदान संख्या ८७--सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८८--पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६१,६२,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६२---सिविल विमानन-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मोती राम---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने पहले भी कहा था । इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है... ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये । एक वकील होने के नाते आपको मतदान के समय व्यवधान नहीं डालना चाहिये ।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६२---सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,११,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६७---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६७---सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८७,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६८--पर्यटन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६८--पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,९४,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८७--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८७--सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८८--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८८--पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने माननीय सोहन वीर सिंह तोमर की एक सूचना स्वीकृत की है जिसमें कहा गया है कि यू० पी० बोर्ड के आगामी

हाई स्कूल परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराने का निर्णय और भारत सरकार के आदेश से आई० बी० एम० कम्प्यूटर कम्पनी के कार्य के बन्द हो जाने की आशंका से परीक्षा सम्बन्धी समस्त निर्धारित कार्यक्रम का अस्त-व्यस्त हो जाना है ।

शिक्षा मन्त्री जी इस पर वक्तव्य देने की तारीख से सूचित करें ।

श्री अध्यक्ष—

सिंचाई मन्त्री जी, पहले आप श्रम मन्त्री जी को अपना वक्तव्य देने दें क्योंकि वे जाना चाहते हैं ।

मेसर्स हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम कारपोरेशन लि०, रेनुकूट, मिर्जापुर के मालिकों द्वारा मजदूरों को बंठकी किये जाने के बारे में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*(श्री गणेश दत्त बाजपेयी) श्रम मन्त्री—

माननीय, मेसर्स हिन्डालको, रेनुकूट, मिर्जापुर एक निजी क्षेत्र का एल्यूमीनियम प्रतिष्ठान है जिसमें कुल ३,६१४ श्रमिक नियोजित हैं । इस प्रतिष्ठान का राज्य विद्युत् परिषद् से ३० जून, १९७६ को एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार प्रतिष्ठान को परिषद् द्वारा ८५ मेगावाट बिजली प्रतिदिन प्रमुख सप्लाई के रूप म दी जानी थी । इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान का अपना विद्युत् जनरेशन प्लांट भी है जिससे उनको १२५ मेगावाट बिजली प्राप्त होती है । इस प्रकार प्रतिष्ठान की बिजली की पूरी मांग २१० मेगावाट प्रतिदिन है ।

प्रतिष्ठान को दी जाने वाली बिजली से समय-समय पर काफी कटौती होती रही है । जिसके कारण काफी संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं । प्रतिष्ठान को रिहन्द डेम से जो बिजली दिनांक १-१०-७६ से प्राप्त होती रही है, उसका विवरण इस प्रकार है :—

१-१०-७६	..	८५ मेगावाट ।
८-४-७७	..	५५ मेगावाट ।
१९-५-७७	..	४२·५ मेगावाट ।
१३-६-७७	..	३० मेगावाट ।
२७-६-७७	..	२५ मेगावाट ।
२८-६-७७	..	२० मेगावाट ।
२९-६-७७	..	१५ मेगावाट ।
३०-६-७७	..	विद्युत् पूर्ति की पूर्ण कटौती ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

दिनांक ३० जून, १९७७ से प्रतिष्ठान की बिजली की सप्लाई पूर्ण रूप से बन्द हो जाने के कारण सेवायोजकों ने १०८ बदली श्रमिकों को काय देना बन्द कर दिया था तथा ३१ श्रमिकों की बैठकी कर दी थी । १३ अगस्त, १९७७ से बैठकी पर जाने वाले श्रमिकों की संख्या ७५८ हो गयी थी, जिसमें ५३४ स्थायी तथा २२४ अस्थायी श्रमिक थे । प्रतिष्ठान में दिनांक १७ सितम्बर, १९७७ से २८ सितम्बर, १९७७ तक बैठकी पर भेजे गये श्रमिकों की संख्या विभिन्न तिथियों पर ९४ से ६९८ के बीच घटती बढ़ती रही जिसका औसत प्रतिष्ठान म नियोजित कुल श्रमिकों का १३·५ प्रतिशत है ।

४--संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा ६ के के अन्तर्गत बैठकी पर भेजे जाने वाले श्रमिकों को प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान है । कम से कम १ वर्ष की लगातार सेवा करने वाले श्रमिक को बैठकी के दिनों के लिए अपने वेतन तथा महंगाई भत्ते का ५० प्रतिशत मुआवजा मिलेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि १२ महीनों में ४५ दिन से अधिक समय का मुआवजा देय न होगा । लेकिन अगर कोई श्रमिक १२ महीनों में ४५ दिन से अधिक समय के लिए बैठकी पर भेजा जाता है और बैठकी की अवधि एक समय में १ सप्ताह अथवा उससे अधिक समय की है तो उस श्रमिक को जब तक कि उसके और मालिक के बीच विपरीत समझौता न हुआ हो, प्रथम ४५ दिनों की समाप्ति के बाद भी बाद के १ सप्ताह अथवा उससे अधिक की बैठकी के लिए उसके वेतन और महंगाई भत्ते के ५० प्रतिशत के हिसाब से ही मुआवजा मिलेगा । यह भत्ता आकस्मिक कर्मचारियों को देय न होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती है ? पहले उनका वक्तव्य हो जाने दीजिए ? आप तो अव्यवस्था कर रहे हैं । आप बैठ जाइये मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, इसका सम्बन्ध बिजली मन्त्री से है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका सम्बन्ध श्रम मन्त्री से है । यह फैक्ट्री के मजदूरों का मामला है ।

(श्री मान सिंह आजाद के कुछ कहने पर)

मान सिंह जी आप बार-बार बोलकर व्यवधान डालते हैं । शान्ति से बैठिये । श्री हरिकेवल प्रसाद ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बड़ी विनम्रतापूर्वक... ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्रम मन्त्री जी को वक्तव्य की इजाजत दी । अब प्रश्न नहीं है इस पर । कोई नियम नहीं है जिस पर मैं व्यवस्था की बात सुनूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

व्यवस्था उठती है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

जनार्दन जी, मैं इजाजत नहीं दूंगा । यह नियम के विरुद्ध है । जब एक प्रश्न समाप्त होता है और दूसरा लिया जाता है तो उस अन्तर अवधि के अन्दर व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा आप ठ जाइये ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

यह मन्त्री जी का जो बयान है यह एक दम निराशाजनक है । मन्त्री जी ने स्वतः कबूल किया है कि व्यापक पैमाने पर तो नहीं लेकिन यहां कुछ मजदूर १३·५ कहते हैं, प्रभावित हो रहे हैं । मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार अभी वाराणसी में जो वहां के लोग मजदूर सभा के लोग आये थे, पंचायत के उनके द्वारा जो सूचना मिली उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रबन्धकों ने मिल के आधे हिस्से को काम करने से बन्द कर दिया है, तो मिल में जो काम करने की क्षमता थी, पैदा करने की उसमें से कार्यरत मजदूर आधे बैठा दिये गये हैं, आधी मशीन काम से बन्द कर दी गयी है--नम्बर १, नम्बर २, इन परिस्थितियों को देखते हुए जो बिजली की कटौती की गयी है विभिन्न तरीकों की, यह जैसा मन्त्री जी का बयान है उसके अनुसार कर दी गयी या बहाना लेकर मिल प्रबन्धक मजदूरों को बहका रहे हैं ? तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस मिल को सरकार अपने अधिकार में ले ले और वहां के मजदूर बकार न हों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने वक्तव्य अपनी जानकारी के आधार पर दिया है । अब माननीय सदस्य को जो जानकारी विशेष है उसकी भी जानकारी करा ली जायगी । दूसरा प्रश्न उसके टैक-ओवर का है । जहां तक मुझे मालूम है, अभी तो इस पर कैबिनेट में कोई विचार नहीं हुआ ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं श्री मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो फैक्टरी बन्द हो रही है उससे पूरा पूर्वान्चल, खासतौर से वाराणसी से ले कर देवरिया बस्ती तक एल्यूमीनियम से छोटे-छोटे बर्तन बना कर जिन लोगों की जिन्दगी चलती रही है

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

उन सारे उद्योगों पर असर पड़ रहा है और उस कारखाने के मजदूर, जो बेकार हो रहे हैं इसके लिये माननीय मन्त्री जी कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे वह कारखाना बन्द न होने पाये । दूसरे इन परिस्थितियों में तथा बिजली की कटौती हो गयी और मजदूर निकाल दिये गये तो जहां लाखों लोग प्रभावित होंगे तो वह उद्योग कैसे बचेगा और जो मजदूर भुखमरी के कगार पर आ गये हैं, उनके लिये मन्त्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका पहला प्रश्न इससे पैदा नहीं होता । आपका मुख्य प्रश्न यह था कि वहां पर ले-आफ से कितने मजदूर प्रभावित हुये हैं । माननीय मन्त्री जी इसके उत्तरार्द्ध का उत्तर दे दीजिये क्योंकि पहले से आपका सम्बन्ध नहीं है । छोटे यूनिट्स को अल्यूमीनियम देना उद्योग मन्त्रालय का कार्य है ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

हमने निवेदन किया है कि यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के सेक्शन ६ के अन्तर्गत जो ले-आफ होता है तो आधा पैसा ४५ दिन तक तो यों हीं मिलता है उसके बाद अगर एक समय में एक हफ्ता या उससे अधिक समय के लिये ले-आफ होंगे साल में तो वह भी मिलेगा ।

श्री राम अधार—

क्या माननीय मन्त्री जी को या सरकार को भारत सरकार के प्रधान मन्त्री या केन्द्रीय इस्पात मन्त्री का कोई पत्र मिला है, इस सम्बन्ध में ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मुझे नहीं मिला ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं पहले तो नियम २९३ के अन्तर्गत आप ही से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पर्यालोचन की दृष्टि से प्रश्न के सम्बन्ध में अधिकाशतः आपको जानकारी है...।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप प्रश्न सीधा नहीं करेंगे तो मैं अनुमति नहीं दूंगा । आप सूचना प्राप्त कीजिये ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या श्रम मन्त्री जी यह देखते हुये कि जो भी यहां पर रपट आयी है, मैं नहीं कहना चाहता क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि निरन्तर २० साल से वहां की यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, मेरी निश्चित जानकारी है कि ५ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और भुखमरी के कगार पर हैं और १७ तारीख से एक हड़ताल होगी, उसमें और श्रमिक प्रभावित हो जायेंगे और कम से कम १० करोड़ का अब तक नुकसान हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में क्या माननीय श्रम मन्त्री जी

और बिजली मन्त्री जी और हमारी सरकार यह कोशिश करेगी कि कोई ट्रिपर्टाइट कान्फरेन्स बुला कर जिसमें सरकार की ओर से श्रम मन्त्री जी, बिजली मन्त्री जी, मजदूरों के प्रतिनिधि और मालिक हों और यह सब बैठकर कोई ऐसा निर्णय करें जिससे हिन्डालको उद्योग बन्द न होने पाये और साथ ही जो सरकार के नाम पर कलंक लगा है उद्योग विरोधी का, वह मिट जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह जो आपने अनुपूरक प्रश्न किया है, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि वहां ३,६१४ मजदूर हैं, आप कहते हैं ५,००० बेकार हैं । यह तो पैदा नहीं होता, लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी, जो श्री राकेश ने सुझाव दिया है कि वहां की मिल चलने लगे और सामान्य परिस्थिति हो, तो जो उन्होंने सुझाव दिया है, क्या कोई आप प्रयास करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, वहां, जो बैठकी है, वह बिजली की पावर शेडिंग से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

मजदूर हों, मिल मालिक हों, आप हों, विद्युत् मन्त्री हों, सब मिलकर इसका कोई मार्ग निकालें उस सम्बन्ध में, जिससे सब मजदूरों की कठिनाई दूर हो, आप कोई प्रयास करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

निस्संदेह प्रयास करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद जोशी--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बिड़ला जी का संस्थान है इसका जनता पार्टी से क्या रिश्ता है । क्या यह सही है कि बिड़ला जी के जो संस्थान हैं जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से यह साजिश कर रहे हैं कि जिससे मजदूर....

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बैठकी करने से पूर्व क्या हिंडालको के व्यवस्थापक ने सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, यदि हां, तो स्वीकृति देने से पूर्व क्या यह सुनिश्चित कर लिया था कि यह बैठकी वास्तविक बिजली की कमी के कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

आखिरी जुमला माननीय सदस्य का सुन नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष--

ले आफ करने से पहले क्या उन्होंने सरकार से अनुमति ली और दूसरा प्रश्न उनका है, ले आफ वास्तविक है, बिजली की कमी की वजह से या मिल मालिक की शरारत की वजह से ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, अभी तक तो हमारी सूचना के अनुसार जैसा, मैंने वक्तव्य में निवेदित किया, बंठकी जो हैं, वह पावर शेडिंग की वजह से है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

माननीय मन्त्री जी, ले-आफ करने से पहले आपसे कोई अनुमति ली ?

श्री गणेश दत्त पांजपेयी--

कानून के अन्तर्गत प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, चूंकि अलग-अलग तारीखों में, अलग-अलग समय के लिए, अलग-अलग संख्या में ले-आफ किया गया, इसके लिए सूचना चाहिए ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, ले-आफ बिना सरकार के अप्रूवल के नहीं हो सकता । कोई मिल मालिक अपनी तरफ से नहीं ले-आफ कर सकता जब तक सरकार की अनुमति प्राप्त न हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुमोदन सरकार ने ले-आफ करने का किस तारीख को दिया और जितने कर्मचारी अब तक ले-आफ से प्रभावित हुए हैं, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत जो भत्ता मिलता है ५० फीसदी का, उनका पेमेंट हो गया है या बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बताया ५० परसेन्ट ले-आफ में होता है । दूसरे तारीख वह पूछते हैं और अनुमति के बारे में पूछते हैं कि कोई अनुमति दी गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

पहली बात बिल्कुल ठीक नहीं है । अगर कोई मालिक बिना प्रीवियस परमिशन लेबर कमिश्नर, जो इसके लिए अथारिटी है, ले-आफ करते हैं, तो उनको फिर बजाय आधे पैसे के पूरा पैसा देना पड़ेगा । यह नहीं है कि कर ही नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष--

क्या लेबर कमिश्नर ने इस ले-आफ को अनाधिकृत करार दिया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मैं निवेदित कर चुका हूं कि अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग संख्या में कम से कम ६०-७० ले-आफ के मामले हुये हैं। इनको अलग-अलग तारीखों में लिया गया है, इसमें सूचना की जरूरत है।

(सिंचाई मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, बड़ा अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, कल एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था। बड़ा अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे भी अहम सवाल हैं। १५ मिनट के बजाय इस पर २० मिनट हो गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इसमें परमीशन नहीं ली गयी है। इर-रेगुलरली ले-आफ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि ले-आफ इम्पलायर कर सकता है लेबर कमिश्नर उसको अनाधिकृत करार दे सकते हैं। यदि अनधिकृत होगा तो पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसमें उन्होंने ६०-७० मामलों की बात कही कि अलग-अलग डेट्स है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरी एक बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, उनको उत्तर देने दीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जिस विभाग से यह सम्बन्धित है तो सम्बन्धित मन्त्री नहीं हैं तो फायदा क्या है सवाल करने में ? जिस विभाग से सम्बन्धित है उस विभाग के मन्त्री महोदय को बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कैसे कह सकते हैं ? सिंचाई मन्त्री बोल रहे हैं । आप उनको राजस्व मन्त्री समझ रहे हैं, क्या ? यह सिंचाई मन्त्री हैं ?

कानपुर से उन्नाव की तरफ रेलवे लाइन के पास हो रहे गंगा नदी के कटान के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)—

मान्यवर, उन्नाव जनपद के दक्षिणी ओर गंगा नदी बहती है । गंगा नदी का बायां किनारा उन्नाव जनपद में तथा दायां किनारा कानपुर जनपद में आता है। नदी का बायां किनारा दायें किनारे की अपेक्षा मुलायम मिट्टी का है अतः नदी का कटान वर्षाऋतु में बायें किनारे की ओर ही होता है। पिछले ८ सालों में उन्नाव जनपद में लखनऊ–कानपुर सड़क एवं रेलवे पुल के ऊपरी भाग के पास लगभग ६,१०० एकड़ क्षेत्रफल गंगा नदी के कटान से प्रभावित हुआ है जिसमें से लगभग ३३० एकड़ भूमि वर्ष १९७६ के वर्षाकाल में कटी थी ।

कानपुर–उन्नाव रेलवे लाइन और गंगा नदी की धारा के मध्य ३०० मीटर से भी कम अन्तर रह गया है । इस क्षेत्र में गंगा नदी के कटान को रोकने की दिशा में सर्वप्रथम सन् १९६३ में प्रयास आरम्भ किया गया और १९६९ में केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार एक प्रोजेक्ट बनाया गया किन्तु कानपुर इलेक्ट्रिक अन्डरटेकिंग की असहमति के कारण प्रोजेक्ट कार्यान्वित नहीं किया जा सका । अनन्तर १९७६ में "गंगा बैराज" नामक एक दूसरा प्रोजेक्ट ५२·८५ करोड़ रुपये का बनाया गया । प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक बैराज ५·२ कि० मी० रेल पुल के ऊपर बनाया जाना तथा "स्पर" मार्जिनल बांध आदि बैराज साइड से जाजमऊ सड़क तक पुल बनाना प्रस्तावित है ।

इस बैराज के निर्माण से नगर महापालिका कानपुर, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (K E S A), आवास एवं विकास परिषद् तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की आवश्यकतायें पूरी होंगी तथा उन्नाव जिले में कटान की समस्या भी स्वतः रूप से सुलझ जायगी । योजना के कार्यान्वयन से लगभग ४,४५२ हेक्टेयर भूमि, जो बाढ़ग्रस्त हो जाती है, को बचाना सम्भव होगा । बैराज के बनने से सिंचाई विभाग का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा और उल्लिखित विभाग ही मुख्यतः इससे लाभान्वित होंगे । इसी कारण इस बैराज की योजना का सिंचाई विभाग की योजना में समायोजन नहीं किया गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया ।

स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करें ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना सुसंगत होगा कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने जुलाई, १९७५ में एक पत्र केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मन्त्री जी को सम्बोधित किया था जिसमें इस परियोजना के बारे में भी चर्चा की गयी थी । केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मन्त्री जी ने दिनांक २५ अगस्त, १९७५ को तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी, उत्तर प्रदेश को यह सूचित किया कि केन्द्र सरकार बड़े शहरों के विकास के लिये योजना बना रही है अतएव कानपुर नगर के विकास की योजना भी केन्द्र सरकार को भेज दें ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके । स्वायत्त शासन विभाग जो मुख्यतया योजना से सम्बन्धित है, यदि अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें एवं धन उपलब्ध करा दें तो सिंचाई विभाग द्वारा बैराज का निर्माण किया जा सकता है ।

कानपुर–उन्नाव रेलवे लाइन की सुरक्षा का दायित्व मुख्यतया रेलवे विभाग पर है और इस दिशा में यथा आवश्यक कार्यवाही उक्त विभाग द्वारा ही की जा सकती है। जहां तक कानपुर–उन्नाव सड़क के जलमग्न होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय सार्वजनिक निर्माण विभाग को लेना होगा ।

मैंने स्वयं ही दिनांक २८ सितम्बर व ४ अक्तूबर, १९७७ को सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण किया था तथा श्री चन्द्रपाल सिंह विधायक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से समस्या को सुलझाने हेतु विचार विमर्श किया था । मेरे ही अनुरोध पर श्री चन्द्रपाल सिंह, विधायक ने अनशन तोड़ दिया जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं । जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के सम्बन्ध में निर्णय ले लें ताकि सम्बन्धित विभाग भी उससे लाभान्वित हो सके । उनसे यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि यदि आवश्यक हो तो इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार से भी विचार विमर्श कर लें तथा योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान प्राप्त करने का प्रयास करें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)––

माननीय, जैसा कि आपसे निवेदन किया था जो मैंने सवाल किया वह महत्वपूर्ण है । कानपुर से गंगा के बीच में जो कटाव बढ़ रहा है उसके कारण अभी तक ७३ गांव पीड़ित हुये हैं । एक दर्जन गांव गंगा के गर्भ में विलीन हो गये हैं जिससे लाखों रुपये का नुकसान हो गया है ।

श्री अध्यक्ष––

१० मिनट और सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

तो माननीय, यदि मैं सवाल करूं कि इसको रोकने के लिये क्या किया जा रहा है और जैसा कि जवाब में मन्त्री जी ने कहा है कि इसी कारण इस बैराज की योजना का सिंचाई विभाग की योजना में समायोजन नहीं किया गया है । स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करें । माननीय, आगे देखें वक्तव्य को तो स्पष्ट लिखा है कि स्वायत्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

शासन विभाग जो मुख्यतः योजना से सम्बन्धित है, यदि अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें एवं धन उपलब्ध करा दें तो सिंचाई विभाग द्वारा बैराज का निर्माण किया जा सकता है । आगे देखें तो मन्त्री जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के सम्बन्ध में निर्णय ले लें ताकि सम्बन्धित विभाग भी उससे लाभान्वित हो सके । तो मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जिस विभाग से सम्बन्धित निदान हो वह ही माननीय मन्त्री जी इसको प्रस्तुत करें केवल समस्या का वर्णन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा । सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है नहीं। मैं समझता हूं वह निदान भी नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं । अगर यह कटाव बढ़ता गया और लोग बतला रहे थे कि १५० मीटर की दूरी रह गयी है रेलवे और गंगा के बीच और यह कभी भी बढ़ सकती है और उससे हजारों गांव बरबाद होंगे, कानपुर-लखनऊ का राजकीय मार्ग अवरुद्ध होगा तो मन्त्री जी उसके लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं जिससे इस नुकसान को बचाया जा सके ?

श्री बलबीर सिंह---

अध्यक्ष महोदय, जिस कटाव की चर्चा की गयी है यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहता था कि यह सदन में उठे क्योंकि जैसा इसमें जिक्र है २७ तारीख को मुझे पता लगा और २८ तारीख को मैं गया । हालांकि बहुत तेज वर्षा हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने देखा । कटाव हो रहा था रेलवे लाइन ढाई सौ मीटर की दूरी पर थी, विभाग ने ३०० मीटर का अन्दाजा लगाया । अगर यह बढ़ता गया तो कानपुर-उन्नाव के बीच का सम्पर्क टूट जायगा । मुझे चिन्ता हुई । जैसा आपने प्रश्न किया तो सिंचाई विभाग का सम्बन्ध इसलिए पैदा हुआ कि सात आठ गांव जो कटे हैं और बरबाद हो गये हैं वह बाढ़ की वजह से है और उसका दायित्व सिंचाई बिभाग का है । जो प्लान है बैराज वगैरह बनाने का वह तो बने । उसके लिये रेलवे और दूसरे विभाग इकट्ठा हो कर काम करेंगे । मैंने जो किया वह यह कि मैं दिल्ली गया क्योंकि जब तक सारे विभाग और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मिल कर नहीं बैठेंगे कुछ होगा नहीं । मैंने प्लान की तलाश की और वह मिल गया और उसी के आधार पर मैंने बयान दिया । मैं फिर देखने गया । मुझे खुशी हुई कि जो २८ तारीख को देखा था उससे आगे कटाव नहीं बढ़ा । लेकिन फिर भी यह है कि यह कटान अगले साल फिर होगा । बैराज वाली स्कीम तो ५५ करोड़ की है और उसमें कई साल लगेंगे। अगले साल के लिए क्या हो तो मैंने चीफ इंजीनियर और अधिकारियों से विचार किया। जो प्रश्न आपने पूछा उसकी तरफ हमारा ध्यान है और हम चाहते हैं कि स्पर्स, ठोकरों की छोटी योजना बनाकर इन्तजाम करें । संक्षेप में मैं यही कह सकता हूं कि हम टेक्निकल एडवाइस ले रहे हैं । जो पैसा खर्च होगा सिंचाई विभाग उसको दें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कानपुर-उन्नाव रेलवे और गंगा के बीच में जो दूरी है वह किसी भी समय समाप्त हो सकती है । गंगा और ब्याड़ा ाट सकती है और यदि ऐसा हो गया तो मन्त्री जी क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यही चिन्ता तो मैंने जाहिर की थी और उसी के लिए मैंने कहा कि स्पर्स वगैरह बना कर तैयार रखें जिससे उस स्थिति का सामना कर सकें ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मन्त्री जी का जो वक्तव्य मिला है उसमें यह है कि कहीं पर भी उन्होंने इसका स्वतन्त्र दायित्व नहीं लिया है । इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् जिम्मेदार है ।

श्री अध्यक्ष--

अब ज्यादा समय नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

इसमें स्वायत्त शासन, रेलवे और सार्वजनिक निर्माण विभाग को दोषी ठहराया गया। माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो योजना बनी थी वह परिचर बांध योजना थी । मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना क्यों स्थगित हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर मौजूद है ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

यह जो कटान है, कानपुर के ऊपर भैरोंघाट पावर स्टेशन की तरफ एक गांव पड़ता है । पिछले कई सालों से कानपुर पम्पिंग स्टेशन की तरफ जो मशीनें ले जाई जा रही है, उनके द्वारा काट कर एक बहुत बड़ा बालू का पहाड़ पैदा कर दिया गया है । माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बैराज बनेगा, यह तो बड़ी लम्बी योजना है, क्या यह जो रेत का पहाड़ बन गया है (और वह भी इस कटान में सहायक है) इस पहाड़ को हटाने की कोई व्यवस्था करायेंगे ?

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले कहा कि जब हमारे टेक्निकल आफिसर और इंजीनियर्स वहां जायेंगे तो इन सभी चीजों पर ध्यान रखकर योजना बनायेंगे ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, जिस योजना का माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया है, उसमें कई विभागों के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त ह । क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी कौन लेगा ? सिंचाई विभाग लेगा, स्वायत्त शासन विभाग लेगा, विद्युत विभाग लेगा या सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदारी लेगा ? किस पर दायित्व होगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो माननीय मन्त्री जी ने बतला दिया कि सिंचाई विभाग का दायित्व है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

वह तो माननीय मन्त्री जी के उत्तर से मालूम हुआ कि यह बहुविभागीय जना है। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी न

[श्री श्यामधर मिश्र]

जुलाई, १९७५ में जो केन्द्र को पत्र लिखा था, उसका उत्तर अगस्त, १९७५ में मिला तो वह क्या उत्तर मिला था और उसके सम्बन्ध में क्या आगे भी कोई पत्र व्यवहार हुआ उस योजना के सम्बन्ध में ? जो केन्द्र से उत्तर आया कि बड़े-बड़े शहरों के सम्बन्ध म योजना बना रहें हैं, तो उसमें क्या निर्णय हुआ ?

श्री बलबीर सिंह--

जहां तक मेरी जानकारी है, मान्यवर, जो तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने पत्र भेजा था, उसका केन्द्र से यही जवाब आया कि सेन्टर भी अपनी योजना बना रहे हैं इसलिए हम भी अपनी योजना उसी विभाग में भेज दें ताकि सेन्टर फिर उस पर विचार कर सके उस योजना पर।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिये वहां बैराज बनाया जाय। बैराज बनाने में बहुत समय लगेगा। यदि बैराज बनाना ही अन्तिम उपाय है इस कटान को रोकने के लिए और उससे कानपुर के विद्युत गृह और जलपूर्ति के लिये तो क्या माननीय मन्त्री जी इन बातों को देखते हुये स्वायत्त शासन विभाग और विद्युत परिषद और रेलवे विभाग-ये जो विभाग हैं जिनका भी इसमें स्वार्थ निहित है--इन सारे विभागों से भी हिस्सा लेकर इस योजना को पूरा करने का प्रयास करेंगे और बराज बनाने के लिए चारों विभागों से हिस्सा लेकर के सिंचाई विभाग बैराज बनायेगा ?

श्री बलबीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि यह जो बैराज बनने वाली बात है यह उन विभाग से सम्बन्धित है इसलिए मने इसमें अपनी तरफ से ज्यादा इनिसियेटिव नहीं लेना है न ही लेना चाहिए था। बैराज का जहां तक सम्बन्ध है इसमें ज्यादा पैसा तो स्वायत्त शासन को लगाना है, पी० डब्लू० डी० को लगाना है, रेलवे को लगाना है। हमारा तो कोई हिस्सा नहीं था। जो यह सवाल पैदा हुआ क्योंकि मैं वहां गया था इसलिए यह उससे सम्बन्धित है . . .।

श्री अध्यक्ष--

समायोजित तो आपको ही करना है . . . .।

श्री बलबीर सिंह--

मैंने लिख दिया है उन सभी को कि इसमें सभी को इनिशियेटिव ले कर सभी को बुला कर काम किया जायेगा। जो कुछ हमारा विभाग का होगा हम उसमें सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
१२ अक्तूबर, १९७७

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

[देखिये नियम ३०(२) के तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८६ पर]

तालिका

श्री शिव शंकर सिंह, अध्यापक, सदस्य प्रबन्ध समिति, कृषक विद्यालय इण्टर कालेज, मार्टीनगंज, आजमगढ़ से प्राप्त शिकायती पत्रों के फलस्वरूप की गई जांच में पाई गई अनियमितताओं का विवरण :—

१—१९७२-७३ के नये वेतनमान के अनुसार बकाया वेतन की धनराशि रुपया ५१०१·२१ राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में सम्बन्धित कर्मचारियों को जिनके प्राविडेन्ट फन्ड खाते नहीं थे, न देकर के उन्हें नकद भुगतान की गई थी ।

२—१९७० तथा १९७१ में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से रुपया २० प्रति छात्र की दर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अनुमानतः रुपया ३,६६० की ली गई धनराशि का उचित हिसाब नहीं रखा गया था । इसमें से रुपया १,४१८·७५ प्रबन्धक को दिया जाना भी बिना किसी हस्ताक्षर के प्रदर्शित था ।

३—छः अध्यापकों की नियुक्ति/स्थायीकरण के समय लिये गये कुल रुपया १,८७१ में से मात्र ४०० रुपये जो श्री शिव शंकर सिंह (आरोपकर्ता) द्वारा स्वयं दिया गया था, की पुष्टि हुई ।

४—दिनांक २७-१-७३ दिन शनिवार को विद्यालय में सिनेमा दिखाने का जो आयोजन किया गया था उसके सम्बन्ध में टिकटों की बिक्री आदि से प्राप्त आय एवं आयोजन में किये गये व्ययों का कोई समुचित हिसाब नहीं रखा गया था जिससे तथाकथित २,७८२ रुपये की आय तथा १,१८१·५० रुपये के व्यय की पुष्टि सम्भव नहीं हुई ।

५—दिनांक १६-६-७० को विकास कोष से ३००० रुपया निकाल कर विद्यालय के तीन कमरों के निर्माणार्थ व्यय दिखाया गया था, परन्तु नियमित क्रीत वस्तुओं की भण्डार पंजिका के अभाव में धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं हो सकी साथ ही यह भी नहीं पुष्ट हो सका कि उपर्युक्त कथित निर्माण कार्य एकत्रित किये गये चन्दे से श्री दया शंकर, अध्यापक द्वारा कराया गया था, क्योंकि उन्होंने इसे स्वयं स्वीकार नहीं किया ।

६—(क) छात्र कोषों को अलग-अलग रखी गई रोकड़ बहियों तथा पास बुकों से स्पष्ट हुआ कि १,५५६ रुपया से लेकर २,६५८ रुपया तक की धनराशि प्रधानाचार्य के पास मार्च, १९७३ से मार्च, १९७६ तक हाथ में समय-समय पर पड़ी रही, जिससे पुष्ट हुआ कि छात्र कोषों की शुल्काय को सम्बन्धित डाक घर खातों में समय से जमा नहीं किया गया था ।

(ख) शिक्षक दिवस पर १९७२-७३ में रुपया ६८·६५ तथा १९७४-७५ में रुपया २५·६० कुल ६४·५५ रुपया का व्यय क्रीड़ा कोष से किया गया था, जबकि टिकटों की बिक्री से कोई आय नही दिखाई गई थी। टिकटों की बिक्री से आय अवश्य होनी चाहिए थी। टिकटों की बिक्री की आय का लेखांकन एवं क्रीड़ा कोष की क्षतिपूर्ति वांछनीय रही ।

(ग) १९७२-७३ से १९७४-७५ तक की क्रीत क्रीड़ा सामग्रियों के लिये गई, १९७६ तक किये गये कुल रुपया ३,२५४ के भुगतान की पुष्टि स्टाक प्रविष्टियों के के अभाव में नहीं हो सकी ।

७--जमींदारी उन्मूलन अनुदान से प्रति वर्ष प्राप्त रुपया ६६७·०० की धनराशि को विद्यालय के विकास कार्यों पर उपयोग न करके विद्यालय के आकस्मिक व्ययों पर प्रयोग करना अनियमित पाया गया ।

८--१९७१-७२ से १९७५-७६ तक की अवधि में बाढ़ पीड़ित सहायता का कुल रुपया २,८५७·७२ जो सम्बन्धित छात्रों के हस्ताक्षरों के अधीन वितरित दिखाया गया था, में से चार छात्रों ने दिनांक ६-७-७६ को उनके सम्मुख दिखाई गई धनराशि को प्राप्ति लिखित रूप से स्वीकार नहीं की।

९--वर्ष १९७३-७४ तथा १९७४-७५ में वितरित छात्रवृत्ति की धनराशियों मे से श्री जमालुद्दीन तथा अरविन्द त्रिपाठी को छात्रों ने क्रमशः रुपया २०० और ३२० रुपये की प्राप्ति स्वीकार नहीं की । यद्यपि कि वितरण पंजिका में उनके हस्ताक्षर थे और भुगतान श्री प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित थे ।

१०--अनुरक्षण निधि से बाउचर संख्या १४, १६, १८ तथा १९ द्वारा सितम्बर, १९७५ से दिसम्बर, १९७५ तक भवन पर किये गये रुपया ५१४ के व्यय ठोस प्रमाणों के अभाव में संदिग्ध पाये गये ।

११--१९७३-७४ तथा १९७४-७५ की अनुरक्षण कोष की रोकड़ पंजिका तथा कुछ बाउचरों पर प्रबन्धक के हस्ताक्षरों को इंक रिमूवर का प्रयोग करके मिटाया गया था ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर
पीछे पृष्ठ ७९३ पर]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या जो नसबन्दी न कराने अथवा अन्य लोगों को नसबन्दी न कराने के कारण २५-६-७५ से ३१-१२-७६ तक स्थानान्तरित किय गये ।

जनपद का नाम	स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों की संख्या
१—सहारनपुर	१६
२—मुजफ्फरनगर	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
३—मेरठ	७०
४—बुलन्दशहर	३३
५—अलीगढ़	९५
६—मथुरा	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
७—आगरा	तदेव
८—मैनपुरी	५६
९—एटा	४१२
१०—बरेली	१४७४
११—बिजनौर	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
१२—बदायूं	१६८
१३—मुरादाबाद	११
१४—शाहजहांपुर	२४३
१५—पीलीभीत	२५०
१६—रामपुर	६५
१७—फर्रुखाबाद	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
१८—इटावा	तदेव
१९—कानपुर	तदेव
२०—फतेहपुर	७३
२१—इलाहाबाद	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
२२—बांदा	तदेव

१	२
२३—हमीरपुर	२६३
२४—झांसी	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
२५—जालौन	८३
२६—ललितपुर	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
२७—वाराणसी	८१९
२८—मिर्जापुर	२०७
२९—जौनपुर	३१०
३०—गाजीपुर	३७७
३१—बलिया	१६९
३२—गोरखपुर	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
३३—देवरिया	तदेव
३४—बस्ती	२५९
३५—आजमगढ़	४८४
३६—गोण्डा	१२५
३७—बाराबंकी	१०४५
३८—सुल्तानपुर	कोई स्थानान्तरित नही किया गया
३९—बहराइच	६६८
४०—फैजाबाद	२७६
४१—प्रतापगढ़	४०
४२—लखनऊ	२६२
४३—उन्नाव	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
४४—रायबरेली	तदेव
४५—सीतापुर	१२१८
४६—हरदोई	कोई स्थानान्तरित नहीं किया गया
४७—लखीमपुर खीरी	तदेव
४८—नैनीताल	७१
४९—अल्मोड़ा	१८०
५०—पिथौरागढ़	१

१	२
५१—पौड़ी	कोई स्थानान्तरण नही किया गया
५२—टेहरी	तदेव
५३—चमोली	तदेव
५४—उत्तर काशी	तदेव
५५—देहरादून	तदेव
योग	६८२३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ तथा २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

(१) प्रसार अध्यापकों को प्रशिक्षण डिप्लोमा दिया जाय ।

(२) १-८-७२ से उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(३) एल० टी० वेतनक्रम के रिक्त प्रसार अध्यापकों के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाय ।

(४) आस्थगन में रखे गये प्रसार अध्यापकों के एल० टी० ग्रेड के २६३ पदों को पुनर्जीवित किया जाय और सी० टी० वेतनक्रम के इतने ही पद त्याग दिये जांय ।

(५) डा० रामदास समिति की सेवा सम्बन्धी समस्त संस्तुतियों को कार्यान्वित किया जाय ।

(६) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के प्रवक्ता के दो आस्थगित पदों तथा एक रिक्त पद को प्रोन्नति से भरा जाय ।

(७) प्रसार अध्यापकों को शिक्षकों के सामान्य संवर्ग में वर्ष १९५४ से ही विलीन मान कर सेवा नियमावली बनाई जाय ।

(८) पुनर्व्यवस्था योजना के सभी कर्मचारियों को तीन पदोन्नतियां दी जायं।

(९) प्रदेश के समस्त ११ मण्डलों में कृषि पर्यवेक्षक एवं शिल्प विशेषज्ञ के पद स्थापित किये जायं ।

(१०) सहायक कृषि पर्यवेक्षक, विज्ञान पर्यवेक्षक एवं सहायक पर्यवेक्षक के पदों को समाप्त न करके इन पदों का उच्चीकरण किया जाय तथा निरीक्षण वर्ग को राजपत्रित पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाय ।

(११) १० नवम्बर, १९७६ की एक राजाज्ञा के अनुसार ७ प्रसार अध्यापकों को राजकीय इन्टर कालेज के सहायक अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति दी गई थी परन्तु फिर उनमें से एक को पदावनति कर दिया गया। इस कार्यवाही को रोका जाय ।

(१२) प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाध्यापक पद पर योजना का ही कर्मचारी रखा जाय ।

(१३) मुख्यालय पर योजना संचालन हेतु सहायक शिक्षा निदेशक के पद पर योजना का ही कर्मचारी रखा जाय ।

(१४) जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रसार अध्यापकों की प्रथम उपस्थिति को ही उनकी नियुक्ति तिथि माना जाय ।

(१५) शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना की उप योजना ११ के पद सहित मूल योजना में विलीन कर दिया जाय ।

(१६) कार्यानुभव योजना के अध्यापकों को स्थायी कर उनकी प्रोन्नति का मार्ग खोला जाय ।

पी०एस०यू०पी०—४२ वि० स०—१-३-७८—८४० (पी० डी०)